राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १६६२ का १५वां दिवस [संख्या ६

मंगलवार, दिनांक २७ मार्च, १६६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, एवं अकाल-सहायता-विभाग)

प्रश्न संख्या २६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

तालाब निर्माण, तहसील देवगढ

२७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील में मानसरोवर और नीमझर के तालाब बनाने के लिए सर्वे की गई थी ?

(ब) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (अ) जी हां।

(ब) चूंकि ये दोनों तालाब क्रमश: असींद तहसील के खारी बांध व भीलवाड़ा के मेजा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में आते हैं इसलिए ये योजनाएं स्वीकृत नहीं की गईं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो यह खारी........

श्री अध्यक्ष : आप कृपया वापिस पढ़ें। कई माननीय सदस्यों ने सुना नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (अ) जी हां।

(ब) चूंकि ये दोनों तालाब क्रमश:

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

असींद तहसील के खारी बांध व भीलवाड़ा के मेजा बांध के केचमेंट क्षेत्र में आते हैं इस लिए ये योजनाएं स्वीकृत नहीं की गईं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है कि खारी और मेजा बांध की वजह से ऊपर की ओर किसी तालाब का काम नहीं हो रहा है ? तो क्या ऊपर के लोग भूखों मरेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दोनों तालाब बनाये हैं, फर्क नहीं हुआ है । लाखों रुपये लग चुके हैं । जब तक वे नहीं भरते हैं तो दूसरे तालाब का काम सोच-समझ कर हाथ में लेना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह पहले ही सोच-समझ कर बनाये जाने चाहिये थे । उस पर हमारी समस्या कैसे हल होगी ? ऊपर तालाब नहीं बनेंगे तो वहां के लोग भूखों मरेंगे ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जांच करने पर फर्क नहीं पड़ता होगा और उन तालाबों पर असर नहीं पड़ता होगा तो उन स्कीमों को हाथ में लेने की सोचेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बड़े बड़े तालाब नहीं बनाये जायं और छोटे छोटे तालाब बनाये जाने की योजना ही की जानी चाहिए ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तालाब बनाये जा चुके हैं पहले ही ।

डूब में आई जमीन का मुआवजा

२८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सत्य है कि देवगढ़ तहसील में ताल के तालाब की डूब में जिन किसानों की जमीन आ गई है उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(ब) यदि हां, तो इतना अधिक समय बीत जाने पर भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (अ) जी नहीं । इस नाम के तालाब के बारे में ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है ।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ताल के अन्दर काला घाटा नाम का तालाब है जिसको कि सरकार ने नया ही बनाया है । उसमें कई लोगों की जमीनें डूब में आई हैं; मेरा प्रश्न काला घाटा के तालाब के लिए है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ताल में मोखम सागर का तालाब है....

श्री अध्यक्ष : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के खड़े रहने पर) माननीय सदस्या पहले बैठ जायं । वे उत्तर दे रहे हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मोखम सागर जागीरदारी के वक्त का तालाब

Page No 3

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

है। काला घाटा तालाब अभी नया तालाब बनाया गया है जिसमें जमीनें लोगों की डूबी हुई हैं और मुआवजा अटका हुआ पड़ा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ताल में दूसरे नम्बर का तालाब काला घाटा है। उसके सम्बन्ध में जानकारी चाही जा रही है तो उस के सम्बन्ध में ऐसा है कि जब यह तालाब बनाया गया था तो लोगबागों ने कम्पेन्सेशन की मांग नहीं की थी और उन्होंने कहा कि जब ये जमीनें बनेंगी तो खेती कर लेंगे। इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न नहीं आता है। मुआवजे की मांग करेंगे तो जरूर विचार किया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माफ करें, सरकार के पास में गलत सूचना है। मुआवजे के कागज़ात चल रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लोग लड़ रहे हैं तो जानकारी करके कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर नहीं भी लड़ रहे हैं तो पता लगायें कि क्या हो रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सरकार बतायेगी कि डूब में आई हुई जमीन का लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई मांग ही नहीं कर रहा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट के तहत मांग करना अनिवार्य है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मांग करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब तालाब खाली होता है तो लोग बागों को मालूम होता है कि यह जमीन अच्छी होती है और उस पर वे काश्त करना चाहते हैं और कम्पेन्सेशन लेना नहीं चाहते कम्पेन्सेशन लेना चाहें तो जरूर दिया हैं। जाता है और अब भी दिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जमीन का बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है उसके लिए कम्पेन्सेशन देना चाहिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जैसा कि मैंने अभी कहा कि वहां के लोग लेना नहीं चाहते। अगर लेना चाहते हैं तो तखमीना बना कर जरूर दिया जायगा।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लगान जो होता है वह लगान दोनों ही फसलों का वसूल किया ज़ाता है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय इस मामले में थोड़े से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। काश्तकार ज्यादातर होशियार होते हैं। वे यह जानते हैं कि जब कभी तालाब बनता है तो दो साल के बाद में वह खुल जायगा तो जब वह एक्सपोज़ हो जायगा तो उस जमीन पर कल्टीवेशन करना ज्यादा पसन्द करते हैं और कम्पेन्सेशन उस जमीन का लेना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनके कहने का मतलब यह था कि जो जमीन डूब में आई है उस जमीन का लगान लेते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : लगान तो लेते ही हैं। उन्होंने सरेन्डर नहीं किये हैं ऑनरशिप के राइट्स को; तब तक तो लगान लेते ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : डूब में आई हुई जमीन का कैसे लेते हैं जब कि वे उस पर काश्त नहीं करते हैं ?

श्री भीखाभाई : मेरे कहने का मतलब यह है कि वह टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के लिए उसको रखना चाहते हैं। जब वह एक्सपोज़ हो जाती है और निकल जाती है तो उस पर खेती करते हैं। इसलिए उनका मालिकाना कब्जा कायम रहता है तो उससे लगान लिया जाता है। मालिकाना हक तर्क कर देते हैं तो लगान का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि जो जमीनें डूब में आई हैं उन जमीनों पर काश्त होती है और कोई ऐसी जमीन नहीं जिस पर डूब में आने के कारण काश्त नहीं होती है ? अगर कोई ऐसी जमीन भी है जिस पर डूब में आने के कारण काश्त नहीं होती है और काश्त नहीं होते हुए भी उस पर लगान वसूल किया जाता है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी नहीं है। यह बयासी सवाल है इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : डूब में आई है वह किस कारण से आई है ? क्या सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया है कि जब ऐसा होता है कि जब कोई तालाब बनता है तो तालाब बनने से जो वाटर ब्रीच होता है वह धीरे २ नीचे जाता है और उससे सिंचाई बढ़ जाती है तो वह एक्सपोज़ होता जाता है। वह पार्ट जो डूब में होता है, जो सब-मर्जेन्स में है वह एक्सपोज़ होता है और काश्तकार लोग जो होशियार होते हैं वे यह पसन्द करते हैं कि एक साल के बजाय दो साल में मिले। तो वे उस पर काश्त करना पसन्द करते हैं। दो साल में कोई किसी प्रकार की फसल नहीं मिले लेकिन वह एक साल ही उस पर काश्त करना पसन्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो मन्त्रीजी ने बात कही वह तो केवल किनारेवाली जमीन पर लागू होती है। ऐसी जमीन भी होगी जो हमेशा पानी में रहती है ?

श्री भीखाभाई : उसके लिये मुआवजा दिया जा सकता है लेकिन काश्तकार होशियार होता है वह कभी नहीं चाहता कि अपनी जमीन का हक छोड़ दे। माननीय सदस्य ने जो बात बताई है उसकी जानकारी की जायगी। अगर वे कोई डेफिनिट बात कहें तो उसका स्पेसिफिक उत्तर दिया जा सके।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने बांध बनाया उससे किसी की जमीन डूब में आ गई है और उसको उसका लाभ मिलता नहीं है लेकिन उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है क्या ?

श्री भीखाभाई : अमूमन जो जमीन डेम के डूब में आने वाली होती है उसका मुआवजा दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिनकी भूमि डूब में आई है उनकी भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की गई है ? क्या काश्तकारों को क्लेम्स फायल करने चाहिये थे।

श्री भीखाभाई : पुराने तालाब बने हैं उस समय इस तरह का रिवाज नहीं था। यदि पुराने समय का भी काश्तकार मुआवज़ा चाहते हैं तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पुरानों से मतलब नहीं है; उस तालाब से मेरा मतलब है जिसका कम्पेन्सेशन क्लेम किया गया है। क्या उस भूमि को अवाप्त करने के लिये नोटिस जारी करके अवाप्ति प्राप्त की गई थी ?

श्री भीखाभाई : यह जनरल प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह जनरल क्वेश्चन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस तालाब के नीचे आने वाली भूमि के लिये लैंड एक्विज़िशन की कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही जानकारी तो सदन चाहता है।

श्री भीखाभाई : उप-मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है वह साफ है। वहां के लोगों ने यह कहा कि इस तालाब के डूब में आने वाली जमीन जब डूब से निकलेगी तब हम उसमें खेती करेंगे। वे अपना मालिकाना हक छोड़ना नहीं चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या बिना अवाप्त किये ही इस भूमि पर कब्जा कर लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : इस तालाब के बारे में काश्तकारों ने कहा कि तालाब बनाया जाय इसलिये उन्होंने अपना मालिकाना हक तर्क कर दिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि जिनको खातेदारी अधिकार थे उनसे लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है और हमको पानी फैलाने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान बनने से पहले अगर ऐसी बात रही हो तो पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में एक्विज़िशन की कार्यवाही की जाती है। यदि काश्तकार चाहते हैं कि वहां की जमीन एक्वायर नहीं की जाय क्योंकि दो-तीन साल बाद उनको जमीन काश्त के लिये मुहैया होती है। तो एक्वायर नहीं की जाती है।

श्रीकृष्णकुमार (कोटा): क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि इस डूब के कारण...............

श्री अध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो दूसरे बैठ जायें, खड़े न रहें।

श्री कृष्णकुमार : क्या मन्त्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस डूब के कारण कितनी जमीन। कितने काश्तकारों की अफेक्टेड हुई है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य भी नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

जानते हैं, चलत में आया है इसलिये पूछ लिया है। इसका मेरे पास डेफिनिट उत्तर इस समय नहीं है।

प्रश्न संख्या २९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

तालाबों से सिंचाई की व्यवस्था

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(क) क्या सरकार को विदित है कि देवगढ़ तहसील में सूकई का बड़ा तालाब है जो भरा रहता है और उससे सिंचाई हो सकती है ?

(ख) क्या सरकार उसमें से मोरी निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो उस तालाब के पानी का क्या उपयोग है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (अ) यह तालाब सिंचाई विभाग के अधीन (चार्ज) में नहीं है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बड़ा तालाब पानी से भरा हुआ है। इसके पानी का उपयोग नहीं होता है। इसमें से मोरी निकाली जाय तो यह पानी कई एकड़ भूमि पर फैलाया जा सकता है। क्या सरकार मोरी निकालेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यदि ५० एकड़ से ज्यादा सिंचाई होती होगी तो सरकार जरूर ले सकती है।

प्रश्न संख्या ३१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

माध्यमिक शाला, देवगढ़ में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

३२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(अ) क्या यह सही है कि कन्या माध्यमिक शाला, देवगढ़ में अध्यापिकाओं की संख्या बहुत कम है ?

(ब) जनता द्वारा बार बार शिक्षा विभाग को निवेदन करने पर भी पूरी अध्यापिकाएं वहां क्यों नहीं भेजी जाती ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (अ) जी नहीं।

(ब) केवल एक स्थान रिक्त है वह भी शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वहां कई अध्यापिकाएं कम हैं, हैड मिस्ट्रेस ४ माह से नहीं आई। आज वहां चार साल से

Page No 7

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

स्कूल चल रहा है, फिर भी यह हालत क्यों है ?

श्री परसराम मदेरणा : साधारणत: एक मिडिल स्कूल में १ हैड मास्टर और ८ टीचर्स का प्रावधान होता है । देवगढ़ मिडिल स्कूल में अभी ८ टीचर्स हैं । हैड मिस्ट्रेस ने रिजाइन कर दिया दो माह पूर्व शादी के कारण । कोशिश की गई कि जगह फिलअप की जाय । सूटेबल ग्रेज्युएट टीचर नहीं मिली, मिलते ही शीघ्र ही यह जगह फिलअप की जायगी ।

प्रश्न संख्या ३३

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

डिस्पेन्सरी देवगढ़

३४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही हैं कि देवगढ़ की डिस्पेन्सरी में औजारों और दवाओं की कमी हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि रोगियों के रहने की वहां उचित व्यवस्था नहीं है ?

(ग) क्या आठ हजार की आबादी वाले कस्बे के लिये वह डिस्पेन्सरी छोटी है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त डिस्पेन्सरी को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (अ) जी नहीं ।

(ब) जी नहीं । देवगढ़ की डिस्पेन्सरी में रोगियों के रहने के लिये ४ रोग शयाएं स्वीकृत हैं ।

(स) रोगियों की प्रत्येक दिन की गणना को देखते हुए वह डिस्पेन्सरी उस इलाके के लिये पर्याप्त है ।

(द) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: सही बात तो यह है कि न तो वहां पर ऑपरेशन के औजार हैं और न पर्याप्त दवाइयें । हमेशा दवाइयों की कमी रहती है । ८ हजार की आबादी के कस्बे के लिये क्या ४ बेड्स का अस्पताल ही खोलना चाहिये ? दूसरे कस्बों में किस श्रेणी के अस्पताल चल रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डिस्पेन्सरी एक ही श्रेणी की सब जगह है । उसमें २,५००) रु० की दवाइयों और २००) रु० के इक्विपमेन्ट का प्रावधान है ।

श्रीमती लक्ष्मीकमारी चूण्डावत : वहां सी क्लास डिस्पेन्सरी है । पास ही आमेट में बड़ी डिस्पेन्सरी है । इसके आस-पास ३०-४० मील में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डिस्पेन्सरीज एक ही श्रेणी की सभी जगह हैं ।

बीकानेर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था

२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था न होने से शहर में आग लगने पर काफी नुकसान होता रहता है ?

(२) बीकानेर में ऊन का व्यापार प्रमुख होने से क्या सरकार आवश्यक समझती है कि वहां फायर ब्रिगेड की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): इसका उत्तर गृह मंत्रीजी अपनी टर्न पर देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास: मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ?

श्री दौलतराम सारण: इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रीजी अपनी टर्न पर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): श्री सतीशचन्द्रजी के प्रश्न इम्पोर्टेन्ट हैं । मुझे उन्होंने ऑथेरिटी का लैटर भी दिया था, यदि आप इजाजत दें तो पूछ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष: पूछिये ।

बाढ़ नियंत्रण

२६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्रीभैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) घग्घर नदी में आई बाढ़ के कारण गत २ वर्षों में कुल कितना नुकसान हुआ और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) इन बाढ़ों से कितने ग्रामों को नुकसान हुआ ?

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने क्या सहायता पहुंचाई ?

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र से भी लिखा-पढ़ी की थी और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अधीन विशेष धन राशि की मांग की थी ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): (क) घग्घर नदी में आयी बाढ़ के कारण गत २ वर्षों में अनुमानित क्षति लगभग १,२१,५०,-०००) रु० की हुई है । इस बाढ़ से बचने के लिये कुछ तुरन्त आवश्यक निर्माण किये गये । इनके अन्तर्गत हनुमानगढ़, सूरतगढ़ व अन्य आबादियों को बचाने के लिये छोटे २ बांध बनाये गये । इसकी अनुमानित लागत ३,५०,०००) रु० है । हाल ही में पंजाब और राजस्थान के मुख्य अभियन्ताओं का एक सम्मेलन चण्डीगढ़ में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के तत्वाधान में हुआ । इसमें इस बाढ़ पर काबू पाने की योजना का मुख्य ढांचा तैयार कर लिया गया है और इसका तखमीना बनाया जा रहा है जो कि शीघ्र ही तैयार हो जायेगा । इस योजना की मुख्य रूप-रेखा इस प्रकार है :

(१) ओटबीयर से ७०० क्युसेक्स की एक नहर द्वारा नोहर तहसील के इलाके की भूमि ७४,७०० एकड़ की सिंचाई करना ।

(श्री भीखाभाई)

(२) घग्घर नदी के दोनों ओर बांध बना कर उसे १६,००० क्युसेक्स के लिये राजस्थान फीडर क्रोसिंग तक बांध दिया जावे; ताकि पानी फैलने नहीं पावे ।

(३) राजस्थान फीडर क्रोसिंग पर बने साइफन को १६,००० क्युसेक्स के लिये फिर से डिज़ाइन करके अतिरिक्त साइफन बनाई जावे ।

(४) ३,००० क्युसेक्स पानी घग्घर नदी में ही छोड़ा जाय ।

(५) १३,००० क्युसेक्स पानी एक ऊंची सतह की नहर द्वारा सूरतगढ़ के पश्चिम की ओर के टीबों के बीच नीची भूमि में ले जाया जाकर उन नीचे स्थानों को भर दिया जाय और इसे सिंचाई के काम में लिया जावे ।

(ख) इन बाढ़ों से लगभग ३० ग्रामों में नुकसान हुआ । १९५९-६० में ७९,००० एकड़ व १९६०-६१ में १,२१,००० एकड़ भूमि बाढ़ ग्रस्त हुई ।

(ग) निम्नलिखित सहायता दी गई :

किस्म सहायता	साल	रकम
१. राशन, सिरकी वस्त्र इत्यादि	१९६०, सितम्बर	३,२००) रु.
२. राशन, सिरकी वस्त्र इत्यादि	१९६१, फरवरी	५,०००) ,,
३. हरिजनों को मकान बनाने के लिये अनुदान		३०,०००) ,,
४. हरिजनों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मकान इत्यादि के लिये लोन		४,००,०००) रु०
इसके अतिरिक्त मालगुजारी की मुआफी के लिये सिफारिश की गई है और नष्ट शुदा फसलों का कुल आबयाना माफ किया गया है		१७,०१३) ,,

(घ) इस विषय में केन्द्र से लिखा-पढ़ी की गई थी और अभी भी जारी है । बाढ़ नियन्त्रण योजना के अधीन विशेष धन—राशि की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई थी । इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने २,००,०००) रुपये की राशि ऋण के तौर पर स्वीकार की थी तथा अगले वित्तीय वर्ष १९६२—६३ के लिये ८,००,००० रुपये की मांग की गई है । इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित खर्चा २,८०,०००)रुपये होगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने बताया कि घग्घर नदी में सरप्लस वाटर आता है, उसके कम्पेरीजन में जो मेज़र्स अडॉप्ट किये हैं क्या वे उतने पानी को एब्ज़ोर्ब कर लेंगे ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि मेज़र्स अडॉप्ट करने वाले हैं । मैंने यह नहीं कहा कि मेज़र्स अडॉप्ट कर लिए हैं । मैंने कहा है कि यह रूप—रेखा है, यह योजना है जो बाढ़ नियंत्रण के लिए सेन्ट्रल वाटर एण्ड

Page No 10

(श्री भीखाभाई)

इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के अन्तर्गत विचाराधीन हुई है और जहां दो राज्यों के चीफ इन्जीनियर....

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो प्रपोज्ड स्कीम्स हैं बाढ़ रोकने के लिए उनमें क्या इतनी केपेसिटी है कि वे सरप्लस वाटर को एब्ज़ोर्ब कर लेंगे ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि तीन, चार बातों पर विचार करते हैं : कितना पानी आता है, कितना इनफ्लो है, किस प्रकार उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकेलिए किस किस, तरह क्या क्या करना है; यह मैंने पढ़कर सुना दिया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि घग्घर नदी में सरप्लस वाटर आता है, वह कुछ पंजाब से आता है, कुछ ओटू बांध से निकलता है। इसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक बाढ़ आती रहेगी। जितना सरप्लस वाटर है उसको एब्जोर्ब करने की स्कीम्स पर्याप्त हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : पानी को एब्ज़ोर्ब करने का सवाल नहीं है, उसको डाइवर्ट करने का सवाल है ....

श्री भैरोंसिंह : कुछ भी हो।

श्री भीखाभाई : एब्जोर्बशन शब्द का दूसरा अर्थ है। उसका यह अर्थ नहीं होता। पानी को डाइवर्ट करनेका सवाल है। फ्लो जो है उसको कन्ट्रोल करने के लिए डिफरेन्ट स्कीम्स हैं जो मैंने अर्ज की है। उनका निर्माण करने का सवाल है, जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि प्रपोज्ड स्कीम्स के अन्तर्गत जो सरप्लस पानी है उसको डाइवर्ट कर दिया जायगा। और बाढ़ के कारण कुछ नुकसान नहीं होगा ?

श्री भीखाभाई : जी हां, डाइवर्ट करने से नुकसान नहीं होगा और जहां तक पानी को डाइवर्ट करने के लिए कहा, उसके लिए मैंने कहा कि ७०० क्युसेक्स की एक नहर द्वारा नोहर तहसील के इलाके में १६,००० क्युसेक्स के लिए राजस्थान फीडर क्रोसिंग तक बांधना १६,००० क्युसेक्स केलिए फिर से डिज़ाइन करके अतिरिक्त साइफन बनाना, ३,०००क्युसेक्स पानी घग्घरनदी में ही छोड़ना १३,००० क्युसेक्स पानी एक ऊंची सतह की नहर द्वारा सूरतगढ़ के पश्चिम की ओर के टीबों के बीच नीची भूमि में ले जाया जाना। यह सब पानी को डाइवर्ट करने का सवाल है। यह सब करने के लिए किया है इससे बाढ़ काबू हो जाती है। मैं निवेदन कर दूं कि जो इमीजियेट स्टेप्स लेने चाहिए वे लिये हैं। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ की आबादियों को बचाने के लिए करीब साढ़े तीन लाख की लागत के बांध बनाये हैं। जो कमेटी बनी थी श्री कंवरसेन की अध्यक्षतामें, उसकेअनुसार काम किया है। अब यह कमीशन है सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन; इसके तत्वावधान में एक

(श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर)

मुझे कह लेने दीजिये !

Page No 11

श्री भैरोंसिंह : मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं आ रहा है। मेरा सवाल इतना ही है कि पानी को जो डाइवर्ट करने वाले हैं वह हो जायगा, या नहीं ? वह आपको स्पेसिफिक बताना चाहिए कि गंगानगर जिले में पानी डाइवर्ट होकर जायगा वह खेती के काम में ले लिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : मैंने नोहर तहसील की बात कही। मैंने कहा कि १३,००० क्युसेक्स पानी एक ऊंची सतह की नहर द्वारा सूरतगढ़ के पश्चिम की ओर के टीबों के बीच नीची भूमि में ले जाया जाकर उन नीचे स्थानों को भर दिया जायगा। I have given full details.

श्री भैरोंसिंह : जब आप कह रहे हैं कि नोहर तहसील में जायगा; नोहर तहसील में राजस्थान केनाल का पानी भी आयेगा, नोहर तहसील में राजस्थान केनाल से ज्यादा पोर्शन कवर होने वाला है, फिर वहां पर इस पानी का उपयोग कैसे होगा ? जो जमीन सूरतगढ़ में पड़ी है उसके सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है कि वहां पर जो सरप्लस वाटर है उसका उपयोग कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : दोनों तरफ से भाषण हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा शुरू वाला क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हैं कि....

श्री भैरोंसिंह : बड़ा डिटेल्ड जवाब है, उसमें से समझना मुश्किल है। आप इमीजियेट स्टेप्स क्या अडॉप्ट करने वाले हैं ?

श्री भीखाभाई : हनुमानगढ़ में अडॉप्ट कर लिये हैं वहां पर बांध बना दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बांध बनाये गये थे, लास्ट इयर जो बाढ़ आई उसको वे रोक नहीं पाये ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने लगान में राहत दी है और १७,०१३ रु० को माफ कर दिया गया है और सरकार उस भूमि पर लगान ले रही है जिसमें बाढ़ के कारण पैदावार नहीं हो सकती ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार यह सोचती है कि बाढ़ग्रस्त भूमि का पूरा लगान माफ कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के समय डिटेल्स में नहीं जा सकते। प्रश्न पर बहस नहीं करनी है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो बजट के ऊपर बहस के वक्त ये प्रश्न उठा सकते हैं। उस वक्त जो माननीय सदस्य चाहें वे सुझाव प्रस्तुत कर दें और माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे दें।

Page No 12

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ३१

नगरपालिका, जयपुर की सीटों का निर्धारण

३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) जयपुर शहर की कुल आबादी कितनी है ?

(ख) इसमें जन–जाति व अनुसूचित जन–जाति की संख्या कितनी है ?

(ग) जयपुर नगरपालिका में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

(घ) क्या जोसीटें जन-जाति व अनुसूचित जन-जाति की दृष्टि से निश्चित् की गई हैं वे जन-संख्या के अनुपात में ठीक हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त-शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जयपुर शहर की कुल आबादी १९५९ की जन-गणना के अनुसार २,९१,१३० है ।

(ख) इसमें जन–जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की संख्या लगभग २७.००० थी ।

(ग) सीटों का निर्धारण जन-संख्या के आधार पर किया गया है ।

(घ) जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जयपुर की गंदी बस्तियों का उद्धार

३३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५९–६० व १९६०–६१ में केन्द्र से कुल कितनी धनराशि राजस्थान के लिए स्लम क्लियरेन्स के वास्ते मिली और उसमें से कितना रुपया जयपुर शहर में खर्च हुआ ?

(२) जयपुर शहर की गन्दी बस्तियों के उद्धार के लिये राज्य सरकार ने अब कितनी धन राशि कहां कहां पर, कब कब व किस प्रकार खर्च की ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) जयपुर शहर की इन गन्दी बस्तियों के उद्धार की सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) १९५९-६०व १९६०-६१ में भारत सरकार ने स्लम क्लियरेन्स स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान के लिये ४५.०७ (पैंतालीस लाख सात हजार) । रुपये का आवंटन (अलॉटमेंट) किया था । उपरोक्त वर्ष में जयपुर शहर में कुछ खर्च नहीं हुआ ।

(२) जयपुर शहर की निम्न गन्दी बस्तियों के उद्धार के लिये राज्य सरकार द्वारा स्लम क्लियरेन्स स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत तथा खर्च की गई धन राशि नीचे दी गई है :

(श्री दौलतराम सारण)

नाम स्कीम	स्वीकृतधन राशि
१. अमृतपुरी स्कीम	२,८०,०००
२. राजामल का तालाब	२,६४,०००

दिनांक स्वीकृति	स्वीकृति मकान	वास्तविक खर्च	पूर्ण किये गये मकान
१ १८–४–६०	८०	—	—
२ २५–३–६०	८०	२,३८,६००	७२

(३) सरकार इन सभी गन्दी बस्तियों का जल्दी से जल्दी उद्धार करने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्लम क्लियरेन्स की ४५ हजार की रकम रखी गई। क्या जयपुर के अतिरिक्त और कहीं काम में आई है या सारी रह गई है ?

श्री दौलतराम सारण : आपका क्या प्रश्न है ?

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न यह है कि स्लम क्लियरेन्स स्कीम के मातहत ४५ हजार रुपये बताये जो राजस्थान के लिए रखे थे ? वे उपयोग में आये या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर के लिए प्रश्न पूछा था। यह अलग सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर शहर की गन्दी बस्तियों के उद्धार के लिए प्रश्न (३) के जवाब में बताया, वह क्या योजना है ?

श्री दौलतराम सारण : वह मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुना नहीं। रिपीट कर दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : अमृतपुरी स्कीम........

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तीन।

श्री दौलतराम सारण : सरकार इन सभी गन्दी बस्तियों का जल्दी से जल्दी उद्धार करने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने योजनाके लिए पूछा है। सरकार प्रयत्नशील है, बड़ी अच्छी बात है; लेकिन सरकार की क्या योजना है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती है और अच्छे घर बनाना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने योजना बहुत सी बना रखी हैं लेकिन ये योजनायें कब तक पूरी होंगी और इन गन्दी बस्तियों को कब तक हटा दिया जायगा ? किस किस बस्ती को कहां कहां बसाया जायगा और किस किस बस्ती का किस आर्डर में काम होगा।

श्री दौलतराम सारण : जहां जहां हैं, उनको हटा कर अच्छे मकान बनाने के लिए सरकार अपने साधनों के अनुसार चेष्टा करेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने योजना बनाई हैं तो उसके लिए साधन होंगे। उनके अनु-

Page No 14

(श्री भैरोंसिंह)

सार किस किस गन्दी बस्ती को आदर्श बस्ती में परिणत कर दिया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : साधारण बजट में आपके सामने है, आप उनको देख लीजिये। उनके मुताबिक काम किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों का सर्वे कराया है कि कितने परिवार हैं और क्या हालत है ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रयत्न है, इसमें सर्वे कराने की आवश्यकता क्या है ? इसे कोई देख सकता है।

श्री अध्यक्ष : सर्वे कराने की आवश्यकता है कि कितनी आवश्यकता है, कितने कच्चे मकान हैं, उस योजना को कितने अर्से में पूरा कर सकेंगे। इन सब का सर्वे होता है तभी योजना बनती है।

श्री दौलतराम सारण : इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। मैं शीघ्रता करूंगा इस सम्बन्ध में कि बजट प्रावधान के अनुसार कार्यवाही पूरी की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : स्लम क्लियरेन्स स्कीम है, उसकी योजना है या नहीं ? कुछ न कुछ बात सामने आनी चाहिए। यह कई वर्षों से चली आ रही है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्लम क्लियरेन्स में बहुत कम किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत काम किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत कम काम किया जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह : इसके कारण क्या हो सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फण्डस की कमी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बहुत से फन्डस ऐसे हैं, जिनको आवश्यकता के समय डाइवर्ट करने की आवश्यकता हो तो हो सकते हैं। इसलिए सरकार गन्दी बस्तियों को हटाये और इस काम में उस रुपयेको खर्च किया जाय, इसकी आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपस्लम क्लियरेन्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए दूसरे जो फण्डस् हैं उनको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हाउसिंग स्कीम है, वह कई प्रकार की अलग अलग है और उसके अनुसार गवर्नमेन्ट के जितने फण्डस मिल सकते हैं और जिनको उसमें से लेने का अधिकार है वे नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि सरकार की कोई योजना बद्ध नीति या कोई कार्य क्रम है कि अमुक अमुक साल में इतना खर्चा किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्लम क्लियरेन्स स्कीम की जो स्थिति है वह स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्लम क्लियरेन्स स्कीम में प्लान था उससे कम है और गन्दी बस्तियों की हालत पहले से ज्यादा खराब है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान भर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ ही शहरों को लिया गया है और आम तौर से शहरों को नहीं लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार जिन जिन शहरों को इस स्कीम के अन्तर्गत लेगी उसमें जयपुर का नाम भी आवेगा ? भारत सरकार की एक पाइलोट स्कीम है उसमें जयपुर का नाम भी आवेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है कि भारत सरकार की कोई इस प्रकार की पाइलोट स्कीम है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री राजस्थान की राजधानी के लिए भी भारत सरकार से इस बात की कोशिश करने की कृपा करेंगे कि उस पाइलोट प्रोजेक्ट में राजधानी की गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिए कार्यवाही की जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितना फण्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार खर्च किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४५ लाख रुपया इसके लिए मिला था उसमें से जयपुर में जो रुपया भारत सरकार से मिला उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। क्या उसी नीति पर अमल किया जावेगा या जयपुर पर कुछ खर्च किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कई दिक्कतें हैं। इसमें यह है कि जितना रुपया भारत सरकार देती है उसमें म्युनिसिपैलिटी को सर्टेन पर्सेन्टेज देना होता है और वे नहीं दे सके और इस वजह से वहां पर रुपया खर्च नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर की नगरपालिका इसकी पूर्ति नहीं कर सकी, इसलिए उसको कोई रुपया नहीं मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा ख्याल है कि कुछ रुपया मिला है; और भी इसके अलावा कुछ कारण थे जिसकी वजह से स्कीम एप्रूव नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने कुछ समय पहले सरकार पर यह चार्ज लगाया कि हम जितने प्रोपोज़ल्स सरकार के सामने रखते हैं उनको सरकार स्वीकार नहीं करती है और रिजेक्ट कर देती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने क्या कहा है यह तो मुझे मालूम नहीं। मैं यह कहूंगा कि स्लम क्लियरेन्स स्कीम को भारत सरकार से स्वीकार कराना पड़ता है; राजस्थान सरकार स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि राज–

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान सरकार उसको स्वीकार नहीं कर सकती लेकिन भारत सरकार से स्वीकार कराने के लिए रिकमन्ड तो राजस्थान सरकार ही करती है ? अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वालों का यह चार्ज है कि उसमें आपकी तरफ से डिले होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो ।

श्री भैरोंसिंह उनका जो चार्ज है वह डिलेइंग टैक्टिक्स का चार्ज रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई टैक्टिक्स का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(११·३४ म. पू.)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री प्रतापसिंह, विभाजन संख्या १३६ ने दिनांक २६ मार्च, १९६२से दिनांक २५अप्रेल,१९६२ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

स्वीकृत

आज्ञा प्रदान की गई ।

ग्राम बोरावड़ (जिला नागोर) में पुलिस की ज्यादतियां
स्थगन प्रस्ताव

ग्राम बोरावड़, जिला नागोर में पुलिस की ज्यादतियों एवं वहां पर उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें सर्व श्री मुरलीधर व्यास, मोतीलाल चौधरी, फतहसिंह तथा भैरोंसिंह ने दी हैं । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, यदि चाहें तो, आय-व्ययक पर वाद-विवाद के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । अत: मैं इन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

चूँकि उपरोक्त विषय पर कई भिन्न भिन्न सूचनायें प्राप्त हुई हैं, अत: मैं यह चाहूँगा कि माननीय गृह मन्त्री स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए एक वक्तव्य दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि मैंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, पुलिस के खिलाफ है । मेरा स्थगन प्रस्ताव पुलिस के खिलाफ नहीं है, मगर मेरा स्थगन प्रस्ताव जिन लोगों ने परेशान किया है उनके सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें समस्त सदस्यों के बारे में और पुलिस की ज्यादतियों, दोनों के बारे में है । दोनों शब्द इसमें लिखे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, २५ तारीख को एस. एच. ओ. परबतसर के पास में इस तरह का तार पहुंचा कि ग्राम बोरावड़ में कुछ लोग गांव की

(श्री मथुरादास माथुर)

दुकानों की चबूतरियां तोड़ रहे हैं और उन पर की टीन की चद्दरें तोड़ रहे हैं और दुकानों पर लगी हुई बल्लियें तोड़ रहे हैं। इस तरह का तार पहुंचने पर कि गांव में आतंक है, एस. एच. ओ. परबतसर वहां से रवाना हुआ और रवाना होते वक्त जब वह बस स्टेंड पर पहुंचा तो उसको लिखित रूप में भी रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद में वह पुलिस कॉन्स्टेबलों को लेकर बोरावड़ करीब १२।। बजे पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने वहां पर कुछ आदमियों को इस तरह की कार्यवाही करते हुए देखा और रोकने की कोशिश की। जिस पर जो फिसाद कर रहे थे उनके बीच में और पुलिस पार्टी और खास तौर से एस. एच. ओ. के बीच में वाद-विवाद होकर तनाव बढ़ा और आपस में झगडा फिसाद पैदा हो गया। एस. एच. ओ. के चोटें आईं और उसकी वजह से एस. एच. ओ. का एक दांत गिर गया। उसके बाद में पुलिस पार्टी ने फिसाद करने वालों में से ४-५ आदमियों को गिरफ्तार किया जिसमें मदाराम और सरपंच आदि शामिल थे। गिरफ्तारियें होने की वजह से और भी गांव में तनाव बढ़ा और ज्यादा लोग इकट्ठे होकर गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। जिस पर पुलिस-पार्टी ने रेज़िस्ट किया। नतीजा यह हुआ कि जो तनाव वहां पर था वह इतना बढ़ गया कि आपस में पत्थर चलने लगे, मिट्टी उछालने लगे और उसके साथ साथ आपस में मारपीट होने लगी। लोगों के पास लकडियें थीं और पत्थर भी, उससे पुलिस पार्टी के ७-८ आदमियों के चोटें आईं और सब-इन्सपेक्टर पुलिस-एस. एच. ओ. परबतसर को नीचे गिरा दिया और उसकी पिश्तोल छीनने की कोशिश की गई जिसके फलस्वरूप उसने पुलिस पार्टी को गोली चलाने का हुक्म दिया। पुलिस पार्टी ने गोली चलाई। उसके फलस्वरूप करीब ५ आदमी घायल हुए और एक के ग्रीवियस हर्ट आई व बाकी के आदमियों के सिम्पल इन्जरीज़ हुईं उनको होस्पिटल में भी भर्ती कर दिया गया।

इसके बाद में सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागोर, ऑफिशियेटिंग एस. पी. नागोर. डी. एस. पी. मेड़ता घटना-स्थल पर पहुंच गये। स्थिति काबू में है। गांव में इस वक्त अमन है। २५ तारीख को ५ आदमियों को और २६ को ३ आदमियों को और गिरफ्तार किया गया। तफतीश चालू है। एस. डी. एम. घटनास्थल पर पहुंच गये और जांच कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इन्फॉर्मेशन के लिये पूछना चाहता हूँ। यह कहा गया कि ५ के गोली की चोटें आईं जिनमें से एक की हालत खराब है और हॉस्पिटल में है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि इन ५ में पुलिस के कर्मचारी भी हैं या दूसरे ही हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: मैंने यह नहीं कहा कि ५ की हालत खतरनाक है।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं; आपने कहा कि गोली चलाई उससे एक के ग्रीवियस हर्ट आई और चार के साधारण चोटें आईं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन पांच में

(श्री मुरलीधर व्यास)

पुलिस के आदमी भी हैं या जनता के ही आदमी हैं।

श्री मथुरादास माथुर: जिनके चोटें आई हैं उनमें से एक आदमी की अंगुली साफ हो गई उसकी वजह से वह अस्पताल में है, एक के थाई में चोट आई है वह भी अस्पताल में है, दो आदमियों के मामूली चोटें आई हैं। पत्थर पर गोली लगी उससे पत्थर छिल कर टुकड़े उछले उनसे चोट आई हैं।

पुलिस वालों के ब्लन्ट वेपन्स की; लाठी, पत्थर आदि की चोटें आई हैं। उनमें से अस्पताल में कोई नहीं है, एक आदमी अस्पताल में है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अब तक कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ? जिन्होंने पुलिस और जनता के साथ मार-पीट की उन लोगों में से कितनों को अब तक गिरफ्तार किया है ? जैसा कि आपने कहा पुलिस के ऑफिसर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट आदि अफसर वहां पर २५ तारीख को ही पहुंच चुके थे तो आपके पास सूचना आई होगी कि कितनों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर चुका हूं कि २५ तारीख को ५ आदमियों को गिरफ्तार किया गया और २६ तारीख को ३ आदमियों को गिरफ्तार किया गया। कुल ८ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि केवल ८ आदमियों ने पुलिस और जनता के इतने आदमियों को पीटा ? तो ऐसी हालत में जब कि २५ तारीख को ही अफसर वहां पहुंच गये तो इतने दिनों में वे केवल ८ आदमियों को ही गिरफ्तार कर सके ?

श्री मथुरादास माथुर: मैंने निवेदन किया कि तफ्तीश चालू है, दौराने तफ्तीश और आदमियों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होगी तो और को गिरफ्तार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : गोली चलाई गई तो क्या सरकार से पूछ कर चलाई गई या यों ही चला दी गई ? गोली चलाने का प्रश्न ऐसा वैसा प्रश्न नहीं कि जो चाहे गोली चला दे। १० साल में ऐसी घटना नहीं हुई कि इस तरह गोली चला दें। जिन्होंने वहां गोली चलाने का कार्य किया फौरन उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : कहीं भी गोली चलती है तो कानूनी हिसाब से मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी चलती है, वह चल रही है। एन्क्वायरी के दौरान में मैं कुछ भी कहने से मजबूर हूं। मजिस्ट्रेट की एन्क्वायरी हो जायगी तो सारी स्थिति सामने आ जायगी।

श्री अध्यक्ष: जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो इस तरह के प्रश्न और बहस की आवश्यकता नहीं रहती। कोई खास तथ्य हों उनके बारे में पूछा जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जो भंवरलालजी पुरोहित वहां ए. एच. ओ हैं।

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

श्री अध्यक्ष: इसमें बहस नहीं हो सकती, बहस के दौरान में आप पूछें ।

श्री मुरलीधर व्यास: गोली चलाई गई तो किसके हुक्म से चलाई गई ?

श्री अध्यक्ष : जो परिस्थिति थी वह बता दी । यह भी बता दिया गया कि मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी हो रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : सब इन्सपेक्टर के हुक्म से गोली चली, सब अफसर बाद में पहुंचे हैं, मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी चल रही है । एन्क्वायरी के दौरान में इन्फरेंस निकालना न मैं मेरे लिये और न सदन के लिये उचित समझता हूँ ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : बात यह है कि ....

श्री अध्यक्ष: स्टेटमेंट के बाद न इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं और न इसको बहस का रूप दिया जा सकता है ।

(विराम)

श्री मोतीलाल !

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, पहले नम्बर की बात यह है कि यह कहा गया कि वहां आज अमन है । मेरी सूचना यह है कि आज भी वहां अमन नहीं है, लोगों को पीटा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष: सूचना का प्रतिवाद न करें, उन्होंने तथ्य बताये हैं उसमें कुछ कमी रह गई हो तो पूछ लें ।

श्री मोतीलाल चौधरी : आज भी वहां पर अमन नहीं है । ढाणियां, गांव खाली पड़े हैं । यह इस टाईम की न्यूज़ है । आज के दिन पुलिस से मार-पीट किये हुए सात, आठ आदमी जयपुर पहुंचे हैं । वे होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे । जिन लोगों को पुलिस की मारपीट की चोटें लगी हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था नहीं है । तीनों डॉक्टरों को मना कर दिया गया है कि इन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाय ।

तीसरी बात यह है कि पुलिस ने पहले हमला किया और उससे जिन लोगों को चोटें लगीं, उनके लिये कोई मेडिकल एड की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के गोली लगी है उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया ।

चौथी बात यह है कि ६ बजे मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे हैं जब कि मारपीट हो चुकी थी । उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कि इल्लीगल तरीके पर गोली चलाई । जनता को वे लोग अब भी पीट रहे हैं ।

५ वां नम्बर यह है कि वहां पर पहले आदमी भेज कर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कुछ लोगों के साथ कॉस्पीरेसी की है कि किन २ लोगों को अरेस्ट किया जाय और किन किन को पीटा जाय । तो क्या गलत तरीके से पुलिस के अधिकारी इस काण्ड में मिले हुए थे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक इन्फोर्मेशन यह है...........

Page No 20

श्री अध्यक्ष : इन्फोर्मेशन नहीं पूछी है । जो बात माननीय सदस्य की तरफ से कही गई है, इन्हीं पर तो सुचारू रूप से वैधानिक जांच होगी ।

श्री मोतीलाल चौधरी : ये बातें कहीं, ये बातें होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में उनकी सूचना में हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आपने बातें बताई, इसी बारे में तो जांच की जा रही है । मजिस्ट्रेट जांच करेंगे, ऊपर के अफसर जांच करेंगे । जो बातें आपने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुये जांच की जायगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या होम मिनिस्टर साहब इसको राजस्थान में एक असाधारण घटना समझकर खुद मौके पर जायेंगे, अच्छी तरह से जांच करवायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : कानून के लिहाज से सभी कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी थी । क्या इस बात की सूचना है कि यह सब झगड़ा जिस कारण से शुरू हुआ ? वह कारण यह है कि वहां के सरपंच ने वहां यह नोटिस दिया कि सारे महाजन अपनी बहिन-बेटियों को बाजार में लाकर खड़ी कर दें; नहीं तो उनके साथ मारपीट की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बात नहीं उठायें । इसकी जांच हो रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहा वह गलत है । मेरी रिपोर्ट के अनुसार कोई नोटिस नहीं दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट में नहीं है, पर जो वास्तविक बात है वह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मोतीलाल चौधरी : जिनको पुलिस ने पीटा है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था कर सकते हैं क्या ?

और दूसरी और बात यह है कि इस बारे में जुडिशियल एन्क्वायरी कराने को तैयार है क्या कि पुलिस ने पहले कॉन्सिपरेसी करके लोगों को पीटा ?

श्री अध्यक्ष : वह तो मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी हो रही है । डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था के बारे में तो मैं समझता हूं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : जिनको चोटें आई हैं वे हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उनका इलाज हुआ है । सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । एन्क्वायरी के लिये मैंने कहा है कि मैजिस्टिरियल एन्क्वायरी हो रही है । जब केस सब-जुडिस हैं तो ऐसी हालत में मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, …………

श्री अध्यक्ष : अब इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जायगा ।

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो सरदारशहर में जो दो मार्डर्स हुए उनके बारे में माननीय गृह-मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य बगैर नोटिस दिये ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय एक जगह के लिए तो बात कह देते हैं लेकिन दूसरी जगह के लिए....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! आपके इस तरह से बार बार कहने के लिए खड़े होने पर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। आप बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसको पक्षपात समझता हूं। होम मिनिस्टर साहब एक जगह के लिए तो उत्तर देते हैं और दूसरी जगह के लिए....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल न करें। मैंने आपको इस प्रकार की चीज उठाने की इजा-जत नहीं दी है। इस प्रकार बार बार बगैर अनुमति के किसी चीज को उठाना गलत है और नियमों के विरुद्ध है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का पक्षपात क्यों?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसको पक्षपात मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चाहे कुछ भी मानते रहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि मैं इसे पक्षपात मानता हूं यह मैं समझता हूं उन्होंने चेयर के लिए कहा है....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने अध्यक्ष के लिए नहीं कहा, बल्कि गृह मन्त्री के लिए कहा था। गृह मन्त्री महोदय एक जगह के सम्बन्ध में तो उत्तर देते हैं और उसके लिए स्टेटमेंट देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन दूसरी जगह के लिए, जिसके लिए हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। मैंने स्थगन प्रस्ताव में सरदार-शहर में हुए दो मर्डर्स के बारे में जिक्र किया था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इसमें गृह मंत्री द्वारा कुछ कहने की बात नहीं थी। मैंने ही उनको इजाजत नहीं दी। मेरी तरफ से आज्ञा दी जाती तो वे कुछ कहते।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी तरफ से........

श्री अध्यक्ष : आपको कोई हक नहीं कि हर समय आप कोई चीज उठाते रहें। आप सदन के सीनियर मेम्बर हैं। आपको ख्याल रखना चाहिये सदन की परम्परा का। इस

(श्री अध्यक्ष)

तरह से आप बार बार किसी एक प्रश्न को उठाते रहे तो सदन का कार्य चलाना असम्भव कर देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सदन की परम्परा जानता हूँ, लेकिन जो पक्षपात किया जाता है............

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप फिर कहते–कहते उठ जाते हैं क्या इसी को परम्परा कहते हैं ?

(११.५३.म. पू.)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १४(८) नियुक्ति (६) ५६ दिनांक २७ सितम्बर, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापन) ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापन करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि विधान सभा का सत्र जिस दिन प्रारम्भ हुआ व्यवस्था के अनुसार उसके दूसरे दिन इस प्रकार के जितने भी अध्यादेश हों, जिनके बारे में ऑर्डिनेन्सेज़ जारी किये गये हों सदन की मेज पर प्रस्तुत किये जाने चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं यह ऑर्डिनेन्स इतनी देर से रखने के क्या कारण है, इस पर प्रकाश डाल दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष (शिक्षा मन्त्री महोदय से) : आपके पास अध्यादेश के जो कारण हैं उनको पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के कारणों को भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक आपने अध्यादेश सदन की मेज पर क्यों नहीं रखा, यह जानना चाहते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : विदिन सेवन वीक्स रख देना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : रख देना नहीं, पास करा लेना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : पास करा लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सात सप्ताह के अन्दर पास करा लेना चाहिए, यह नियम। है लेकिन हमारे यहां की जो कन्वेन्शन रही है, परम्परा रही है उसके अनुसार कोई भी ऑर्डिनेन्स हो उसको सदन के प्रारम्भ होने के दूसरे दिन मेज पर रख दिया जाता है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस ऑर्डिनेन्स के बारे में इतनी तत्परता क्यों नहीं बतायी ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : मैं तो शिक्षा मन्त्रीजी से पूछ रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ मिनिस्टर जवाब दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लॉ मिनिस्टर तो यह बता सकते हैं कि कब रखा जाना चाहिए, लेकिन जो कन्वेन्शन्स १६५२ से ५७ तक और ५७ से ६२ तक रहे हैं, उस समय आप सम्मिलित नहीं थे, शिक्षा मन्त्रीजी मौजूद थे; इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस अध्यादेश उनसे के बारे में उन्होंने उन कनवेन्शन्स को कायम क्यों नहीं रखा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कन्वेन्शन्स की बात अलग है, नियम विरूद्ध कुछ नहीं।

(११.५५ म. प.)

लेखानुदान सम्बन्धी-प्रस्ताव

(सदन द्वारा स्वीकृति)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं लेखानुदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"That the respective sums not exceeding the amount shown in the fourth column of the schedule of Demands for Grants and Appropriation be granted to the Governor, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1963, in respect of the heads of demands entered in the second column there of against Demands Nos. I to XLVIII."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लेखानुदान के विषय में जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

(पुरःस्थापन – विचारार्थ लिया जाना तथा पारण)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग

(बालकृष्ण कौल)

(लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सम्पतलाल (मावली) : अध्यक्ष महोदय हमारे वित्त मंत्री महोदय ने वोट ओन अकाउन्ट पर बहस की बात कही इसके बारे में मैं अपने कुछ विचार प्रगट करना चाहता हूं। कल वित्त मंत्री महोदय ने जो शुगर कोटेड गोली हमको दी वह हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर लगी हुई शुगर कड़वी हो गई। यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कड़वी हो गई। आपने सब से पहले कपड़े पर जो बारदाना लगता है उस पर लगने वाले टैक्स को समाप्त किया। कपड़े के व्यापारी जो गांठ बांध कर कपड़ा लाते हैं उस पर जो लोहे की पत्ती लगती है वह पत्ती टैक्सबल है; उस पर आपने टैक्स चार्ज किया है। इस तरह से आपकी शूगर कोटेड गोली इसी से कड़वी हो गई, क्योंकि कपड़े की गांठ पर लगने वाली पत्ती को आपने टैक्स से मुक्त नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जो यह बारदाने पर टैक्स माफ किया गया है यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं; क्योंकि अगर कपड़े पर बारदाना माफ किया जाता है शूगर ने क्या कुसूर किया जो आपने उस पर लगने वाले बारदाने पर टैक्स माफ क्यों नहीं किया ? आपके द्वारा १३–१२–५७ को एक नोटिफिकेशन निकला था, उसके अन्दर सरकार ने कुछ चीजों पर टैक्स माफ किया है। उसमें कपड़ा भी था शूगर भी थी, तमाखू भी थी और भी कुछ चीजें थी। मैं यह चाहता था कि उन सब चीजों पर समान नियम लागू होता; क्योंकि जिस प्रकार आपने कपड़े पर लगने वाले बारदाने को कर से मुक्त किया है उस तरह से उन चीजों को भी मुक्त करना चाहिये। इससे कपड़े के व्यापारी को क्या राहत मिली ? आपने जो लिखा है उसके अनुसार यह है :

(१२ मध्यान्ह)

"चूंकि कपड़े पर कोई बिक्री कर नहीं है, इसलिए अब तक इनको महज बारदाने की बिक्री की वजह से बिक्री कर के सारे दस्तूर पूरे करने पड़ते हैं।"

लेकिन यह नहीं कहा गया कि दस्तूर माफ हो जावेगा; लाइसेन्स नहीं लेना पड़ेगा। फिर आपने यह रखा है कि पांच हजार का या थोड़ा सा भी माल बाहर से कोई मंगाता है तो सेल टैक्स की लाएबिलिटी जायज़ होती

(श्री सम्पतलाल)

है । तो इस तरह फिर सेल टैक्स की लाएबिलिटी तो उसकी रह ही जाती है। तो उनका लाइसेन्स आपने माफ नहीं किया । 'आराम,' इस तरह से जो आप कह रहे हैं, उसको कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि साल भर में मुश्किल से सब मिला कर दो सौ, तीन सौ रुपये का बारदाना उनका होता था और उस पर पांच-सात रुपया देना पड़ता था वह पांच-सात रुपया अब माफ हो गया; बाकी कोई सहूलियत नहीं हुई । पत्ती भी बारदाने के साथ साथ पैकिंग में आती है, उस पर से आपने टैक्स नहीं उठाया । उसके लिए तो व्यापारी को वही ओपरेशन करनी पड़ेगी । इसलिये निवेदन करता हूँ कि इस पर आप पुनर्विचार करें ।

फिर एक बात और है । यह बारदाना पैकिंग के रुप में सिर्फ कपड़े पर ही आता हो, ऐसा नहीं है, और भी अन्य चीजों पर आता है, नाज पर भी आता है । तो उनको माफ नहीं करके आपने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव किया है । यह इकतरफा कार्यवाही हुई है, वर्ग विशेष के लिए यह किया गया है । यह समझ में नहीं आती सरकार की भेद भाव की नीति ।

इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी समस्याएं थीं; जैसे ठेकेदार हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट से माफ हो गया टैक्स, पर आज भी····

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्,........'

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा था कि इन बातों पर वे बहस बजट की जनरल डिस्कशन में जाकर कर सकते थे इसके बाद ही ।

श्री भैरोंसिंह(किशनपोल,जयपुर): जनरल बजट की स्पीच और यह करीब करीब एक ही है । इसमें इतना जरूर है कि जनरल बजट से इसका अमाउन्ट थोड़ा है पर जो कर लगाने की सरकार की पॉलिसी है वह दोनों पर एक है ।

श्री अध्यक्ष : जिनके बारे में रियायतें दी हैं या नहीं दी हैं; उनके बारे में माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं जिनका जिक्र इस प्रोप्रियेशन बिल में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह वोट ओन अकाउन्ट्स एक तारीख से लागू हो जावेगा और बजट भी इसी तारीख से लागू होगा; दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे जो बातें अभी कह रहे हैं उनको अगर जनरल डिस्कशन ऑफ बजट के वक्त कहें तो ज्यादा विचार किया जा सकता है । इस वोट ओन अकाउन्ट पर भी वे बहस कर सकते हैं; यह उनको अधिकार है इस बहस का, पर इस वक्त उस चीज को खोला जावे ये मामूली चीजें हैं । वोट ओन अकाउन्ट को जल्दी से पास करना है इसलिए निवेदन करूंगा कि इस वक्त वे इस चीज को छोड़ दें और दो

(श्री बालकृष्ण कौल)

घंटे बाद पूरी डिबेट में वे जिक्र करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। उनको वैसे हक है; इस वक्त बहस कर सकते हैं। इसलिये प्रार्थना करता हूं कि वे उस वक्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सम्पतलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पार्टिक्युलर बातों में चला गया था। पर निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि हमने जो टैक्स लगाये हैं और जो माननीय मुख्य मंत्री ने चुनावों के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कहा था कि हमारे हारने का मुख्य कारण जनसंघ द्वारा यह ऐलान करना था कि वह बिक्री कर माफ कर देंगे। यह कह कर उन्होंने यह साफ तौर से स्वीकार किया है कि जनमत बिक्री कर बिल्कुल नहीं चाहता। इस पर मैं आशा करता था कि वित्त मंत्रीजी इसे समझेंगे और इस पर विचार करके इसे समाप्त कर देंगे और इस तरह से जनमत का आदर करेंगे; निरादर नहीं करेंगे। पर जब उनका भाषण सुना और टैक्सों की और सेल्स टैक्स की यह बात देखी तो ऐसा लगा कि यह सरकार अब भी जनमत का आदर करना नहीं चाहती। मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से लोगों को आज इन टैक्सों से दिक्कत है और किस तरह छोटा व्यापारी इन टैक्सों के भार से दबता जा रहा है।

पेज ४१ पर जो आपने बजट स्टडी दी है उसके, आपने प्राइस इन्डेक्स दी है। ५५–५६ में सौ के अंक पर आपने फूड आर्टिकल्स का १००. १ दिया है जो ६१ में १२५.५ हो गया है, जनरल इन्डेक्स ५६ में जो १०२.५ था वह ६१ में बढ़ कर १२५.१ हो गया है। तो इस तरह से कीमतें बढ़ती गई हैं। एक आपने कन्ज्यूमर्स इन्डेक्स दी है। फूड में ५६ में जो १२५ अंक था वह ६१ में १४३ हो गया है। जनरल ११६ था वह ६१ में १३४ हो गया। तो मंहगाई इस तरह से बढ़ रही है। उस पर आप टैक्स का बोझ और डाल रहे हैं।

आपका टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उससे छोटे मोटे व्यापारियों पर बहुत बोझ पड़ा है। आपने अनाज में दाल पर टैक्स लगाया है। हमारे यहां अधिकतर जनता अशिक्षित है। इस कारण सेल्स टैक्स की आपकी पेचीदगियों को और उसके हिसाब को ठीक तरह से रख कर टैक्स नहीं दे सकती और न सही प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार से जो आपके टैक्सेज़ हैं वे हर आदमी पर लगते हैं। छोटे से छोटा व्यापारी है, किसान है, हर आदमी पर बोझ पड़ा है, आपके इन टैक्सों का। अधिकतर गरीब पर बोझ पड़ा है; इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य को वैसे अधिकार है इस समय भी इस बात का डिटेल में जिक्र करने का। पर मैं निवेदन कर दूं कि यह वोट ओन अकाउन्ट्स कोई लम्बे समय केलिए नहीं मांगा जा रहा है और लम्बे अमाउन्ट के लिए भी नहीं मांगा जा रहा है। अगर वे इसको देखते तो शायद उनको बहस की आवश्यकता नहीं रहती इस समय। मैं अर्ज कर दूं यह एक महीने की वोट ओन अकाउन्ट की रकम मांगी है जो करीब १३ करोड़ की है।

Page No 27

(श्री बालकृष्ण कौल)

अब इस समय मैं सारी बातों का जवाब दूं तो बाद में भी मुझे कहना पड़ेगा। तो यह एक तरह से दोहराना हो जावेगा डिबेट का। इसलिये इस वक्त वोट ओन अकाउन्ट जैसा है उसको पास कर दीजिये। आपके सुझाव मुनासिब भी हो सकते हैं तो वे जब बजट की बहस सामने आवेगी और जब सारी डिबेट का जवाब दूंगा तो इन सब का भी समाधान कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६६२ (विधेयक संख्या १२, सन् १६६२) सदन के सामने प्रस्तुत है उसको विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६६२ को पारित किया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, एक सिद्धान्त का सवाल है। मुख्य बजट पेश न हो उस हालत में वोट ओन अकाउन्ट कैसे पास कर दिया जा सकता है ? इससे बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जावेंगी आगे चल कर। आज अगर इसे पास कर देते हैं और कल मुख्य बजट फेल हो जाता है या दूसरी तरह से संशोधन आ जाते हैं उसमें तो फिर इस वोट ओन अकाउन्ट का क्या मतलब रहेगा ?

अगर यह कहा जाय कि बजट तो पास हो ही जावेगा तो इसके माने यह हैं कि सरकार ऐसी परम्परा डालना चाहती है कि जो उसने अपने मन में धार रखा है वह तो चल ही जावेगी। तो इस तरह से इस सैद्धान्तिक बात को उठाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसे पारित नहीं किया जावे।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में सिद्धान्त का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य का यह कोई अपना सिद्धान्त हो।

यह तो एक मामूली सी बात है और रिवाज है हर जगह और कानून भी है कि जिस वक्त इस किस्म की उलझन आ जाती हो कि जनरल डिबेट के लिए समय नहीं बचा हो और चूंकि जनरल डिबेट में समय लगता है और चूंकि सरकारी मशीनरी को चलाने के लिये रकम तो चाहिये ही तो बगैर किसी प्रेजुडिस के थोड़ी सी रकम के लिए वोट ओन अकाउन्ट पास करा लिया जाता है। तो सिद्धान्त तो यह है। अब अगर कल आगे सारा बजट फेल हो जाय और दूसरी सरकार बन जाय तो वह अपना बजट रखे; सरकारी मशीनरी तो ठप्प न हो। वह चालू रहेगी तो दूसरी हुकूमत भी बन सकेगी; नहीं तो क्या कोई वेक्यूम में हुकूमत बनेगी ? इसलिये इस मशीनरी को चलाने के लिये इसे पास करना जरूरी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं निवेदन कर

Page No 28

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

रहा था, आपने एक महीने के लिये कन्सोलिडेटेड फण्ड से रकम मांगी और कोई भी आज्ञा इसके लिये आपको जल्दी में दे दी जाती है तो इसके माने यह होंगे कि आगामी बजट जो सदन में आने वाला है वह ११ महीने का होगा।

दूसरी बात यह है कि मेरे वित्त मंत्री महोदय ने इस बात की बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी कि गवर्नमेन्ट की मशीनरी तो चलती ही रहने देनी चाहिये। इसके लिये संविधान की और दूसरी दूसरी बातें मौजूद हैं, राज्यपाल यहां पर मौजूद हैं, विधान के अन्दर दूसरे दूसरे तरीके की व्यवस्था है जिनका अनुशीलन किया जा सकता है, अगर कोई भी एमर्जेन्सी आकर खड़ी हो जाये तो। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मसला बड़ा अहम मसला है और एक नयी परम्परा डालने वाली मिसाल है कि आधार नहीं है और उस आधार के बगैर ही ऊपर कोई कार्यवाही कर दी जाये।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, यह परम्परा या परिपाटी मैं नहीं डालना चाहता हूं। यह तो जब से डेमोक्रेसी चल रही है तब से है। लेकिन जो उन्होंने रास्ते सुझाये हैं राज्यपाल के ऑर्डिनेन्स के जरिये खर्चा चलाने के लिए, मैं समझता हूं कि जब सदन बैठा हो उस वक्त वह चीज चलाना गैरमुमकिन है। इसलिए ३१ तारीख के बाद कैसे हुकूमत चलेगी जब आपका बजट पास होगा २३ अप्रेल को? तो पहली तारीख से २३ अप्रेल तक कैसे खर्चा चले उस खर्चे को पूरा करने के लिए मैं सदन के सामने खड़ा हुआ हूं और सदन का जो एक अख्तियार है उस अख्तियार के जरिये मैं एक महीने के लिए खर्चा मांग रहा हूं। मैं नहीं समझता कि जिस सदन को पूरा अख्तियार है और अख्तियार ही नहीं बल्कि उसकी शान है कि यहां के खर्चे को पूरा पास करे उसके बजाय मैं इन्तजाम करूं कि गवर्नमेन्ट मशीनरी पैरेलाइज़ होने लगे और मैं गवर्नर के पास जाऊं कि आप एक ऑर्डिनेन्स निकालें। हम लोग इतने पैरेलेटिक हो गये हैं कि हमारा काम हम नहीं चला सकते। मैं कहता हूं कि हम हमारी शान को न भूलें और जब आप सैशन में हैं तो अपनी चीज खुद करें। आगे जिनके ऊपर बहस करना हो उसके लिए प्रेजुडिस न हों और उसके ऊपर जब बहस होती है जब कि वोट ओन अकाउन्ट नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

बजट पर सामान्य वादविवाद

(१२.१३ म. प.)

आय-व्ययक १९६२-६३ पर सामान्य वाद-विवाद

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण के अन्दर राजस्थान की आर्थिक समस्या के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। परन्तु उनके बजट में इस संबंधी कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। मैं समझता हूं कि अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राज्य की जीवनी शक्ति अर्थव्यवस्था से ही उत्पन्न होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि आर्थिक स्वतंत्रता हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि हमारा राज्य आर्थिक रूप से एक संकटकालीन स्थिति के अन्दर गुजर रहा है। हम लगातार कर्जा लेते जा रहे हैं, हम घाटे के बजट बनाते जा रहे हैं। कर्जा धीरे धीरे हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है और एक दूसरी प्रक्रिया जो देश में व्याप्त है वह इनफ्लेशन है कि जो हमारी योजना का अविभाज्य अंग है; इनफ्लेशन एक वह स्थिति है कि जब "too much currency is chasing too few goods" अर्थात् माल की अछत और नाणे की बहुतायत होती है तब इनफ्लेशन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इनफ्लेशन एक हद तक हमारे प्लान में यदि है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उसे बर्दाशत किया जा सकता है, परन्तु जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं के ऊपर दिनो दिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार कोई भावों के ऊपर कब्जा नहीं पा सकती, जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं दिनो दिन मंहगी होती जा रही हैं और लोक सभा के अन्दर खाद्यमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री और हमारे माननीय प्रधान मंत्री तक बराबर यह कहने के बजाय कि जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं पर हम काबू पायेंगे। काबू यदि नहीं पाया जा सकता तो मैं यह विचार सदन के समक्ष रखने का अधिकार रखता हूं कि इस योजना के अन्दर कुछ न कुछ खामी है, कुछ इनहेरेन्ट डिफेक्ट है हमारे इस बजट के अन्दर और मैं यह भी मानता हूं कि "अति सर्वत्र वर्जयेत्" के सिद्धान्त के अनुसार यदि हम बहुत ज्यादा इनफ्लेशन की प्रक्रिया को बढ़ायेंगे, बहुत ज्यादा डेफिसिट फाइनेन्सिंग करेंगे। बहुत ज्यादा कर्जा लेंगे और बहुत ज्यादा कागज के नोट छापें तो हम योजना सफल नहीं कर सकेंगे। इसके अन्दर हमारे सामने दिक्कतें कई ऐसी आयेंगी कि जिनको रफा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जायेगा। हम जिन आंकड़ों के ऊपर चलते हैं वे आंकड़े भी, मेरा यह विचार है कि काबिले इत्मिनान, काबिले एतबार, यानी काबिले विश्वास के नहीं हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब श्री रफी अहमद किदवई केन्द्र के खाद्य मंत्री नियुक्त हुए तो बहुत से आंकड़े जो योजना के अन्दर आ चुके थे उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे आंकड़े काबिले एतबार और काबिले भरोसे नहीं थे। हमारे पास जो बहुत से आंकड़े हैं, बहुत सी जो मालूमात हमारे सामने हैं उनके लिए नहीं कह सकते कि किस हद तक विश्वास करने के काबिल हैं। मुझे तो यह व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि अधिकांश आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं वे काबिले विश्वास के नहीं हैं।

माननीय वित्तमंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय, अपने कल के भाषण के अन्दर जो तखमीने सरकार द्वारा निश्चित किये गये थे उसके ऊपर भी विवरण करते हुए प्रकाश डाला है। उसके अनुसार भी मैं कह

Page No 30

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकता हूँ कि हमारे बहुत से जो आंकड़े हैं वे काबिले विश्वास के नहीं हैं। हमने बजट के अन्दर जो आंकड़ों की तुलना करके एस्टीमेट्स रखे हैं उनसे कई गुना अधिक वाकई खर्च हो चुका है और अगर हम इस तरफ देखें तो मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे आंकड़े काबिले भरोसे के नहीं हैं। तखमीने जिनका वित्तमंत्री के भाषण के अन्दर पृष्ठ ४ के ऊपर जिक्र है उसमें उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है:

"In assessing the resources for the Third Plan, it was estimated that a sum of Rs. 4 crores would be required to improve emoluments of Government servants. But this estimate has turned out to be an under-estimate in as much as the adhoc increase of Rs. 5/ in the dearness allowance granted to low-paid employees from 1st July, 1962 will alone amount to an additional expenditure of Rs. 5 crores the number of such employees getting total emolument up to Rs. 300 per month beimg about 1,75,000/."

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर हमें आंकड़े इस अन्दाज से तखमीने के अन्दर बांधने थे कि हमारा तखमीना चन्द लाख अगर इधर-उधर हो तो हम मान सकते है, परन्तु इस तखमीने के अन्दर आगे जाकर और वित्त मंत्री के भाषण के अन्दर यह है-

"Thus rationalisation of Pay Scales will ultimately cost the Government a total amount of Rs.- 7. 86 crores by the end of the Third plan."

कहां ४ करोड़ और कहां पौने आठ करोड़ ? ये आंकड़े अगर देखे जायें तो तखमीने के हिसाब से खामियों से भरपूर हैं। आगे जाकर १६ वें पैरेग्राफ के अन्दर यह लिखा है :

"The net result is that, whereas the deficit on Revenue Account was originally estimated at Rs. 93 lakhs, the revised figure is as high as Rs. 503 lakhs, out of which of course the sum of Rs, 137 lakhs is due to capitalisation of Revenue."

आगे फिर और जाकर १९वें पैरेग्राफ में है :

"As regards Loans and Advances by the State Government, the net balance appearing in the Budget Estimates of 1961-62 was (-) Rs. 618 lakhs. The Revised Estimate is (-) Rs. 700 lakhs."

यह वित्त मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि बहुत से आंकड़े जो हमारे बजट के अन्दर हैं वे अन्डर-एस्टीमेशन की तरफ ज्यादा झुकते हैं; बनिस्पत ओवर-एस्टीमेशन के-अन्डर-एस्टीमेशन आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार मैं समझता हूं कि fault on the wrong side है, बनिस्पत हमारे ओवर-एस्टीमेशन के। जो कुछ हद तक हम यह मान भी लें कि fault on the right side है तो हम को यह सबसे पहले सोच कर आगे चलना चाहिए कि हम जो कुछ भी हमारे आंकड़े रखें वे सोच-समझ कर रखें और ऐसा बजट न रखें जैसाकि सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स ऑफ ग्रान्ट्स, कल जो करोड़ों रुपयों की और भी मांगी गई। इस प्रक्रिया को हमें चाहिए कि रोकें और अगर हम ऐसी गल्तियों पर काबू पा सकते हैं तो हम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी कुछ हद तक विशेष सुचारु रूप से चलाने की आशा रख सकेंगे।

टैक्सेज़ के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने पैरा ५१ में कहा है कि लगभग १२८ लाख रुपये के टैक्स और विशेष लगाये जायेंगे। यदि इन १२८ लाख रुपयों के टैक्सेज़ की तुलना की जाय तो आज हमारी केन्द्रीय सरकार से by way of subsidy, by way of loans, by way of Charity and mercy या जो कुछ भी कहें, दान के रूप में अगर १५ करोड़ हम पा सकते हैं तो थोड़ा बहुत हम गिड़गिड़ा कर और १५ से १६ या १७ भी कहें तो हमें प्राप्त होंगे। मैं यह समझता हूँ कि यह विशेष कर लगाने का कोई महत्व नहीं है जब कि हम केन्द्रीय सरकार के द्वारा हमारी आर्थिक समस्या की जितनी भी आपत्तियां हैं वे सुलझा सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि वैधानिक दृष्टिकोण से देश में एक फेडरेशन नहीं है, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर्थिक समस्या हमारी है, मैं समझता हूं कि हम एक युनिटरी स्टेट हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि हम युनिटरी स्टेट हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे देश के अन्दर ५ या ६ ही राज्य हों। लेकिन वह विषय अलग है। मैं समझता हूँ, मुझे इस ओर कुछ नहीं कहना है। परन्तु वैधानिक दृष्टिकोण से यदि हम फेडरेशन हैं तो हम अपने आपको एक राज्य के रूप से कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम Statehood enjoy नहीं करते हैं। हमारे पास कोई ऐसाएट्रीब्यूट ऑफ स्टेटहुड आर्थिक रूप से नहीं है जिसके द्वारा हम यह अपने आपको कह सकें कि हम एक स्टेट हैं, हमारे पास एक ऑटोनोमी है, हम इतने अधिकार स्वतन्त्रता के रखते हैं कि जो विधान के अन्दर हमें प्राप्त हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर हमारी आर्थिक परतंत्रता इस हद तक है कि हम सिवाय केन्द्र की मदद के कुछ कर ही नहीं सकते तो अध्यक्ष महोदय, हरेक राष्ट्र या राज्य एक सद्गृहस्थ के नाते आप जो कुछ भी कहें मैं तो समझूंगा कि राज्य भी एक सद्गृहस्थ के उदाहरण के अनुसार ही है। यदि कोई सद्गृहस्थ आवश्यकता से अधिक, मान लीजिये कि उसकी आमदनी है १०,०००) रु० और उसके ऊपर कर्जा के दो लाख रुपये हों तो उसको सोल्वेन्ट सद्गृहस्थ कहेंगे ? उसको आप कैसा सद्गृहस्थ कहेंगे ? मैं तो यदि यह अनपार्लियामेन्ट्री शब्द नहीं हों तो कहूँगा कि वह दिवालिया है। तो हमारी राजस्थान राज्य भी आर्थिक समस्या को लेकर, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार समझता हूं, दिवालिया राज्य है

मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के दौरान में यह निवेदन किया था कि हमारी योजनाएं ओवर एम्बीशियस हैं। मैं इसी बात को फिर दोहराने की चेष्टा करूंगा। मैं स्पष्टतया यह अनुभव करता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े हैं, जो हमारे सामने मुद्दे हैं, जो भी ध्येय लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पायेंगे। हम अर्थरूपेण धीरे धीरे एक गहरी खाई के अन्दर घुस रहे हैं और हमारी आर्थिक समस्या दिनोदिन और विषम होती जा रही है, न कि सुधरती जा रही है।

Page No 32

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह माननीय वित्त मन्त्री के भाषण से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। मैं मानता हूं कि कि हमारी यह योजना केन्द्रीय योजना से को-रिलेटेड है, उससे बहुत निकटत्तम सम्बन्ध रखती है और इस सम्बन्ध में हमारे अधिकार भी जो केन्द्र के आदेश हैं उनके अनुसार हमारी नीति को चला कर हम अपने अधिकारों को काम में ला सकते हैं। हमारी योजना एक एग्ज़िबिशनिस्ट टेन्डेन्सी रखती है। आज हमारा राजस्थान जैसा कहा गया है, रूप रूड़ा गुण वायरा रोइड़े रा फूल" के अनुसार हमारी यह योजना है वह एक तरह की विन्डो ड्रेसिंग के रूप में है। हम नहीं कह सकते यह ज़ानकर कागज में लिख कर ऐसी चेष्टा की है कि हमारी योजना को पूर्ण रूपेण सफल कर पायेंगे। मेरी पार्टी का यह ध्येय है कि चाहे कोई भी योजना हो, हम हमारी आर्थिक समस्या को इतने संकट में नहीं डालें जिससे हमारी पीढ़ियां, हमारे बेटे-पोते इस कर्जदारी की स्थिति से ऋण मुक्त न हो सकें। "कट दी कोट एकोर्डिंग टू दी क्लोथ"; यह सिद्धान्त हमारी पार्टी का है। हम चाहते हैं कि डेफिसिट फाइनेन्सिंग भी हो, लोन्स भी लिये जांय लेकिन हमारी हैसियत के उपरान्त कर्जा नहीं लिया जाय, डेफिसिट फाइनेन्सिंग नहीं किया जाय ताकि हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कोई न कोई काबू रख सकें और हमारा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो दिनों दिन पिसता जा रहा है उसको योजना के रूप में कुछ न कुछ ऐसा बता सकें जिससे उसको संतोष हो।

अध्यक्ष महोदय, १४ वर्ष के शासन के पश्चात-भी यदि हमने जलालत, भुखमरी, मंहगाई को देखा तो मैं यह समझता हूँ कि हमारी योजना के अन्दर कोई न कोई ऐसी कमी है जिसके द्वारा हम अपने गरीब और मध्यम श्रेणी के वर्ग को जो पिस रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं दे सके जिससे उनको शान्ति और संतोष का अनुभव हो सके।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के दौरान में कहा कि विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि एक तरफ टैक्स मत लगाओ, एक तरफ कर्जा मत करो और दूसरी तरफ बार बार यह कहते हैं कि विकास के कार्य में यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, इत्यादि। तो टैक्स एक हद तक लगाना परम आवश्यक है, यह मैं मानता हूँ। लेकिन सीमा से अधिक टैक्स लगाना अनुचित है, अनावश्यक है; यह भी इसके साथ साथ मैं मानता हूं और यही मेरी मान्यता कर्ज के सम्बन्ध में है। विकास के सम्बन्ध में भी यही मेरी पार्टी की मान्यता है कि 'कट दी कोट अकोर्डिंग टू दी क्लोथ अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी और उनके मन्त्री महोदयों को यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक दिन निकट भविष्य में अवश्य और अवश्य आयेगा जब उनको यह कटु अनुभव होगा कि 'कट दी कोट अकोर्डिंग टु दी क्लोथ' के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। मैं कोई इकोनोमिस्ट नहीं हूँ, कोई टैक्निकल एक्सपर्ट, फाइनेन्शियर या अर्थ शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन यह तो एक मामूली सामान्य विचार की बात है, ऑर्डिनेरी ब्रोड कोमनसेन्स के एथिक्स की बात है कि हम जिसे नहीं कर सकते उसे यदि करने की चेष्टा करेंगे तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकती । हम क्या करते, क्या नहीं करते । आज के १४ वर्ष के शासन के पश्चात् मैं यह अनुभव करता हूं कि राजस्थान की समस्या एक बहुत कठिन समस्या है, लेकिन यह तो शासनारूढ़ दल के लिये है कि समस्या का हल ढूंढे। यदि हम शासनारूढ़ दल होते तो, जैसा कि शासनारूढ़ दल की बेन्चेज़ से एक माननीय सदस्य ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं तो वाकई अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अंगूर मीठे होते तो मैं मानता हूँ कि वे मीठे अंगूर कोई मिठास नहीं देते, यदि ट्रेज़री बेन्चेज़ पर हम बैठे होते । लेकिन एक हद तक उत्तरदायित्व कांग्रेस शासन का है जिसने १४ वर्ष तक लगातार इस राज्य में राज्य किया । मैं मानता हूँ कि उनके सामने समस्यायें आईं । जागीर की समस्या आई, दूसरी भी आईं, उनको उन्होंने रफा किया, ठीक तरह से रफा किया । लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहता हूं कि जो कुछ किया उससे कांप्लेसेन्सी अनुभव नहीं होना चाहिये । यह मान लें कि जो कुछ किया अच्छा किया । मैं तो यह कहता हूं कि 'ऑल देट ग्लिटर्स इज़ नोट गोल्ड', मोस्टली देट ग्लिटर्स इज़ नोट गोल्ड । आपको चाहिये कि अर्थ समस्या को सुधारने के लिये ठोस कदम लें । केन्द्र को आप पुरजोर रूप से, बिना डर और लाग-लपेट के कह सकते हैं कि यह जो योजना का सिद्धान्त है वह हमारे लिये मुफीद नहीं है, मुजीर है, हम इसे नहीं चाहते । पहले के राजाओं के काल में, ब्रिटिश शासन में गवर्नर्स और वाइसराय बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि यह ठीक बात नहीं है राज्य इसे कभी नहीं करेगा । तभी तो राज्य की कुछ हद तक ऑटोनोमी और स्वतन्त्रता है । मैं मानता हूं कि प्रधान मन्त्री एक बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन यह सम्भव नहीं कि वे जो कुछ करें वह ठीक है । आज राजस्थान राज्य पर पूर्ण उत्तरदायित्व है लेकिन यदि उनकी विचारधारा ठीक नहीं है तो राज्य के मुख्य मन्त्री और मन्त्री मण्डल की तरफ से स्पष्टतः प्रधान मन्त्रि-को कहा जाय कि आपकी यह योजना है, जिसे आप हमारे राज्य पर लागू करना चाहते हैं वह अमुक कारणों से ठीक नहीं है और उसमें परिवर्तन होना परम आवश्यक है ।

मेरी पार्टी का जिस हद तक इस योजना से सम्बन्ध है, सिद्धान्ततः कांग्रेस से कोई मेल-जोल नहीं खा सकती । योजना के अन्दर स्टेटिज़्म एक अनिवार्य वस्तु है । राज्य ही व्यापार करे, राज्य ही शासन करे, राज्य ही खेती करे, राज्य ही सब कुछ करे । यह जानते हुए कि ये जो बातें राज्य करना चाहता है उससे आधी भी पूरे तौर से और सुचारू रूप से नहीं कर सकते तो हम स्टेटिज़्म के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । हम स्टेटिज़्म को नहीं चाहते; क्योंकि हमने अनुभव किया है कि स्टेटिज़्म के द्वारा करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और शासन के अन्दर कई तरह की कमियां आई हैं । लेकिन विरोधी पक्ष के नाते इसके साथ साथ हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य है कि विकास कार्य में जो कमियां हैं, हम नम्रतापूर्वक सच्ची और खरी बातें अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार सरकार के सामने रखें ।

वे चाहें तो मानें, वे चाहें तो उसको नहीं मानें । उनके लिमिटेशान्स हैं, उनकी मजबूरियों को भी मैं अनुभव कर सकता हूं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्योंकि केन्द्र से कई ऐसी समस्यायें हैं कि इस सम्बन्ध में वे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते और वे अनुभव भी करते होंगे कि उनको यह मजबूरन करना पड़ता है। यह ठीक नहीं है तब भी कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके कि केन्द्र के आदेश का पालन किया जाय। तो हम हमारी बुद्धि के अनुसार हम राजस्थान के हित के अन्दर जो कुछ भी सम्भव है वह एक विरोधी पक्ष के नाते रख सकते हैं, एक सत्तारूढ़ दल के नाते नहीं रख सकते हैं। और हम यह नहीं कह सकते कि वह मानें, या नहीं मानें और हम सत्ता में आयें तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो विरोधी पक्ष के नाते हम हमारा पुनीत कर्त्तव्य समझते हैं कि समस्यायें हमारी समझ में आयें हमारे राज्य के हित के लिए, वे आपके समक्ष रखें।

योजनाओं के अन्दर एक सिद्धान्त की बात यह भी हुआ करती है जिसे कहते हैं प्रायोरिटीज़। मैं समझता हूं कि जो राजस्थान के लिए और हमारे देश के लिए प्रायोरिटी के अन्दर, किसी योजना की प्रायोरिटी के अन्दर सबसे प्रथम एक समस्या है और वह समस्या है दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी की समस्या। विभाजन के समय हमारे भारत की जन-संख्या ४० करोड़ थी, विभाजन के पश्चात् ३० करोड़ रह गई। वह आज ४३ करोड़ तक पहुंच चुकी है और दूसरे २० वर्षों में १ करोड़ १० लाख सालाना हम बढ़ रहे हैं। हमारी जनसंख्या १६८० तक २० करोड़ और बढ़ जायगी अर्थात् युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की १८ करोड़ की पोपुलेशन है, हमारी भी उतनी नेट इन्क्रीज़ इन पोपुलेशन २० वर्षों में हो जायगी और वह देश हमारे देश से तीन गुना विस्तृत है। हम कैसे इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं, जब तक कि इस संबंध में हम सर्व प्रथम विचार न करें? हमारी योजनायें सर्वथा असफल होंगी यदि हम इस संबंध में विचार न करें। हमारी जन-संख्या राजस्थान के अन्दर डेढ़-ढाई लाख सालाना बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आप सोच सकते है कि हम चाहे जितना भी खर्च करें, हम चाहे जितनी भी योजनायें बनायें लेकिन इस समस्या के सम्बन्ध में यदि हम विचार नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि अजमेर का सारा शहर हर साल राजस्थान को नया मिल जाता है। आप सोचिये, यह एक मामूली बात नहीं है।

१४ वें पेज पर माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है:—

"My humble request to those who oppose taxation is to view things in this context and support all concrete measures to meet the growing expenditure on the work of development and on the growing needs of a 'growing population.' Mere arguments against taxation would not be of much help."

मैं इन शब्दों से सहमत होने में विवश हूं। हमारी टैक्स की योजना जो कुछ है वह तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेन्ट है, बिल्कुल एक छोटी से छोटी समस्या है। हमारी नीड ऑफ इन्क्रीज़िंग पोपुलेशन की समस्या है, वही समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको उदाहरण दूं—यह समस्या जापान के अन्दर थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करेंगे, यदि मैं अनपार्लियामेंटरी शब्द यूज़ करूं, इस काम में लूं; लेकिन जापानी खुद कहते थे–"We are breeding like rats." लेकिन आज इस समस्या पर उन्होंने काबू किया। आज जापान की समस्या, जनसंख्या, जो बढ़ती जा रही थी, उसके ऊपर वे काबू पा चुके है। और कोई आश्चर्य नहीं कि इस समस्या का हल वे इस ढंग से निकाल सकें कि जिस ढंग से फ्रांस ने निकाला। तो मैं आपको यह पुरजोर निवेदन करूंगा कि कोई हर्ज नहीं अगर आप अपना बहुमत भी खो दें लेकिन यह एक समस्या ऐसी है कि जिस सम्बन्ध में हम आपको पूरा सहयोग देंगे। इस समस्या के ऊपर आपको दृढ़तापूर्वक, बहादुरी के साथ और दूरदर्शिता के साथ काम लेना चाहिए; प्रचार से, दूसरे प्रलोभनों से और पर्सुएशन से। मैं तो कहता हूं कि लेजिस्लेशन से तो कभी नहीं लेकिन कोअर्शन से हो सके तो भी मेरे ख्याल से यह सर्वथा उचित होगा क्योंकि राजनीति के हथकंडे हर तरह के हैं। हमको बहुत बिटर पिल को स्वेलो करना पड़ेगा। यह टैक्स को बिटर पिल नहीं है, यह बिटर ऑफ ऑल बिटरेस्ट पिल्स है। आप देखते हैं कि १४ वर्ष की आजादी के पश्चात् हमारे हजारों क्या लाखों नागरिक बड़े बड़े शहरों के अन्दर, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, फुटपाथों के ऊपर रात-दिन पड़े हुए रहते हैं; उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं है। तो यह हमारे स्वतन्त्र देश के लिए लज्जास्पद बात है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह आजादी नहीं, बर्बादी है। इसलिए इस योजना में हम इस तरफ विशेष ध्यान दें तो अधिक ठीक होगा।

मेरी पार्टी कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में भी एक विभिन्न विचारधारा रखती है। माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मैं यह समझता हूं कि सम्भवतया मैं गलत होऊं, लेकिन हमने २५ करोड़ रुपया कोऑपरेटिव फार्मिंग के अन्दर इन्वेस्ट किया है। अगर यह बात ठीक है, मेरे पास कोई मौजूदा सुबूत नहीं लेकिन मेरे पास एक पेम्फलेट है, लिट्रेचर के रूप में है, एडवर्टाइज़मेंट के रूप में है जिसे मैं मेरे साथ लाया हूं। मैं कोई ऑथोरिटी से नहीं बोलता हूं लेकिन इसमें लिखा है; Issued by the Govt. of Rajasthan "Few main features of third five year plan, distribution of Rs. 25 crores as loans as short and medium term and 9 crores as long term organisation for 4,500 service co-operatives revitalisation of one thousand small sized credit societies, 50 branches of central co-operative bank........." कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव फार्मिंग यह कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव फार्मिंग है। अगर इसकी प्राकृतिक रूप में उत्पत्ति होती है तो हम इसका विरोध नहीं करते लेकिन बाई लेजिस्लेशन अगर यह चीज आप हमारे राज्य के अन्दर लाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। यह प्रकृति के नियम के विपरीत है कि एक किसान, जिसकी प्यारी जमीन है, जिसके लिए वह एक बीघा के लिए पांच-पांच, दस-दस साल तक अदालत के अन्दर लड़ता है.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह लेजिस्लेशन से नहीं लाया जा रहा है, यह रिपीटेडली कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा है— लेजिस्लेशन से नहीं होगा, नहीं होगा लेजिस्लेशन से। आपका डर गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे बड़ी खुशी हुई यह सुन कर कि लेजिस्लेशन से नहीं लाया जायगा।

परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में उत्तर देते समय यह कहा था कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग और सीलिंग लावेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री): मैं यह निवेदन कर दूं कि सीलिंग तो पहले ही पास हो चुका है, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑपरेटिव फार्मिंग में मैं विश्वास करता हूं, यह कहा था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोऑपरेटिव फार्मिंग में विश्वास करता है शासनारूढ़ दल और मैं उसमें विश्वास नहीं करता और जब मैं उसमें विश्वास नहीं करता तो जब मुझे उसमें किसी प्रकार की शंका है तो पहले से प्रीवियस वार्निंग समिट कर दूं तो कोई एतराज नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है तो आपको क्या एतराज हो सकता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले सर्विस कोऑपरेटिव से शुरू करें। गवर्नमेंट की तरफ से जब सफलता 'ग्रो मोर फूड' में मिलेगी तो लोग उसको अपनाने लगेंगे। तो सर्विस कोऑपरेटिव फार्मिंग के द्वारा लोगों को बता कर आप कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन दीजिये। इसके लिये पहले आप कोई योजनाबद्ध प्रोग्राम बनावें। आपके पास कोई योजनाबद्ध प्रोग्राम नहीं है। आप आंख मीच कर करोड़ों रूपये वेस्ट कर रहे है। आपको चाहिये कि सर्विस कोऑपरेटिव द्वारा कोऑपरेटिव फार्मिंग को एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर लागू करें और अमुक अमुक जिलों में लागू करें और सारे राज्य में उसकी खिचड़ी न बनावें। लोग इस कोऑपरेटिव फार्मिंग को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिस पर रूपया लेकर बैठ जावें और जब उनको रुपया वापिस देने का समय आवे तो वे उसको वापिस न दे सकें। वे लोग रूपया कर्ज लेकर विवाह और शादियों में खर्च कर देते हैं और फिर हाय हाय करते हैं और वह रुपया राज्य सरकार को नहीं दे सकते। आपकी यह कोई योजनाबद्ध कार्यवाही नहीं है। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को कानून के द्वारा या राज्य के द्वारा न लगाया जावे। यह कोऑपरेटिव मूवमेंट तो stage of evolution of the people है। जनता जब चाहे तब आप इसको काम में ले सकेंगे। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन यह है कि सर्विस कोऑपरेटिव को इसके साथ को-रिलेटेड करिये और एक्सपरिमेन्टल बेसिस पर इस योजना को कार्य रूप में सर्विस कोऑपरेटिव से शुरू करें तो ठीक होगा; अन्यथा यह करोड़ों रूपयों का वेस्टेज है। ये करोड़ों रूपये फिजूल खर्चे में जा

(महारावल लक्ष्मणसिंह)

रहे हैं।

इसके अलावा जैसा कि कल नेशनलाइज़ेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट के बारे में जनसंघ के नेता ने कहा मैं उनका समर्थन करता हूँ। राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह है कि उसके अन्तर्गत, उस योजना के द्वारा जनता और राज्य को दोनों को लाभ पहुंचे। यदि उससे राज्य को लाभ नहीं पहुंचता या जनता को उससे लाभ नहीं पहुंचता तो वह नेशनलाइज़ेशन क्या हुआ? वह नेशनलाइज़ेशन का तो denotation and connotation नहीं है; वह तो muddle-headed thinking है। सर्विस कोऑपरेटिब्ज़ के बेसिस पर कोऑपरेटिव फार्मिंग लागू करना चाहिये; वैसे ही नेशनलाइज़ेशन ऑफ मोटर को partially nationalise करें वहां प्राइवेट बस मालिकों को भी बसें चलाने दें और अगर वे सुचारू रूप से काम चला सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं और जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि नेशनलाइज़ेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी मजबूरी हो और आपको ऊपर का आदेश हो तो आप अपना जी चाहे जैसा करिये। लेकिन हमारी जनता को यदि नेशनलाइज़ेशन से फायदा हो नहीं रहा है तो वह नेशनलाइज़ेशन so called on paper है।

श्री रामानन्द (अलवर) : यदि किसी नेशनलाइज़ेशन से जनता को और राज्य को दोनों को लाभ होता है तो आपको स्वीकार है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बात हो नहीं सकती।

श्री रामानन्द : आप उसे स्वीकार करते हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम स्वीकार करते हैं।

श्री रामानन्द : बैंकिंग और इन्श्योरेन्स के नेशनलाइज़ेशन को आप सपोर्ट करेंगे?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो गवर्नमेन्ट की नीति है। हम उसका समर्थन करेंगे।

श्री रामानन्द : I welcome the statement of the leader of the Swatantra party for the nationlisation of Banking and Insurance and I would request him to raise this point in the House of people through his own leaders.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : There are no two opinions about it so far as I am concerned.

श्री रामानन्द : Is it your individual opinion or your partys opinion?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is my individual opinion and so far as I know it is the opinion of my party also. If the nationalisation runs amuc and if the State Governmena runs amuck with that then my argument with redoubled force applies with that. It is not nationalisation, it is muddle headed thinking.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे बहुत सारे रुपये फ़िजूलखर्ची में माननीय मंत्रियों पर भी जा रहे हैं। ब्रिटिश रीजीम में जब पाकिस्तान नहीं था; बर्मा, सिक्किम, भूटान हमसे अलग नहीं था, उस समय ११ एग्ज़िक्यूटिव के सदस्य थे और एक वाइसराय शासन करता था। तो हमें कोई न कोई इस सम्बन्ध में हैल्दी कन्विक्शन्स बनाने चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों में से ५ प्रतिशत की तादाद तक मन्त्री बनें। जैसे केन्द्र में ५०० लोक सभा के सदस्य हैं और २०० राज्य सभा के सदस्य हैं तो वहां पर २५ मन्त्री और ज्यादा से ज्यादा ३०मंत्री बनें। राजस्थान में सरकार के ९ मन्त्री और उप-मन्त्री एक कम्पेक्ट केबिनेट के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। और ९ मंत्रियों की केबिनेट बना सकते हैं। मैंने सुना कि यू. पी. में बहुत सारे लोगों की एक बैटेलियन की बैटेलियन मंत्रि-मण्डल में व पार्लियामेंट्री सेक्रेट्रीज़ आदि के रूप में बनाये जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में यदि आपकी हिम्मत हो तो इस पर भी विचार किया जावे। हमारे यहां विधान सभा के १७६ सदस्य हैं। उस हिसाब से यहां पर ६ मन्त्री और तीन उप-मन्त्री बनावें तो राजस्थान का काम भी चल सकता है और बचत भी हो सकती है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि माननीय मन्त्रियों को यह भी चाहिए कि भत्तों की बचत पर भी ध्यान दें। वे १५ दिन यहां काम डट कर करें और १५ दिन दौरा करें तो मेरे ख्याल से उनका काम सुचारू रूप से चल सकता है।

मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान उनके भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं और वह १२ वें पेज पर है :

"It is proposed to tighten the collection and realisation machinery and observe the strictest economy in non-Plan expenditure."

यह मैं cohesive cabinet के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

मेरी पार्टी गांधीजी के सिद्धान्तों के अन्दर विश्वास करती है कि 'Least rule is the best rule' 'Simplest rule is the best rule' बहुत सारे कानूनों की भूलभूलैया और बहुतसारे प्रशासनिक कायदे अगर आप लागू करेंगे तो आज हमारी भोली भाली अशिक्षित जनता के लिए वह एक भूल-भुलैया सी चीज बन जाती है। यही राय पहले के गवर्नरों की थी, पहले के राजाओं की थी जो प्रशासन के सम्बन्ध में अनुभव रखते थे। तो मेरा यह निवेदन है कि आप अपने कानून ऊल-जलूल या उलझनों के न बना कर साधारण और सीधे बनायें ताकि जनता इनको समझ सके और उनके अनुसार वह समझ कर चल सके।

मैं यह भी समझता हूं, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं डालना चाहता पर मैं यह अनुभव करता हूं कि शासन के अन्दर आज कुछ ऐसी बातें आ गई हैं कि जिनके अन्दर Power to do harm, lower down ज्यादा हद तक दिखाई पड़ती है। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूं कि मान लिया

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जाय कोई लोअर डिविज़न क्लर्क रिश्वत खाकर छोटा सा नोट मिसल पर रख देता है तो ६० प्रतिशत ऐसे मामलात में उस रिमार्क के अनुसार मिस्ल की इब्तदाई कार्य-वाही मन्त्रिमण्डल तक पहुंचती है, उसका डिविज़न मन्त्रि मण्डल के द्वारा हो तो हो, नहीं तो सब लकीर के फकीर बनते हैं। तो शासन के सिद्धांत के अनुसार यह चीज नहीं होनी चाहिए, यह लेक्सिटी है, रेडटेपिज्म है इसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ब्रिटिश शासन में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मैं यह नहीं कहता कि वह शासन बहुत अच्छा था, मैं यह नहीं कहता कि आज का शासन बहुत ही बुरा है, लेकिन उसमें कोई खूबियां और अच्छी बातें थी तो उनको हम क्यों नहीं लें ?

मैं यह समझता हूं कि पॉवर ऑफ डिस्पोज़ल के सम्बन्ध में भी हमको हमारे कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो कर्मचारी मिसलों को समय पर फैसला कर दें, या निकाल सकें उनको प्रोत्साहन दिया जाय, बनिस्पत इसके कि सभी को बराबर समझकर 'टके सेर मूली और टकेसेर खाजा' वाला मसला बरता जाय।

मैं समझता हूं हमारी कलेक्शन की मशीनरी को भी टाइटन करना चाहिए, इसमें भी ढिलाई और खामियां हैं। क्लेक्शन की मशीनरी को टाइटन करेंगे तो हमारा एड-मिनिस्ट्रेशन टोन-अप होगा और बहुत सी बातें ऐसी दिखेंगी कि जिनसे आपको आगे रास्ता मिलेगा।

मैं यह भी समझता हूं कि जब तक हम हमारी आर्थिक समस्या का ठीक रूप से हल नहीं निकाल पाते, हमें बहुत सी नई जगहें और नये ओहदे नहीं बढ़ाने चाहिए और नये ओहदों पर जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्चा नहीं करें। जो शासन के लिए आवश्यक है वह तो होगा ही पर अनावश्यक खर्चों को कम करना परमावश्यक है। हम करोड़ों रुपया सिंचाई में खर्च कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें से काफी रुपया फिजूल खर्ची में भी जाता है। तो जो तखमीने होते हैं उनके मुकाबले में जो योजना का वाकई खर्चा होता है वह कई गुना तखमीने से बढ़ जाया करता है। तो इस सम्बन्ध में आपके विचारार्थ एक समस्या रखना चाहता हूँ। हमारे पड़ोसी पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये चारों मिल कर एक कमेटी बनायें और जिसमें एक सर्विंग हाईकोर्ट जज हों। वह कमेटी एस्टीमेट्स के मामलात में जांच करे और हर सरकार को कोऑर्डिनेट बेसिस पर अपनी राय दें कि अमुक योजना ठीक रूप से बन रही है, फिजूल खर्चा तो उस पर नहीं हो रहा है। फिजूल खर्चा हो रहा हो तो उसमें रोकथाम पूरे रूप से की जाय।

जंगलों के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द अवश्य कहूँगा। यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसको कोई न कोई योजनाबद्ध कार्यवाही से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए और जो ऊल-जलूल ठेके दिए जा रहे हैं उनको नहीं दिया जाकर जनता जनार्दन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इस रूप से उन जंगलों को बचा कर जनता की अधिक से अधिक सेवा की जाय, न कि यहां से कोयले बना कर अहमदाबाद भेजे जायं। आखिरकार जंगल हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो राजस्थान के हैं, इसमें केन्द्र कुछ नहीं कह सकता, यह बिल्कुल राजस्थान सरकार के अधिकार की बात है। राजस्थान की गरीब जनता के लिए प्राथमिकता दी जाय, बजाय इसके कि ठेका देकर दो-चार आदमियों की आपा-धापी हो जाय और अहमदाबाद, रतलाम और अन्य जगह हमारे जंगलों के कोयले बन कर बाहर चले जायं।

बैटरमेंट लेवी और एक्साइज़ ड्यूटी के सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। यह एक प्राकृतिक नियम है कि आप अगर एक आशिया-एक वस्तु को अमुक हद तक टैक्स करेंगे तो आपको उससे रिटर्न बराबर मिलेगा लेकिन उससे अधिक टैक्स करेंगे तो एक इकोनॉमिक लॉ, Law of Diminishing Return sets in यानी लागू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्नस लागू हो गया है। मैं एक भील प्रदेश का रहने वाला हूँ जहां पर हजारों आदमी नाजायज़ शराब कसीद कर रहे हैं। वहां एक्साइज़ ड्यूटी ओन लिकर बढ़ायेंगे तो मेरे ख्याल से आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो इस समस्या को ध्यान में रख कर Law of Diminishing Return के फैक्टर को भी बराबर आमदनी के आंकड़ों में देख कर जांच करेंगे तो सरकार के लिए संभवतः लाभप्रद साबित होगा।

मैंने यह देखा है कि गरीब किसानों की जमीन सड़क के अन्दर आ जाती है, तालाबों के अन्दर डूब में आ जाती है और उनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो यह हमारे विधान के विपरीत चीज है। सड़कों के तखमीने में जिन जिन की जमीनें आती है उनको मुआवजा देने की तजबीज होनी चाहिए। इसी तरह जो जमीन डूब में आती है उन काश्तकारों को मुआवजा देने की तजबीज होनी चाहिए न कि बेचारे परेशान होकर दरोदर भटकते फिरें। जिन्होंने जयपुर और उदयपुर का दरवाजा नहीं देखा है वे अपनी जमीनों का मुआवजा लेने के लिए, दूसरी जगह बसने के लिये भटकते हैं; यह भी सरकार के लिये बड़ी बुरी बात है।

अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्री महोदय का मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि उदयपुर डिविजन में सड़कें हैं, जिनके ऊपर डामर लगाया जाता है, वह शायद अर्थ-वर्क होने के बाद ही तुरन्त लगाया जाता है। इस वजह से उनका सर्फेसिंग अच्छा नहीं होता। सर्फेसिंग ठीक करने के लिए ठेकेदारों को कहा जाय। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो सर्फेसिंग फर्स्ट क्लास मिलना चाहिये, अगर नहीं मिलता है तो ठेकेदार के उस रोड प्रोजेक्ट के खर्चे के बिल को पास नहीं करना चाहिये।

डूंगरपुर जिले के पास गुजरात प्रदेश में कडाणा डेम योजना का सुना जा रहा है कि वहां गुजरात सरकार डेम बना रही है। उससे डूंगरपुर जिले के कई गांव डूब जायेंगे। मैं यह नहीं कहता कि वहां बांध बंधे ही नहीं, पर यह ऐसी समस्या है कि राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में मैटर ऑफ नेगोशियेशन्स बन सकता है। बांध की ऊंचाई, डेम नीची हुई तो बहुत से भीलों के गांव बचेंगे। माननीय सिंचाई मंत्री इस बारे में मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखते होंगे, क्योंकि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वह क्षेत्र उनका निर्वाचन क्षेत्र है ।

आसपुर और डूंगरपुर के बीच में सड़क का कोई ३५ मील का टुकड़ा है वह १० साल से अभी तक नहीं बन पाया है । अगर आपके पास पैसा है तो उस सड़क को बना दें तो उस जिले की जनता बहुत आभारी होगी।

(१.० म. प.)

मुझे लोकसभा के लिये बीकानेर क्षेत्र से चुने गये माननीय सदस्य द्वारा सूचना मिली है कि लूणकरणसर एक जगह है जो बीकानेर से करीब ४० लील की दूरी पर है । वहां पर खारा पानी है, वहां की महिलायें १५ और १७ और १८ मील की दूरी पर मई जून महीने में पानी लेने के लिये जाती हैं, अपनी पानीकी आवश्यकता को रफा करनेके लिये, पानी भरने के लिये इतनी दूर कुओं पर जाती हैं। बीकानेर से रेलवे द्वारा भी पानी वहां पहुंचाया जाता है । तो यह मानवीय दृष्टिकोण से, इन्सानियत के नाते वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिये कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है । इस संबंध में वहां के लोकसभा के माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, प्रधान मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया हैं; लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है । अगर कुछ हो सकता हो तो अच्छी बात होगी।

गंगानगर जिले के शरणार्थियों के लिये भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बीकानेर लोकसभाई सदस्य द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ होगा; जिसके अन्दर उन्होंने लिखा है कि शरणार्थियों को गंगानगर जिले में मिली हुई भूमि को बिस्वेदारी एक्ट के पास हो जाने के बाद, मैं समझता हूँ यह एक अजीब और धन चक्कर का मामला है । इसका विशेष कोई महत्व नहीं है फिर भी जब शरणार्थियों को हाल ही में जमीन दी गई, वह भी बिस्वेदारी एक्ट के तहत आ गई जिनको जमीन दे दी गई थी वे उनसे ले ली गई हैं । मैं समझता हूँ, उन बेचारों को कुछ दिया जाना चाहिये । prima facie, there is a case worth consideration, इस संबन्ध में सरकार विचार करेगी तो ठीक होगा ।

माननीय वित मंत्री ने जानवरों के ऊपर टैक्स लगाने की योजना की है । उससे मैं अनुभव करता हूँ कि किसान और गांव में रहने वाली प्रजा को हानि होगी और परेशानी होगी । जो टैक्स बिजली के संबन्ध में लगाने की योजना है उससे शहर और खास तौर से मध्यम श्रेणी के वर्ग को काफी परेशानी होगी । खास तौर से जब १५ करोड़ रुपया केन्द्र से प्राप्त करते हैं फिर जो १ करोड़ २८ लाख रूपया इस प्रकार टैक्स से प्राप्त करना चाहते हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन नही हैं । जहां हम १५ करोड़ रूपया केन्द्र से ले रहे हैं तो एक करोड़ और यादा ले सकते हैं इसके उपरान्त भी आपकी इच्छा हो सो करिये ।

मेरी पार्टी हमेशा से मुख्य ध्यान इस ओर देती है कि चाहे जो कुछ योजना हो उसे प्राथमिकता न दी जाय; नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और उसके अन्तर्गत योजना को रखा जाना चाहिये अगर योजना सर्वोपरि हो गई तो नागरिक स्वतन्त्रता हास्यास्पद स्थिति के अन्दर पहुंच जायगी। हमारे संविधान की रक्षा के लिये, नागरिक स्वतंत्रता के लिये, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आपकी योजना इस प्रकार की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बनाई जाय जिससे नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष सन् १९६२-६३ का बजट रखा है। यह बजट सत्तारूढ़ दल की रीति-नीति का द्योतक होता है। उनकी नीति किस ओर जा रही है, बजट उस बात को जाहिर करता है। कहने को तो सत्तारूढ़ दल यह कहता है कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसको देखने से क्या ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट, जो समाज के अन्दर असमानता है, गरीबी है उसको मिटा सकेगा ? गरीब और मालदार दो वर्ग है उनके अन्दर जो खाई पड़ी हुई है, उस खाई को पाटने के अन्दर किसी प्रकार की मदद देगा ? अगर इस बजट को देखा जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो जनता करों के भार से पहले ही ज्यादा दबी हुई है उसको और ज्यादा कर-भार से लादा गया है। इसमें प्रयास यह भी किया गया है, वे लोग जो किसी प्रकार से आजाद हैं, जनता की आवाज को समझे हुए हैं उनको किसी प्रकार की रिश्वत देकर के उनका मुंह बंद किया जाय; जिस प्रकार से वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्दर बताया था, हमने न्यूज़ पेपर्स के ऊपर जो पत्र जाते हैं उन पर सेल्स टैक्स माफ किया है। मैं भी चाहता हूं, इस तरह से जितने पर भी सेल्स टैक्स है वे सब माफ किए जायं।

इसी प्रकार से वित्त मंत्री महोदय ने जो व्यापारियों को सेल्स टैक्स से मुक्त किया है, वह है बारदाना। यह एक प्रकार से उपहास की वस्तु है। मेरा उनसे निवेदन है कि बारदाना केवल कपड़े पर ही नहीं होता अन्य वस्तुओं पर भी होता है। जब आपने कपड़े के ऊपर बारदाने के लिए छूट दी है। तो अन्य वस्तुओं पर छूट क्यों नहीं दी ? इसीलिए यह केवल कपड़े पर छूट देना उपहास की वस्तु है। आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि वित्त मंत्री महोदय समस्त वस्तुओं पर कर छूट देने वाले हैं लेकिन अन्त में जो उन्होंने टैक्सों में वृद्धि की है उसको देख कर ऐसा लगता है कि जनता को कुछ रियायतों के बावजूद भी किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं हैं। सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जिससे आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी पीड़ित है। जब कोई भी सामान लेने जाते हैं उसको उसके लिए सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के नतीजे को देख कर सत्ता रुढ़ दल ने कुछ शिक्षा ली होगी। मैं मानता था कि वह सेल्स टैक्स से जनता को बिल्कुल मुक्ति देगी, लेकिन सेल्स टैक्स से मुक्ति दिलाना तो दूर रहा; उल्टा टैक्सेज़ में वृद्धि की है करीब ५ परसेंट वह बढ़ाया गया है।

इस बजट में काश्तकारों को खुश करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा कि काश्तकारों को अपने मकान बनाने के लिये चूना-पत्थर आदि पर से सेल्स टैक्स की छूट दी हैं। यह सुन कर एक प्रकार से बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन एक काश्तकार जिस चीज से अपना पेट भरता है जिसके लिए वह अपने जीवन से मरण तक खर्चा करता रहता है, उन दूसरी चीजों पर टैक्स आपने माफ नहीं किया, उन चीजों पर टैक्स बढ़ाया है वह बहुत ही घातक है। ट्रांसपोर्ट पर आपने टैक्स बढ़ाया है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि इन बेसेज़ से कौन

Page No 43

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पूंजीपति सफर करता है, इसका असर किस पूंजीपति वर्ग पर पड़ने वाला है। इनसे तो वे ग्रामीण लोग सफर करते हैं जिनको सफर करने के लिये घर पर साधन नहीं, मोटर नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति बस से सफर करता है। उनके सफर करने के जरिये पर टैक्स लगा कर आपने अपने समाजवाद की खिल्ली उड़ाई है।

मैं सेल्स टैक्स के बारे में और बताता हूं कि उसमें चोरियां किस तरह होती हैं। आप टैक्स लगाये जाते हैं, पर सोचते नहीं कि उससे जनता पर तो कितना भार बढ़ रहा है और उसके मुकाबले में सरकार को मिल कितना रहा है। मैं मिसाल दूं आपको। वेजिटेबल ऑइल है। इस पर आपका टैक्स १० पर्सेन्ट है और मध्य प्रदेश में ४ पर्सेन्ट है। मैं इस वेजिटेबल के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि वेजिटेबल यहां आए, डालडा यहां आए। पर मैं आपको टैक्स की योजना और उस सम्बन्धी नीति के बारे में कहता हूं। आपकी इस विचारहीन नीति के कारण इसका राजस्थान में स्मग्लिंग होता है। झालावाड़ में एक भवानी मण्डी स्टेशन है। उसके पास ही बासोदा मण्डी है मध्य प्रदेश में। वहां वेजिटेबल आयल चार ४ पर्सेंट सेल्स टैक्स अदा करने में आती है और उसी स्टेशन से उतर कर भवानी मण्डी में जो राजस्थान में है दस पर्सेन्ट में आता है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में वेजिटेबल पर चार पर्सेंट सेल्स टैक्स है। इसके कारण आगरा से चल कर जयपुर के हिस्से तक में स्मग्लिंग होकर वेजिटेबल आ रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी ये दुर्नीतियां और आपके ये निर्णय देश को किस ओर ले जा रहे हैं। टैक्स लगाने के साथ ही साथ आपने कभी यह भी सोचा कि इससे जनता को राहत भी पहुंचा रही है या नहीं। जो हम जनता से टैक्सों के द्वारा पैसा ले रहे हैं उसका भी ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, यह भी आप नहीं देखते। तो यह भी आपको देखना पड़ेगा।

मैं कोटा से आया हूं। वहां की चम्बल योजना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके अन्तर्गत यह टैक्सों से वसूल किया गया पैसा काफी मात्रा में खर्च किया गया जा रहा है, किया जा चुका है और आगे भी किया जायेगा। कल वित्त मंत्रीजी ने भी निवेदन किया था कि इसके अन्दर हमारी तीसरी योजना का बहुत सा रुपया खर्च होगा। फिर यह भी कहा कि हम इस योजना का पूर्ण उपभोग चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में उठा पायेंगे। पर कभी यह कहते समय आपने यह भी सोचा कि ऐसा क्यों? योजनाएं मनुष्य के फायदे के के लिये बनाई जाती हैं। योजनाओं का ध्येय जनता को लाभ पहुंचाना है, योजना की केवल खानापूर्ति करने के लिये योजना बनाना योजना का लक्ष्य या ध्येय नहीं हो सकता।

तो मैं कह रहा हूं कि आपने योजना के नाम के लिये योजना चलाने की नीति बना रखी है। आपने इस योजना को आरम्भ करते समय विचार नहीं किया कि जिस क्षेत्र में आप ये नहरें बनाने वाले हैं वहां की मिट्टी किस प्रकार की है। कोटा के आसपास अधि-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कतर काली चिकनी मिट्टी है। इसके अन्दर घास और अन्न काफी पैदा होता है। इसको पानी कुओं के द्वारा दिया जाता था। अब नहरों से पानी दिया जाने का जब सोचा गया तो यह नहीं सोचा गया कि इस प्रकार की धरती में नहरी पानी देने के साथ किस प्रकार का फर्टीलाइज़री का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है, कौनसा केमिकल होना चाहिये, उनका क्या अनुपात होना चाहिये उनका क्या अनुपात होना चाहिये। योजना के इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, न यह ध्यान में रखा गया कि जब पानी बहुतायत से आवेगा तो इस एरिया में और कौन कौन सी ज्यादा फसलों की होने की सम्भावना होगी। तो उसका उसी प्रकार से आप तभी से प्रबन्ध करते। उसकी भी योजना साथ साथ बनाते और यह भी नहीं सोचा कि जब पानी अधिक आवेगा तो उत्पादन भी अधिक होगा; जैसे कपास है, गन्ना है तो उनके उपयोग के लिये उस एरिया के आस-पास ही कहीं इन चीजों के सम्बन्ध रखने वाली इन्डस्ट्रियां खोलने और बढ़ाने की भी योजना आपको साथ साथ बनानी थी। पर इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। न ध्यान यह दिया गया कि इन नहरों के द्वारा जिन चीजों का उत्पादन होने वाला है उनको मार्केटिंग फेसोलिटीज़ भी उपलब्ध होंगी या नहीं। आज यही कारण है कि उस क्षेत्र के किसान आपकी योजना के प्रति उदासीन हैं, उदासीन ही नहीं हो गये हैं बल्कि उल्टे दुखी हो गये हैं और यही कारण है कि आज जहां आप इसी चम्बल योजना के नाम पर दूसरी दूसरी जगहों पर वोट मांगते हैं और आपको मिल भी जाते हैं वहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जिस क्षेत्र में यह योजना चल रही है और इसका प्रत्यक्ष लाभ जिस क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है उसी क्षेत्र में इस सत्तारूढ़ दल को चुनावों में अधिकतर हार खानी पड़ी है। आज वहां की जनता ने इस योजना से दुखी होने के कारण, इसके प्रति प्रेम न होने के कारण सत्तारूढ़ दल को वोट देने से इन्कार कर दिया। इस योजना का उद्घाटन भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलालजी नेहरू ने किया था। लोगों ने समझा हमारी खुशहाली का युग शुरू होने वाला है। लोगों के दिलों में काफी उत्साह और उमंग पैदा हुई। इस उद्घाटन के कुछ समय बाद ही वहां पंचायतों और पंचायत समितियों का चुनाव हुआ और इन सब में सत्तारूढ़ दल को बहुमत मिला। पर उसके बाद आज क्या स्थिति है? आज जब लैफ्ट और राइट जिन जिन क्षेत्रों में नहरें आई हैं प्रमुख रूप से उसी क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हो सकी। इसका कारण क्या है? कभी शान्ति के साथ सत्तारूढ़ दल ने सोचा है? मैं बताता हूं अगर आपने नहीं सोचा है, तो। आपने योजना के संचालन में गलतियां की हैं। जो योजना काश्तकारों के फायदे के लिये की गई थी वह फायदा उनको नहीं मिल पाया; उल्टे उनके आज दुख बढ़े हैं।

इस योजना के तहत आज कम से कम कोटा के अन्दर तीन-चार हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। जिस समय प्रधान मंत्री नेहरूजी पधारे थे तो उन मजदूरों को यह आश्वासन दिया गया था कि जिस समय जैसे ही यह योजना यहां से समाप्त होगी इससे निवृत्त मजदूरों को बेकार नहीं रहने दिया जावेगा;

Page No 45

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उनको राणा प्रताप सागर योजना में भेज दिया जावेगा। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह योजना आरम्भ हो गई, पर इन तीन, चार हजार मजदूरों में से एक भी मजदूर, जिनमें करीब पांच सौ के तो मशीन चलाने में भी एक्सपर्ट हैं, नहीं लिया गया। राणा प्रतापसागर डैम पर मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो एक करोड़पति कम्पनी है को ठेका दे दिया गया है और इस कम्पनी ने राजस्थान के बाहर के कुल मजदूर इस योजना में लगा लिये हैं। परिणामस्वरूप वे मजदूर आज भूखों मर रहे हैं; जिन्होंने इस चम्बल योजना को प्रारम्भ करने में अपना पूरा सहयोग दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह पहला कारण है जिसके कारण सत्तारूढ़ दल को वहां से हार खानी पड़ी।

दूसरे, इस योजना के अन्तर्गत जितनी जमीन ली गई उसका लेने का ढंग गलत था। अपने नौकरशाही से ढंग इस से सरकार ने गजट में शाया कर दिया कि सरकार इतनी जमीन उक्त स्थान की रिज्यूम करेगी। सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि इसे वे अनपढ़ किसान जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते, पढ़ लेंगे। उनको मालूम नहीं हो सका कि हमारे खेतों में से नहरें निकलने वाली हैं और उन्होंने अपने उन खेतों में बदस्तूर फसलें बोईं। कमर कमर तक फसलें आ गईं और वे काटने की तैयारी कर रहे थे; पर उनको वे फसलें काटने नहीं दी गईं और नहरें उनमें से निकाल दी गईं। परिणाम यह हुआ कि किसान रोया, भूखा मरा और इसके कारण सरकार को भी कोई फायदा नहीं मिला। जमीन का कम्पेन्सेशन तो सरकार को देना ही पड़ा, फसल का भी कम्पेन्सेशन उसको देना पड़ेगा। आज नहीं दिया है। अधिकतर ,कम्पेन्सेशन नहीं मिला है किसानों को, फसल बर्बाद करने का नहीं मिला है। पर एक दिन तो यह भी देना पड़ेगा। तो यह सारा भार आपकी अदूरदार्शिता के कारण किसान पर पड़ा, अब आप पर पड़ेगा और इसके कारण अब यह रुपया भी बजट में से देना पड़ेगा, जिसमें गरीबों की गाढी कमाई का पैसा इकठा होकर आता है।

इस योजना को बनाते समय आपने यह भी ध्यान नहीं दिया, इसका उस धरती में क्या प्रभाव पड़ेगा; वहां के वाटर लेवल पर इसका क्या असर पड़ेगा ? आज आपके इस अविचार के कारण कोटा के अन्दर वाटर लौगिंग की समस्या पैदा हो गई है। अस-पास के खेतों में पानी भर गया है। जो कुंए पहले चार-चार रस्सा गहरे थे वे आज एक रस्सा गहरे रह गये हैं। उनका वाटर लेवल ऊपर आ गया है। आज जिस योजना के द्वारा आप जिस इलाके को हराभरा बनाना चाहते थे उसका नतीजा आने से पहले कहीं ऐसा न हो कि आप समय पर अगर नहीं चेते तो वह मरूस्थल बन जाय।

वाटर सोवेज आरम्भ हो गया है। यह खेतों में भी जाने लग गई है, खेत पानी से भरने लगे हैं। यही नहीं, खेतों के भरने के अलावा जो आवागमन के साधन हैं अन्दर के देहाती इलाकों के तो आज वे आवागमन के रास्ते, सड़कें आदि भी अवरूद्ध हो गई हैं; यहां तक कि काश्तकार खेतों पर से खलिहान तक फसल जब लाता है तो यह लाना उसके लिये एक बड़ी समस्या बन गई है। नहरों पर

Page No 46

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पुलियाएं इतनी कम संख्या में हैं कि जहां मुश्किल से किसान को अपने खेत से खलिहान तक ले जाने में एक फर्लांग की दूरी पार करनी होती थी वहां आज सात-आठ मील का चक्कर खाकर खलिहानों में अनाज पहुंचाना पड़ता है। यही नहीं; उसे परेशान भी होना पड़ता है; यहां तक कि पानी का सीपेज जो हुआ है वह सड़क पार आ गया है जिससे मजबूर होकर किसान अपने खेतों पर ही खड़ा रह जाता है। सम्बन्धित विभाग से अगर निवेदन करता है कि मुझे कम से कम अपनी फसल को खलिहान तक पहुंचाने के लिये नहर की सड़कों का उपयोग करने दो तो यह भी नहीं करने दिया जाता। यह स्थिति है आज वहां। किसान आज वहां रो रहा है। आपको और आपकी इस योजना को कोस रहा है। आपकी अव्यवस्था और सोचने के तरीकों पर वह आंसू बहा रहा है।

तो आज यह योजना जिस पर आप करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं और जिसके कारण बजट पर करोड़ों रूपयों का भार डाल रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, जब तक कि योजनाओं को हम ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं करते, जब तक योजनाओं के बारे में हम दूरदर्शिता नहीं अपनाते, तब तक हम देश को खुशहाल नहीं बना सकते। इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर एक कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट बनाया गया है। यह कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट ऐसा डिपार्टमेन्ट बनाया गया है कि जिसके कारण से काश्तकार परेशान हो रहे हैं। आज समस्त देश, समस्त विश्व कोलोनाइज़ेशन के खिलाफ है। जो भी देश होता है वह कोलोनाइज़ेशन के खिलाफ आवाज उठाता है और जिस देश में कोलोनाइज़ेशन खत्म हो गया वहां के सब लोग खुश होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह डिपार्टमेन्ट आज हमारे राज्य में क्यों खोला गया है जब कि यहां पर तहसीलें मौजूद हैं और दूसरे दूसरे विभाग हैं; तहसीलदार है, कलेक्टर है, फिर समझ में नहीं आता कि यह कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट क्यों लाया गया है। एक ओर तो आप सीलिंग की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि यह बहुत अच्छा है। सीलिंग को आप लाइये, पर कहीं ऐसा न हो कि आप इसके द्वारा चोर बाजारी को पनपा दें। जिस समय यहां पर राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद-विवाद हुआ था उस समय भी इसके संबंध में चर्चायें आई थीं। हम भी सीलिंग के पक्ष में हैं, पर इसके लिए हम चाहते थे कि इसका काम अच्छी तरह से हो जाये और कुछ दरें बढ़ें। लेकिन जैसी भी सीलिंग आपकी हो देश में आप उसे लाइये; लेकिन केवल डर इतनासा है कि कहीं ऐसा न हो कि जो उसके अन्दर क्लॉजेज़ रखे गये हैं, जो एग्जेम्पशन्स रखे गये हैं, जिनके द्वारा छूट दी गई है उनके द्वारा फिर किसी प्रकार से गांव के रहने वाले काश्तकार को जमीन से महरूम करके कहीं आप अपने आदमियों को वहां पर आबाद न कर दें। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आपने इसके अन्दर एक "वैल मैनेज्ड फार्म" का शब्द रखा है; यह "वैल मैनेज्ड फार्म" की एक ऐसी एम्बीगुअस टर्म है कि जिसका पता नहीं चलता कि उसको कैसे डिफाइन किया जाये। जिस व्यक्ति को आप फेवर करना चाहते हैं और भाई-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भतीजावाद को पनपाना चाहते हैं वहां आप उनको ला सकते हैं और काश्तकारों को बर्बाद कर देंगे। हम कहते हैं कि सीलिंग आये और सीलिंग आने पर जो उसका उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो, पर यह नहीं होने वाला है। वहां पर दूसरे ही आकर बस जायेंगे।

इस समय मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बड़े जोरों के साथ स्वायत्त शासन के लिए कहा जाता है और उसके लिए एड दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप कोटा के म्युनिसिपल बोर्ड को देख लीजिए? वहां पर आज साधनों की कमी है। वह साधनों की कमी इसलिए नहीं है कि वहां पर टैक्स कम हैं, वहां पर जनता पहले ही टैक्सों के मारे मर रही है, लेकिन वहां का रवैया इस प्रकार का है कि एक ओर तो सरकार कुछ देती है पर दूसरी ओर से ले लेती है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से सारे राजस्थान में अपनाई जा रही है। यदि आज म्युनिसिपल कौंसिलों को सरकार अपनी नीति के द्वारा आजाद छोड़ दे तो वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। वहां पर आपने मण्डी कमेटियां रख दी हैं और जहां शहरों में बढ़ावा देने का सवाल है और उसकी आमदनी का सवाल है यह कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंन्ट और यह मण्डी कमेटियां जमीनें बेच कर सारा का सारा पैसा समेट कर राजस्थान सरकार को देती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की जमीनें जो शहरों को अधिक आबाद करने के लिए हैं उनके किसी प्रकार से अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को दे दिये जायेंकि वही उनका बेचान करें तो मैं कहता हूं कि आपको किसी प्रकार से उनको एड देने की जरूरत नहीं रहेगी या उनसे ऐसी आशा करने की जरूरत नहीं है कि वे किसी प्रकार का टैक्स जनता के ऊपर लगायें। जहां चम्बल निकली है वहां पर आप एक ओर तो खातेदारों को जमीन बेचान करने से महरूम कर देते हैं और दूसरी ओर आप इस प्रकार का कानून पास कर देते हैं कि जिनके पास जमीनें हैं वे नहीं बेचें। आप एक तरफ तो काश्तकार को मालदार बनाने का नारा लगाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वही नीति जो एक प्रकार से काश्तकार को बर्बाद कर रही है वही जमीन कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट २॥ सौ, ३ सौ और पांच, पांच सौ रुपया बीघा के हिसाब से बेच रहा है। आप एक तरफ तो खातेदारों को जमीनें बेचने से इन्कार करते हैं और आप यह कहते हैं कि जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं या जिनके पास कम जमीन है उनको हम जमीनें देंगे और दूसरी ओर कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के द्वारा वह जमीन जो काश्त करने काबिल है पांच, पांच सौ रुपया बीघा के हिसाब से बेचान कराते हैं। यह कहां की लोजिक है ? अगर आप वास्तव में सीलिंग लाना चाहते हैं और वास्तव में छोटे काश्तकारों को मालदार बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट इन जमीनों को न बेचे और वे काश्तकार जिनके पास कम जमीन है या जमीन नहीं है उनको अलॉट करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन सब बातों को सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। केवल बजट बनाने या योजना बनाने से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

काम नहीं होगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आशा की जाती थी कि तथा कथित समाजवादी सरकार के वित्त मंत्री समाजवादी बजट रखेंगे उसके विपरीत एक तरह से बजट पर सरसरी नजर डालने पर साफ जाहिर होता है कि यह बजट समाजवादी नहीं; बल्कि पूंजीवादी बजट से भी बुरे ढंग का बजट है । मैं टैक्स लगाने का विरोधी नहीं हूं और मैं यह भी जानता हूँ कि कोई भी सरकार टैक्स लगाये बिना नहीं चल सकती, लेकिन टैक्स लगाने के तरीके जिस तरह से दिखाये गये हैं और जो जो मदें लाई गई हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मन्शा चाहे लोगों की आमदनी पर अधिक टैक्स लगाना हो और बड़े लोगों को अधिक सुविधा देना हो; ये टैक्स इस नाम पर लगाये जा रहे हैं कि हमें देश का जीवन-स्तर ऊंचा करना है । जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए निरन्तर १५ वर्षों से केन्द्र की सरकार और राज्य सरकार नये नये टैक्स लगाने की मांग करती चली आ रही है और वह मांग उनकी पूरी होती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि जीवन स्तर ऊंचा करने का मापदण्ड क्या है और हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां जमीन कम है और प्रतिवर्ग मील संख्या ज्यादा है, पूंजी निर्माण की शक्ति कम है वहां इस प्रकार की योजनाओं का चलाया जाना क्या सफलता के नजदीक ले जाता है ? इसमें न तो हमारे वित्त मंत्रीजी का दोष है और न सरकार का है; बल्कि मैं यह मानता हूँ कि यह हमारे योजना आयोग का दोष है । योजना आयोग का दोष मैं इसलिये बताता हूँ कि ऐसी स्थिति में योजना आयोग जिस प्रकार के सुझाव देता है वे ऐसे सुझाव हैं जो पश्चिम की गोरी दुनिया की नकल करते हैं । योजनाओं में किसी प्रकार की कमियाँ हमें दिखाई देती हैं । हमने प्रतिपक्षी सदस्यों की बात सुनी और सरकारी पक्ष की भी बात सुनी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी सुना है । उसमें योजनाओं की बात कही गई है, लेकिन वह ठीक ढंग से लागू नहीं की जा रही हैं । मेरा कहना यह है कि योजनायें गलत हैं । योजना बनाना गलत नहीं है; बल्कि योजनाओं का जो तरीका है, जो लक्ष्य रखा गया है वह पूर्ण रूप से गलत है । वह गलत क्यों है ? गलत इसलिए है कि आज हम आशा करते हैं कि राजस्थान का नागरिक, हिन्दुस्तान का नागरिक वह जीवन स्तर प्राप्त कर लेगा जो गोरी दुनिया ने साम्राज्यवादी शासन के १५० साल की टैक्नोलाजी के बाद आज प्राप्त किया है । असल में हमें योजना बनाने वालों के सामने यह रखना पड़ेगा कि अगर हमें योजनाओं को सफल बनाना है तो तीन-चार बातों का साफ तौर से ध्यान रखना पड़ेगा । जीवन-स्तर का मापदण्ड पश्चिमी युग के मकान, कार, रेडियो आदि यह सब जीवन-स्तर के प्रतीक बनते जा रहे हैं । इनको प्राप्त करने के लिए हमारी योजनायें कभी सक्षम नहीं बन सकेंगी और क्योंकि राजस्थान के अन्दर एक व्यक्ति के पीछे १२३ रुपये के औजार लगे हैं जिनसे उत्पादन करना है जब कि एक व्यक्ति के ऊपर अमेरिका में १० हजार और बाकी के देशों में केवल स्केन्डिनेविया को छोड़कर ५ हजार से ज्यादा के औजार लगे हैं । तो हमें उत्पादन के बढ़ाने के सिद्धान्त से न तो साम्राज्यवादी

Page No 49

(श्री रामकिशन)

शासन मिल सकता है और न हम अपने प्रदेश में जनता को इतनी सुविधायें दे सकते हैं । अतः योजना बनाने के लक्ष्य में ही हमें परिवर्तन करना पड़ेगा । इस मायने में मेरा सुझाव यह है कि हमें योजना बनाते वक्त ३-४ बातों का ध्यान रखना चाहिए । हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास जन शक्ति काफी है । पूंजी निर्माण की शक्ति नहीं है और इसके साथ साथ टैक्निकल ज्ञान की खामी है । तो योजना बनाते वक्त अधिक से अधिक श्रम का उपयोग किस प्रकार से हो सके; ऐसी योजना बनानी चाहिए । इसके साथ साथ हमें .यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम वह योजना बनायें जिसका परिणाम जल्दी से जल्दी मालूम हो सके। अगर ये बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि देश की आबादी को हमें ५० पर्सेन्ट को नष्ट कर देना पड़ेगा तब कहीं जाकर यूरोप की तरह का जीवन स्तर प्राप्त कर सकेंगे। तो, सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि इन योजनाओं के अन्दर टैक्स लगाने की योजनाओं की मांग की जाय तो राज्य योजना मण्डल के सदस्य हों या सरकार हो वे इस बात पर गम्भीरता से विचार करे, नहीं तो १५० वर्षों तक जिस तरह से आबादी बढ़ी है तो उसी तरह से यों का यों ही कर रहे हैं तो यूरोप के मुकाबले में तो नहीं लेकिन सोवियत युनियन के मुकाबले में जाकर स्थिति पैदा करेंगे और वह स्थिति इतनी भयावह होगी कि या तो आबादी को नष्ट करना पड़ेगा या फिर ऐसी सरकार के शिकंजे में कसना पड़ेगा जिसमें बोलने या लिखने की आजादी की गुंजायश नहीं होगी; इस बात का सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आम तौर पर टैक्स लगाने के बारे में सरकार का यह दावा है कि सरकारी पक्ष से पंचवर्षीय योजना की मांग करते हैं तो टैक्स लगाने का विरोध कैसा ? यह बिल्कुल सही बात है । दोनों चीजों साथ साथ नहीं चल सकतीं । लेकिन हमारे सरकारी पक्ष ने अभी तक बजट रखे हैं उनमें टैक्स जिन वर्गों पर न लगाने का १५ वर्षों से प्रयोग किया है उन सारे टैक्सों का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करूंगा, लेकिन जो टैक्स आज लग रहे हैं उनसे अन्दाजा होता है कि सरकारी टैक्स निम्न वर्ग पर ज्यादा हैं । सरकार ने यात्री-कर बढ़ाया है । तो मोटरों में साधारण लोग चलते हैं, मामूली आमदनी वाले, मामूली तबके के गरीब लोगों पर वह टैक्स बढ़ा दिया है । अगर सरकार चाहे तो राजस्थान में ट्रैक्टर, मोटर कारों और जीपों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स बढ़ाया जाकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है । लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोगों के पास जीपें हैं और प्रतिपक्षियों के पास कारें हैं तो दोनों ने उन पर छूट कर दी है । लेकिन जहां पैदल चलते हैं या दूसरे जरियों से जिन्दगी का इन्तजाम करते हैं उन पर टैक्स लगाया है । सरकार को चाहिए कि राजस्थान में मोटरों और जीपों की संख्या ज्यादा है उनके रजिस्ट्रेशन पर या दूसरे टैक्स बढ़ा-कर २०-२२ लाख की पूर्ति कर सकती है । एक सुझाव मेरा इस सम्बन्ध में यह है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि देशी शराब पर टैक्स बढ़ाया जायगा । मैं शराब बन्दी के पक्ष में हूँ । १५ लाख के लाभ के लिए

Page No 50

(श्री रामकिशन)

माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को शराब नहीं पिलायेंगे। लेकिन अगर उनके दिमाग में यह बात पैदा हो गई है कि बगैर शराब पिलाये देश का विकास नहीं हो सकता तो फिर मैं अंग्रेजी शराब वालों के बारे में पूछ सकता हूँ कि उन्होंने उसका क्या किया ? वही स्थिति है कि साधारण आदमी देशी शराब पीता है और सत्तारूढ़ दल के बड़े बड़े मंत्री और प्रतिपक्षी दल के बड़े बड़े लोग अंग्रेजी शराब पीते हैं, तो उसके मामले में छूट ले ली है। बजट उन्होंने बनाया है और गरीब जनता की कमर तोड़ने के लिये रास्ते निकालते हैं।

इसी तरह से बिक्री कर की मद को लेते हैं तो चने पर बिक्री कर की बात चालू कर दी गई है। हम जानते हैं और सदन के प्रत्येक सदस्य की जानकारी में है कि चना और बाजरा राजस्थान की गरीब जनता का भोजन है। अगर गेहूँ पर बिक्री कर चालू करते हैं तो वह उनके पक्ष में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उच्च वर्ग के लोगों पर टैक्स की मर्यादाएं बढ़ाई जाती हैं, लेकिन चने पर टैक्स लगाया जाता है जिसको राजस्थान की गरीब जनता खाती है। तो गरीब जनता पर एक तरह से मरते हुओं पर एक लात और मारते हैं। तो टैक्स की जितनी कार्यवाही की गई है तो उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मन्शा समाजवाद लाने की नहीं है; न सरकार अमीर और गरीब के, पाताल और आकाश के अन्तर को मिटाना चाहती है। प्रोफिट कमाने की सरकार की मन्शा है। योजना द्वारा धन प्राप्त करना चाहती है और खर्च इस तरह से करना चाहती है कि १२८ लाख के घाटे की बात कही गई। अगर कोई अच्छी सरकार होती तो राजस्थान के ६२ करोड़ के बजट में इतनी बचत कर सकती थी लेकिन बचत कहां हुई ? हम देखते हैं कि हमारी सरकार का दिमाग, जब हमारे देश के प्रधान मंत्री का दिमाग पश्चिम की तरफ चलता है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी का दिमाग पश्चिम की तरफ न जाकर रूस और स्केन्डिनेविया की तरफ पहुंच जाता है। यह एक आम उसूल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): किधर बताया ?

श्री रामकिशन : स्केन्डिनेविया की तरफ चलता है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने जो टैक्स चढ़ाने का तरीका अपनाया है वह बिल्कुल अवैज्ञानिक है। हमको बचत के द्वारा प्रशासन में कमी करके या दूसरे तरीकों में बचत करके उस घाटे को पूरा करना चाहिये था। मैं सुझाव के रूप में कहूंगा कि राज्य में १६ मंत्री नियुक्त किये गये हैं। लोकतन्त्र में, शायद मुख्य मंत्री यह तर्क दें, सैकण्ड रैंक लीडरशिप करने का ऐसा तरीका है। इस पर हम अलग विचार करेंगे। १६ मंत्रियों के बजाय गुटबन्दी को दूर करने के लिए जैसा कि उन्होंने अभी किया है, इस वक्त ८ मंत्री नियुक्त होते तो ८, १० लाख रुपये की साल भर में बचत हो सकती थी। कार, बंगला, भत्ता, पुलिस आदि पर एक मंत्री पर आज कल १। लाख रुपया साल भर में खर्च आ जाता है । राजस्थान कांग्रेस की

(श्री रामकिशन)

गुटबन्दी को दूर करने के लिए गरीब जनता पर १०, १२ लाख के नये टैक्स लगा लिये गये हैं। उसमें भी एक अफसोस मुझे और है कि जब हम हमारे मंत्रि-मंडल की लिस्ट को देखते हैं तो एक तरफ सरकार यह कहती है कि हम हरिजन और छोटे लोगों के उत्थान की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्रि-मंडल के १६ सदस्यों में आधे से ज्यादा द्विज वर्ग के जनेऊधारी लोग हैं। उनमें भील आदिवासी लोग होते तो उस मंत्रिमंडल का हम स्वागत करते। उसमें सिर्फ एक ही मंत्री आदिवासी है। उसमें हमेशा से पिसते हुए वर्ग और सताये हुए वर्ग के लोग ज्यादा होने चाहिए। एक आदीवासी है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ कुछ आदिवासी और शामिल किये जाने चाहिए, कुछ शूद्र और शामिल किये जाने चाहिए, हरिजन और शामिल किये जाते और वह बजट लाते तो वह राजस्थान के गरीब लोगों के नज़दीक होता। मंत्रिमंडल का निर्माण करते वक्त इन सब बातों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो आशा थी कि सरकार के मुख्य मन्त्री, चूंकि वे नौजवान हैं और दिन में करीब २०-२२ बार समाजवाद का नाम लेते हैं तो उसके अनुसार कुछ आचरण की वे कोशिश करते। लेकिन उसमें ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। तो मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को इन सब बातों पर विचार करते वक्त इन पूरी चीजों को स्मरण रखना चाहिए।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मैं उसके सम्बन्ध में एक बात का जिक्र कर चुका हूं कि बचत के लिए सरकार कुछ प्रयत्न कर सकती है। जिस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बहुत चर्चा है और यह चीज है भी जरूरी; मेरा सुझाव है कि बगैर टैक्स लगाये ही योजनाओं को पूरा करने के लिए कलेक्टर का पद समाप्त कर दिया जाय, जैसा कि यूरोप के देशों में है। कलेक्टर के ऊपर एक मिनिस्टर से ज्यादा खर्चा होता है। जब कि न्यायपालिका हम अलग कर रहे हैं तो कलेक्टर को रख कर गरीब जनता पर नया वजन, नये टैक्स का भार क्यों रखते हैं?

दूसरा मेरा सुझाव है कि शासन को सस्ता करने के लिए और आम जनता राज काज में भाग ले सके इसके लिए जरूरी है कि बगैर हथियार की पुलिस ग्राम पंचायतों या पंचायत समितियों के अधिकार में दे देने की शुरुआत की जाय। धीरे धीरे शुरुआत की जाय, उसका प्रयोग किया जाय पुलिस को पंचायतों के मातहत लाने के लिए। अगर कलेक्टर का पद समाप्त नहीं हुआ और पुलिस पंचायतों के मातहत नहीं की जायेगी तो मैं समझता हूँ कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास की बात बिल्कुल हंसी की बात होगी। यदि ये दोनों तरीके किये जायेंगे तो राजस्थान सरकार के लिए लाभ होगा और आज जनता पर जो भार पड़ रहा है वह कम होगा, और दूसरे प्रकार के नेतृत्व के लिए कहा गया है वह अपने आप में नेतृत्व पैदा हो जायेगा।

तीसरी बात जो सरकार को ध्यान में रखनी है कि टैक्सेशन के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने टैक्स में छूट देने की बात कही है वह देखने में बहुत अच्छी है। जैसा कि एक जगह कहा गया है कि मकान बनाने के लिए स्थानीय

(श्री रामकिशन)

इमारती पत्थर ले लिया जायगा; पहली बात तो यह है कि राजस्थान में कितनी ऐसी जगहें हैं, कितने ऐसे गांव हैं जहां पर स्थानीय इमारती पत्थर मिल जाय ? अगर इमारती पत्थर पर छूट देना चाहते थे तो सरकार को यह नियम बनाना चाहिए था कि इतने नजदीक खान होगी, इतने नजदीक पत्थर का काम होता हो तो टैक्स इतना दे देने पर मकान बनाने के लिए पत्थर ले जा सकते हैं । इस छूट से जहां तक मैं समझता हूं लाभ नहीं होने वाला है । यह बिल्कुल स्थानीय लोगों को प्रसन्न करने के लिए छूट दी गई है । तो इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है ।

इसी तरह से सरकार ने बिक्री कर में कमी करने की कोशिश की है । जहां तक सोना, चांदी के जेवरों का सम्बन्ध है तो दूसरी चीजों से इनमें फर्क रखना चाहिए । मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अलग अलग ढंग के टैक्सेज़ चांदी और सोने के जेवरों पर होने चाहिए । जेवर पहिनना मैं आम तौर पर अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन जब कि यह रिवाज है और इस चीज को हम चालू रखना चाहते हैं तो भिन्न भिन्न मद रखें क्योंकि आम तौर से सोना गरीब आदमी नहीं पहनता है । गरीब आदमी चांदी पहिनता है । तो जो टैक्स सोने और चांदी पर रखा है वह अलग २ हिसाब से रखते तो इससे गरीब लोगों को राहत मिल सकती थी ।

इसी तरह से जब सरकार बजट में योजनाओं के लिए हिसाब बना कर देती है कि इतनी सड़कें बनेंगी, इतनी नहरें बनेंगी, इतनी पुलियाएं बनेंगी, मैं चाहता हूं कि नहरों का विस्तार हो, सड़कों का विस्तार हो, पुलियों का विस्तार हो, लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो पिछले काम हो चुके हैं उनको किसी तरह से जैसी की तैसी स्थितिमें रखा जाय । आम तौर पर होता यह है कि राजस्थान में नयी सड़कों का निर्माण हो रहा है; उनका माइलेज बढ़ रहा है; लेकिन साथ ही साथ पुरानी जो सड़कें हैं उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही हैं । उसी तरह से नए नए बांध बनाये जा रहे हैं, लेकिन पुराने बांधों की हालत खराब होती जा रही है । मैं दूसरे जिलों की तो बात नहीं कहता लेकिन भरतपुर जिले की बात कहता हूं । मत्स्य बना, राजस्थान बना उससे पहले नहरों की जो स्थिति थी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ । पहले की जितनी नहरें हैं, १२२ का जिक्र किया गया है, १५ साल तक उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है । इससे रेवेन्यू के मद में नुकसान होता है, किसानों की आमदनी पर इसका असर पड़ता है । राज्य सरकार नयी सड़कों और नई नहरों का ध्यान रखती है उसके साथ साथ पुरानी जो बनी हुई हैं उनकी मरम्मत का ध्यान रखें तो उसकी मंशा की पूर्ति हो सकती है ।

इसी तरह से बड़ी सिंचाई योजना के बारे में वित मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि नई योजना आगामी १०-१२ साल में फल देगी, यह ठीक बात है । इसको दो हिस्सों में बांटना चाहिये । एक तो जो तत्काल महत्व की बातें हैं और दूसरा जो आगामी काल में फल देने वाली हैं । राजस्थान में ही नहीं; बल्कि हिन्दुस्तान ने यह स्वीकार किया है कि हमारे पास पूंजी नहीं है । तो मैं निवेदन करूंगा कि जो

(श्री रामकिशन)

छोटी और तत्काल लाभ देने वाली योजनायें हैं उनकी ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। कई बार निवेदन किया गया है कि सरकार यदि चाहे तो बाढ़ नियंत्रण पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न पूछे हैं उनसे और दूसरी तरह की सूचना से जाहिर होता है कि हमारे यहां की बहुत सी जमीन पानी से भरी रहती है। दूसरे जिलों को जाने दीजिए मैं भरतपुर की बात ही निवेदन करता हूं कि वहां पर कामा में २०,००० एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है जहां खेती नहीं हो सकती, देर तक पानी भरा रहा। आज भी ३३ गांव पानी से भरे हैं। वहां पर नावों के द्वारा ही जाया जाता है, खेती का नाम नहीं है। सरकार नये बांध बनाने के बजाय ऐसी जगहों से पानी निकालने की कोशिश करती तो उत्पादन बढ़ता और सरकार की रेवेन्यू बढ़ती। सरकार को रेवेन्यू का तो डर नहीं है। उसके लिए तो लगान वसूल करने का हुक्म पहुंच गया है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए था उसके बजाय पानी भरे खेतों से लगान वसूल किया जा रहा है। तो हमें इस कार्यक्रम की ओर ध्यान देना चाहिए। बजट देखने से पता चलता है कि बहुत कम ध्यान इस तरफ दिया गया है। या तो वित्त मंत्रीजी के ध्यान में यह रहा हो कि राजस्थान तो रेगिस्तान है यहां बाढ़ का क्या काम? यही कारण है कि पानी से भरे खेत रह जाते हैं, पानी निकालने की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही हाल वैर तहसील का है जहां ५-७ हजार एकड़ भूमि इस तरह की है; बयाना तहसील में; रूपबास तहसील में और दूसरी तहसीलों में भी यही हाल है। कुल मिला कर ४०-५० हजार एकड़ जमीन बिना खेती के रह गई है। कोटा में भी यही हाल है। सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये तभी इसमें सफलता मिल सकती है।

एक बात और है, हम अक्सर देखते हैं कि सरकार के मंत्रियों पर खर्चा बढ़ रहा है, अफसर बढ़ाये जा रहे हैं, रेफरिजरेटर खरीदे जा रहे हैं, नये किस्म के खस के पर्दे खरीदे जा रहे हैं। क्यों न खरीदे जायं आखिर यूरोप का दिमाग है? हमारे अफसरों को भी यूरोप की तरह आराम मिलना चाहिये! हम भी इसके विरुद्ध नहीं हैं! यदि यूरोप की बराबरी की जाय तो खस के पर्दे ही नहीं बल्कि और अच्छे पर्दे खरीदे जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ तो देश कंगाल है और दूसरी तरफ हालत यह है कि सरकार को जहां छूट देनी चाहिये थी वहां नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं! मुझे आशा थी कि सरकार नई नीति की घोषणा करेगी; जिसे १५ वर्ष हो गये सत्तारूढ़ दल ने वायदा किया था कि बगैर लगान के जमीन दी जायगी। मेरे इलाके में मंत्रीजी ने कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में तो राज्य आने वाला नहीं है, लोगों को जो कुछ सुविधायें देनी हैं वे तो हम देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बगैर लगान लिये जमीन देने का प्रस्ताव मेरा नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी का नहीं है; बल्कि सत्तारुढ़ कांग्रेस दल का यह प्रस्ताव था। आप यदि लगान हटा कर किसानों को राहत देना चाहते हैं और नये नये कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में ५ एकड़ या उससे कम भूमि के १३ लाख जोत हैं। अभी जो नया बजट आया है उसमें माल-

(श्री रामकिशन)

गुजारी के रूप में ८॥। करोड़ रुपये आंके गये हैं। अगर आप शुद्ध लगान आंकें तो ६-६॥ करोड़ से ज्यादा का यह न होगा। यदि इन १३ लाख लोगों पर से लगान हटाया जाय तो राज्य सरकार को ४५-५० लाख रूपयों का घाटा होगा। घाटे की पूर्ति के भी कई तरीके हैं। सरकार कहेगी कि घाटे को पूर्ति का तरीका हो तो पूर्ति हो सकती है। पहला तरीका यह है कि राजाओं को जो पेन्शन दी जाती है उसको बंद किया जाय। प्रतिपक्ष के नेता ने भी यह कहा था कि यदि आवश्यकता हो तो हम त्याग करने को तैयार हैं लेकिन दूसरी ओर उनसे त्याग कराने वाले तैयार नहीं हैं। यदि राजाओं की पेंशन बंद हो जाय, औरों की नहीं तो केवल महाराजा जयपुर और महाराजा बीकानेर की पेन्शन बंद हो जाय तो वगैर लगान लिये किसानों को जमीन दी जा सकती है। इसके विरुद्ध आपका यह तर्क हो सकता है कि हमने राजाओं से वायदा किया था। लेकिन एक वायदा तो आपने सन् ४७ में किया था और दूसरा सन् २६ में किया था। सन् २६ में किया गया वायदा इस लिये भुला रहे हैं कि वह वायदा गरीब और कंगाल लोगों से किया गया था, उनकी कोई आवाज नहीं है, इसलिए उसे भुला रहे हैं; लेकिन जिनसे सन् ४७ में वायदा किया था वे साधन सम्पन्न लोग हैं और आपके वर्ग के लोग हैं इसलिये उनके वायदे को पूर्ति करना चाहते हैं।

दूसरा यह है कि सामाजिक सेवा का जिक्र किया जाता है, लेकिन राजस्थान में और देश में आज भी ऐसी स्थिति है कि सड़कों पर और गलियों में एक-एक पैसे के लिये लोग भीख मांगते हैं। मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार बुढों को पेन्शन देने के सवाल पर ध्यान दे। शायद वित्त मंत्रीजी घबरायेंगे कि इतना पैसा आयेगा कहां से ? मैं निवेदन करूंगा कि ६० साल से ऊपर के ८०,००० के करीब बूढ़े हैं, उनमें से १०,००० से ऊपर ऐसे नहीं हैं जो असहाय हैं या जिनके पास साधन नहीं हैं। यदि उनको २०) रू० माहावार पेन्शन दी जाय तो २० लाख का खर्चा होगा। राजाओं की पेन्शन बन्द की जा सकती है। इसी तरह से बड़ों को पेन्शन में कटौती करके, कलेक्टर के पद को समाप्त करके भी यह किया जा सकता है। लेकिन यह होगा कब जब कि मन होगा। यदि मन नहीं होगा तो खाली कहने से समाजवाद आयेगा नहीं। समाजवाद किताबों में लिखने की चीज नहीं है; यह तो आचरण करने की बात है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।

इसी तरह से एक समस्या की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां जो महिलाएं चुन कर आई हैं उनके लिए तो हमें खुशी है लेकिन महिलाओं के लिये खास आवश्यक चीज की ओर ध्यान नहीं दिया है और बजट में भी मैंने ऐसी चीज नहीं देखी है। गांवों में सार्वजनिक शौचालय की कमी है। पहले जो जमीन इस काम में आती थी वह अब खेती के काम में आने लगी है, खेत बोये जाते हैं, रास्ते में लोग घूमते-फिरते हैं। महिलाओं के लिये यह शिकायत है कि सबेरे ४ बजे उठ कर शौचालय करने चली जयें तो चली जायं, बाद में नहीं जा सकतीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा

(श्री रामकिशन)

कि बजट में या भाषण में ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली । राजस्थान के ३१,००० गांवों में से प्रत्येक के लिये २,०००) रू० रखे जायेंगे आजादी का संदेश लगभग १०० लाख स्त्रियों या १ करोड़ लोगों तक पहुंच जायगा । इसके लिये बजट में व्यवस्था होनी चाहिये थी । पीने के लिये पानी और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना किसी भी समाजवाद की नीति पर चलने वाली सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है । लेकिन इस प्राथमिक कर्तव्य की तरफ राज्य के मुख्य मंत्रीजी या वित्त मंत्रीजी का ध्यान ही नहीं गया । तो मैंने जो सुझाव दिये हैं और जिस तरह से सरकार खर्च चलाती है, सरकार अपने खर्च में कमी करके काम चला सकती है । यदि इन चीजों की ओर गंभीरता से विचार किया जाय तो लाभ हो सकता है । लेकिन असल बात यह है कि लोकतन्त्र में और खास कर हिन्दुस्तान और राजस्थान में ऐसा समझा जाता है कि यदि सरकारी पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है तो वह सही माना जायगा और विरोधी पक्ष के सुझावों को आलोचना समझते हैं । यदि मैं आलोचना करता हूं तो भी सरकारी पक्ष को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहियें यदि ये बातें की गई तो प्रदेश को नये रास्ते पर ले जा सकते हैं और जो सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं वह सच्चा हो सकता है । यदि राजस्थान में ये सुधार होते जायेंगे तो दूसरे राज्य भी हमारा अनुसरण करते रहेंगे; जैसा कि कहा जाता है कि विकेन्द्रीकरण के मामले में दूसरे राज्यों ने हमारा अनुकरण किया है तो मैं कहूँगा कि ग्राम सभाओं के हाथ में पुलिस की व्यवस्था सौंपी जाय । बुढ़ों को पेन्शन दी जाय, महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था की ? जाय यदि ये बातें करेंगे तो राजस्थान की नकल दूसरे भी करेंगे । इसमें राजस्थान प्रदेश और केन्द्र के खर्चे का सवाल सामने आता है । लेकिन जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किये हैं उनसे राजस्थान पर खर्चे नहीं पड़ता है । यदि पड़ता भी है तो करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने के लिये या बूढ़ों को फायदा पहुंचाने के लिये यह बहुत बड़ा आवश्यक कार्य है, इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

(२.० म. प.)

इसी तरह से यहां पुलिस और दूसरी मदों की काफी चर्चा की जा रही है । मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण भी सुना । उनका कहना है कि हमारे यहां प्रशासन अच्छा चल रहा है । मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि किसी बात की व्यर्थ में आलोचना करूं । यह तय बात है और सत्य बात है कि राजस्थान की पुलिस में ही नहीं; हिन्दुस्तान के जन-जीवन में, राजनैतिक वर्ग में, सरकारी अधिकारियों में और व्यापारियों में ईमानदारी नहीं है । कोई भी पक्ष ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें ईमानदारी हो । मेरा कहना यह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के लोग दूध के धुले हैं या प्रतिपक्षी दल के लोग देवता हैं या दूध के धुले हुए हैं । मैं इस चीज को मानता हूं । सत्तारूढ़ दल जवाब दे देता है कि राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है और प्रतिपक्षी दल के सदस्य कह देते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार है । मैं समझता हूं कि इससे देश की तरक्की नहीं हो पायेगी । मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड बनाया जाय जिसके द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों और आदमियों की

Page No 56

(श्री रामकिशन)

जांच कराई जाय जिसमें सबसे पहले मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के मेम्बरों की जांच की जाय। हम देखते हैं कि तनख्वाह तो ढाई सौ रुपये मिलती है लेकिन बंगले बन जाते हैं, जमीनें ले ली हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, मोटर चल रही है। आखिर यह पैसा कहां से आया? हम कहते हैं कि थानेदार है वह बेईमानी करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमारे मुख्य मन्त्री, गृह मंत्री और प्रतिपक्षी नेताओं को इस जांच में आना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बोर्ड का गठन करें; नहीं तो यह सामाजिक रोग इतनी मात्रा में पहुंच चुका है कि उसके सम्बन्ध में रोक नहीं लगाई गई तो हमारे यहां भी चीन जैसी हालत हो जायगी। चीन के अन्दर योजनायें चलती रही, भ्रष्टाचार चलता रहा, कर्ज चलता रहा और कर्ज बढ़ते बढ़ते चालीस करोड़ का हो गया और एक....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को चीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं खुद चीन गया हूं। इसलिए माननीय सदस्य चीन के बारे में न बोलें तो अच्छा है।

श्री रामकिशन : यह मेरी जानकारी की बात नहीं है। माननीय सदस्य को इसे दुःख नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा था कि वहां की एक सरकार भ्रष्ट हो गई थी और दूसरी सरकार बन गई। वे चीन गये हैं तो मेरी पार्टी के लोग भी साल में तीन बार चीन जाते हैं और वहां से कमीशन की रिपोर्ट लाकर देते हैं।

तो मैं कह रहा था कि चीन में कर्जा बढ़ा और कर्जा बढ़ा। यही स्थिति हिन्दुस्तान में हो रही है कि कर्जा बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। यह बन्द नहीं हुआ तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि पन्द्रह साल के बाद में जो संतति आयेगी वह कहेगी कि हमारे यहां पर पन्द्रह साल पहले ऐसे लोग राज्य करते थे जिन्होंने वास्तविकता से आंख मूंद ली थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बोर्ड का गठन किया जाय। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है। लेकिन उसका इतना बुरा हाल है कि हम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को केसेज़ भेजते हैं और वहां से सुबह ही टेलीफोन हो जाता है थानेदार को कि हम आ रहे हैं। यह आपके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का हाल है। मैं कहता हूं कि आप थानेदार की चिन्ता न करें। जब तक राज्य के विभागों और बड़े बड़े लोगों में से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक राज्य में भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसलिए इसको जागरुक दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिये मैंने एक छोटा मोटा सुझाव रखा है और यह सुझाव रखा है कि एक बोर्ड का गठन किया जाय जो इसकी जांच करे।

शिक्षा के बारे में वित्त मंत्रीजी ने कहा कि शहरों में आबादी और बेरोजगारी फैल रही है। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया है कि क्या किया जाये; शहर में आबादी नहीं बढ़े, इसके लिए क्या क्या किया जाय। मैं समझता हूं कि जब तक शहर के जीवन में कार, नाइलोन, टेलीविज़न, सिनेमा वगैरह रहेंगे तब तक शहर की आबादी बढ़ती रहेगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसी

(श्री रामकिशन)

कर्मचारी को अच्छी नौकरी देने से पहले उसको गांव में सेवा में लगाना चाहिए। जब किसी मैट्रिक पास आदमी को मास्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाय तो उससे पहले उसको एक महीने के लिए गांव में रहने के लिए मजबूर किया जाय जहां वह साक्षरता का आन्दोलन चलाये। इससे पन्द्रह साल के अन्दर गांव का प्रत्येक आदमी साक्षर बन जायेगा और साथ ही श्रम की महत्ता भी बढ़ जायगी। इस तरह पुलिस ऑफिसर, कोऑपरेटिव वाले ऑफिसर और बड़े बड़े कलेक्टर और सरकारी अधिकारी हैं उनके अन्दर अपने हाथ से खेती का काम करने की आदत डाली जाय तो फिर ग्रामीणों को शहरी जीवन आकर्षित नहीं कर पायेगा और तब जो आज शहर में आबादी अधिक हो रही है और बेरोजगारी फैल रही है इस पर भी रोक लगाई जा सकती है।

अभी प्रतिपक्षी नेता ने एक बात कही थी कि आबादी बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ती चली जायगी। इसके लिए जो सुझाव दिये गये, उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में अभी बड़ी गुंजाइश है। हिन्दुस्तान में एक वर्ग के पीछे ३२५ आदमी रहते हैं। राजस्थान में इससे बहुत कम है। जापान में जहां गृह उद्योग काफी हैं वहां पर एक वर्ग के पीछे ६०० आदमी रहते हैं। लेकिन जापान में बेरोजगारी नहीं है। इसके अलावा स्केन्डिनेविया का देश है वहां जापान के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग से भी ऊंचा स्टेन्डर्ड है, उन्होंने इस दिशा में काफी काम किया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का जो योजना मण्डल है, उसने मुल्क की तरक्की के लिये ध्यान दिया है। उसने छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाने की ओर ध्यान दिया है। लेकिन यहां यह स्थिति है कि गृह उद्योगों के नाम पर या तो गांधीवादी चर्खा चलेगा या भिलाई का बड़ा कारखाना चलेगा। मैं समझता हूं कि ये दोनों रास्ते गलत हैं; न तो गांधीवादी चर्खे से निर्माण होगा और न भिलाई के जैसे बड़े बड़े कल-कारखाने बना कर। इसके लिये तो आपको जापानी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। जापान में आज यह स्थिति है कि एक हजार की पूंजी लगा कर एक आदमी ७० रुपये कमा लेता है। लेकिन हिन्दुस्तान की स्थिति यह है कि एक आदमी पांच हजार रुपया लगा कर पांच सौ रुपया माहवार नहीं कमा सकता; जब कि वह ब्लेक नहीं करे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जापान पद्धति को स्वीकार करें। जो योजना-मण्डल के सदस्य हों वे इसका अध्ययन करें कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग खोले जा सकते हैं जिससे लोग कम पूंजी लगा कर अच्छा रोजगार उपलब्ध कर सकें।

इन सारी बातों पर मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और केवल यह बात कह कर कि यह विरोधी-पक्ष से बात कही गई है, मैं समझता हूं। इन बातों को टाल नहीं देगी। अगर वे टाल दें तो आपकी मर्जी। बस; इतना ही विचार रखिये कि जो बात हम कह रहे हैं उसको न मानने पर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो पांच साल बाद आपको अपनी गल्ती स्वीकार करनी पड़ेगी। ये योजनायें, निर्माण और टैक्सेज़ के सम्बन्ध में मैंने प्रारम्भिक

Page No 58

(श्री रामकिशन)

कारण बताये हैं। अगर ये खामियां बनी रहेंगी तो ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ ही सरकार ने वेतन के बारे में जिक्र किया है कि हमने छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है और उससे पांच करोड़ की धन-राशी का खर्च बढ़ा है। वे वेतन बढ़ते रहेंगे और धन-राशि का भार जनता पर पड़ता रहेगा जब तक कि मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी दूसरी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप वेतन कितना ही बढ़ाते चले जायं लेकिन अगर मूल्य बढ़ते रहेंगे तो वेतन से काम नहीं चलेगा। मुझे अफसोस यह है कि हमारे राज्य के मन्त्रि मण्डल के कृषि मन्त्री जो हैं, वे किसान हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं हैं कि जब फसल आती है तो गेंहू और जौ, चने के भाव नीचे आ जाते है; गेंहूं पन्द्रह रुपये मन हो जाता है। आज से एक-दो महीने जो २१) रु० मन था वह साढ़ेतेरह रुपये मन है। तो फसल के टाइम पर अनाज की कीमत नीचे चली आती है और उसके बाद फिर ऊंची चली जाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार यह कोशिश करे कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में अनाज की कीमत ढाई रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर गेहूं आज १४) रु० मन मिल रहा है तो वह साढ़ेसोलह से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर यह प्रबन्ध करें तो फिर वेतन बढ़ाने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जहां आप किसानों के हितकी रक्षा करेंगे, वहांछोटे छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ यह कहें कि वह कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो न सुझाव आयेंगे और न तरक्की का रास्ता निकाल सकेंगे। दूसरा कारण मुझे मालूम पड़ता कि मूल्य नियन्त्रण को सरकार इसलिए नहीं करती कि चुनाव में सरकारी पार्टी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है और बड़े बड़े व्यापारियों और दूसरे व्यापारियों से पैसा आता है। यदि मूल्य नियंत्रण कर दिया गया तो छोटे छोटे व्यापारियों को खुशी होगी, साथ ही किसानों के हित में भी रक्षा हो जायगी, सरकारी कर्म-चारियों की परेशानी भी मिट जायगी पर इससे चुनाव में जो बड़े बड़े व्यापारियों से पूंजी मिल सकती है वह नहीं मिलेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े व्यापारियों से पूंजी न लेकर छोटे २ व्यापारियों से पैसा इकठा करें। मैं मानता हूं कि लोकतन्त्र में हर पक्ष के लोगों को पैसे की जरूरत होती है। इस लिए बड़ी राशि लेने के बजाय छोटे छोटे व्यापारियों से लेने की नीति अपना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे मुल्क हैं उनमें भी छोटे २ आदमियों से पैसा इकट्टा करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की नीति निर्धारित करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। इस तरह पन्द्रह वर्ष से चाहे केन्द्र के कर्ज से, चाहे राज्य के कर्ज से बने हुए कारखानों में बनी हुई चीजों के भाव ऊपर जा रहे हैं और खेती की चीजों के भाव नीचे जाते हैं। इन भावों पर राज्य सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि लागत से ड्योढ़ी कीमत किसी चीज पर सरकारी टैक्स, व्यापारी, मुनाफा मिला कर मिलनी चाहिये; इससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। यह जो सिद्धान्त बना लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि वेतन दर बढ़ाने

(श्री रामकिशन)

के लिए जो बार–बार मांग करनी पड़ती है, आप वेतन में पांच रु० की बढ़ोत्तरी देते हैं तो बीस रुपये की मंहगाई हो जाती है। अगर वेतन चींटी की चाल से चलता है तो भाव सेर की चाल से चलता है। इसलिए राज्य के वित्त–मन्त्री मूल्य नियन्त्रण की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप वेतन बढ़ाते जायं तो भी अर्थ–व्यवस्था में घाटे को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे वित्त मन्त्रीजी ने एक चीज को स्वीकार किया है कि कर्ज देने के लिए पन्द्रह करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा है। यह कर्ज नहीं लेते तो वह कर्ज नहीं चुकता। यह राजस्थान राज्य है जो कि चक्रवर्ती व्याज का विरोध करता है। इसने चक्रवर्ती व्याज का विरोध किया था लेकिन आज स्वयं राज्य सरकार चक्रवर्ती व्याज की शिकार हो रही है। इस लिये हमें आमदनी के अन्य स्रोतों को तलाश करना पड़ेगा। यह राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां कर्जे का व्याज देने के लिये भी कर्जा लिया जाता है और व्याज पर व्याज यानी चक्रवर्ती व्याज को अदा करते हैं। इस चक्रवर्ती व्याज के लिये हम सब लोगों ने मिल कर राष्ट्रीय आन्दोलन में इसका विरोध किया था। नीचे के वर्ग के लोगों पर टैक्सेज़ की जरूरत नहीं पड़ती और विकास की व्यवस्था का जिक्र करते हैं तो वह भी होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

इसी तरह से बिजली के सम्बन्ध में एक बात कही गई है और इसमें सबसे पहले साधारण भोक्ताओं पर इस कर का भार डाला गया है। आपने उद्योगपतियों को छूट दे दी है जिससे वे उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा पनपावें। आपने इनको छोड़ दिया है, इसमें भी आपको सुधार करना होगा। जन–साधारण पर इस कर का भार पड़ने वाला है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये कि बिजली की दरें कहां तक बढ़ाई जावें, ताकि जन साधारण पर इसका असर न पड़े। मैं यह कहूँगा कि राजस्थान में बिजली की दरें पहले ही बहुत बढ़ी हुई हैं और इसके अलावा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार हैं कितने ? बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम हैं और जो करते हैं उनको फिक्र नहीं। लेकिन नौकरी पेशा लोग हैं; जैसे पुलिस के सिपाही, दूसरे छोटे छोटे कर्मचारी, उन पर इसका वजन अवश्य पड़ेगा। आपने रेलवे के निर्माण कार्यों में खर्च होने वाली बिजली पर कर नहीं लगाया, भारत सरकार को छूट दी है, उद्योगों के लिये बिजली खर्च होती है उनको करों से मुक्त रखा है तो इसका भार केवल छोटे छोटे भोक्ताओं पर ही पड़ेगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और मैं यह कहूँगा कि इस पर राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय को इसे वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि वे इसको वापिस कैसे लें जब कि उन्होंने इसको सदन में पेश किया है। मैं समझता हूँ कि आपको विरोधी दल के लोगों के सुझावों पर भी अमल करना चाहिये और हम लोग तो यहां आपको सुझाव देने के लिये ही हैं। अगर हमारे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर हम लोगों को २५०) रु० माहवार जो दिये जाते हैं ये फिजूल में क्यों खर्च किये जाते

(श्री रामकिशन)

हैं ? हम आपको सुझाव देंगे यह हमारा कर्त्तव्य है । अगर आप हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करूंगा कि यह २५०) रु० हम पर व्यर्थ के क्यों खर्च किये जाते हैं ? आपको करना तो वही है जो आप करना चाहते हैं फिर हमारी राय की क्या जरूरत है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे सुझावों पर गंभीरता से विचार करें । अगर आपने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान के लोगों का जीवन-स्तर नीचे गिरता जाएगा ।

राजस्थान के लोगों का जीवन-स्तर जैसा राज्यपाल महोदय ने बताया कि ३१५) रु० का है; हालांकि यह ३१५ गलत है । हम लोगों की हिन्दुस्तान के लोगों का जीवन-स्तर १९४७ से नहीं नापना चाहिये । यह अगर सन् १९४५ से आंके तो मालूम होगा कि जो आंकड़े बताये गये हैं वे गल्त हैं । वह २८८ का आता है ।

मैं समझता हूं कि उड़ीसा के अलावा सबसे ज्यादा टैक्स जो लगाये गये हैं वे राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने लगाये हैं । इस बात के लिये उनको धन्यवाद तो दिया ही नहीं जा सकता । उन्होंने अपने भाषण में बताया कि अगर हम अधूरे विकास की बीमारियों से बचना चाहते हैं और पूरे कद तक अपनी बढ़वार को बनाये रखना चाहते हैं तो खुशी खुशी कड़वी गोली लेनी होगी और जो सहूलियतें बताई वे कड़वी गोली पर शक्कर के गिलाफ की मानिन्द । मगर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह तो, जिसको वित्त मन्त्रीजी शक्कर के गिलाफ की मानिन्द बताते रहे हैं, वह शक्कर नहीं सेक्रिन निकली; जिससे मुंह और खराब होता है । मगर मैं यह कहूँगा कि अगर ऐसी गोली दी जाय जिसमें शक्कर और गोली दोनों का काम चल जाय तो वह ज्यादा अच्छी रहेगी ।

वित्त मन्त्री इसमें दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा उनके पक्ष के लोग कहते हैं । केवल समाजवाद लाने के लिये, जैसे यूरोप में कहीं मार्क्सवाद था, यहां गांधीवाद चलता पूंजीवाद भी है ।

समाजवाद के लिये हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा; श्रम, भूमि-सुधार, बेकारी को दूर करने के साधन । इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि यह समाजवाद यों ही अधूरा रह जाएगा । बगैर मुनाफे की जमीन बिना टैक्स किसानों को दी जावे ताकि वे उसमें सुधार कर सकें ।

इन सुझावों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री इसको स्वीकार करें तो समाजवाद लाने में यह सहायक हो सकेंगी । अगर यह नहीं कर सकते हैं तो मैं यह कहूँगा कि अनुचित दंड लोगों को इन्साफ के नाम पर मिल जाएगा । उचित दंड तो आप देना चाहें तो हम भुगतने को तैयार हैं, मगर अनुचित दंड नहीं दिया जाना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान बढ़े, उसको योग्यता में वृद्धि हो, काम मिले; ये सारी बातें नहीं होंगी तो जनता को कोई फायदा नहीं होगा । केवल सदन में १ प्रतिशत या दो प्रतिशत लोग आ जाने से

(श्री रामकिशन)

कोई फायदा नहीं हो सकता है।

बेकारी को दूर करने के लिये खेती के साधनों की बात करते हुए राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि खेती की पैदावार बढ़ी है। मुझे ताज्जुब होता है कि एग्रीकल्चरल टैक्स १९५५ में जैसा था वैसा का वैसा रखा गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : वह तो उठ गया है।

श्री रामकिशन : तो आपने यह क्या रखा है? मुझे मालूम हुआ है कि पैदावार नहीं बढ़ी है।

इसमें योजनाओं और प्रशासन पर खर्चा बताया गया है। मैं यह कहूँगा कि नॉर्वे, स्वीडन, और यूरोप के अन्य देशों में जितना खर्चा किया जाता है उसमें योजनाओं पर ज्यादा और प्रशासन पर कम किया जाता है लेकिन हमारे यहां योजनाओं पर कम ध्यान दिया जाता है और प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

(२. १० म. प.)

(श्री राव नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

इसमें नोन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि इसको देख कर कोई भी समझदार व्यक्ति इसको संतोषजनक कह नहीं सकता। इसलिये इस पर भी ध्यान रखना होगा।

श्रमदान की बात कही गई। मैं यह कहूंगा कि श्रमदान करने से पहले मंत्रीजी या सरपंच आदि यह चाहते हैं कि उनकी फोटू पहले खिंचे और वे लोग श्रमदान हो, चाहे न हो अपनी फोटू पहले खिंचाते हैं ताकि उनकी फोटो अखबारों में छप जाए कि मंत्रीजी और सरपंच श्रमदान कर रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि ऐसा करने से लोगों में कोई श्रमदान की भावना पैदा नहीं होगी। जब तक आप उस पर कुछ नहीं करेंगे और पैसा खर्च करके फोटो खिंचवाने से नहीं होगा। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा, बगैर मुनाफे की जमीन से टैक्स नहीं हटा दिया जावेगा तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। जब बगैर मुनाफे की जमीन से टैक्स हटा दिया जावेगा; किसान को यह मालूम हो जायेगा कि यह जमीन उसकी है तो वह जी तोड़ कर उसमें काम करेगा और उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, केवल विकास समारोह करते रहेंगे तो विकास समारोह से या बयान करने से कुछ नहीं होगा। हां, कुछ लोगों का इससे शारीरिक विकास हो जावे तो अलग बात है।

मैं समझता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान का वार्षिक बजट सदन के समक्ष पेश किया गया है और इसकी तारीफ में हमारे मंत्री महोदय ने जो कुछ शब्द अपने भाषण में दिये हैं वे वास्तव में सराहनीय हैं और बड़े अच्छे ढंग से चुन कर अल्फाजों का उपयोग किया गया है। लेकिन जहां तक टैक्सेज़ के लगाने और उनके रियलाइज़ेशन

(श्री अब्दुलजब्बार)

और इफेक्ट का संबन्ध है, यह भी काबिले-गौर बात है क्योंकि सुझावों के संबन्ध में खास-तौर से क्लॉज़ इस बीच में रखा गया है कि विरोधी दल से खास तौर से यह कहा गया है कि वे इस पर सुझाव दें और उनका स्वागत किया जावेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत हमारे वित्त मंत्री, साहब का ध्यान, जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं और उनके रियलाइ-ज़ेशन के क्या तरीके हैं और उसका हमारी अर्थ नीति पर क्या असर पड़ता है और क्या गड़बड़ी होती है और किस प्रकार हमारी संपत्ति राज्य कोष में नहीं जाती है इस संबन्ध में पूर्ण रूप से ब्योरा पेश करूंगा, दिलाऊंगा।

सबसे पहले बिक्री कर से इस भाषण में आपने ६६ लाख की आय बताई है, लेकिन जहां तक अंदाज लगाया जाता है कि इससे कहीं ज्यादा वसूली जनता से बिक्री कर की होती है व बिक्री कर जनता से वसूल तो हो जाता है लेकिन राज्य कोष में जमा नहीं हो पाता। इसका डेफिनिट कारण टैक्सेज़ का राइट वे में, right on the point of production tax नहीं लिया जाता है। इसमें व्यापारी अक्सर माल लाते हैं और म्युनिसि-पैलिटी से मिल कर दो पेकेट होंगे तो उसका एक ही महसूल देंगे। इस प्रकार बिक्री कर जनता से तो वसूल हो जाता है और राज्य में जमा एक पेकेट का ही होता है।

इसी प्रकार आबकारी को लें। सरकार खुद यह चाहती है कि जनता को लूटा जावे, दूकानदार पानी मिला कर शराब बेचे और ठेकेदार शराब ऊंचे ठेके देकर ठेका लें। इस प्रकार जनता को लूटने के लिये सरकार की तरफ से छूट ठेकेदारों को दी जाती है। वास्तव में जो शराब से आमदनी होती है उससे कहीं अधिक सरकार को आमदनी हो सकती है; अगर इसके लिये सही तरीके इस्तेमाल किये जायं। शराब के लिये प्रिवे-न्टिव स्टाफ रखा जाता है ? उस पर रकम ज्यादा खर्च होती है और जो रॉयल्टी सरकार के खजाने में जानी चाहिये वह ठेकेदारों और ऐसे अधिकारियों की जेबों में चली जाती है। पब्लिक को शराब-पानी मिला हुआ मिलता है और वह पैसा प्रिवेन्टिव स्टाफ की जेबें गर्म करने में काम में आता है।

इसी तरह यात्री-कर के सम्बन्ध में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। फाइनेन्स मिनिस्टर ने राजस्थान का बजट बना कर जनता को केवल इस बात के लिये राहत पहुंचाने की कोशिश की कि हमने टैक्स बहुत कम लगाया है; पर मैं खुले रूप में कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में यात्री-कर वसूल करने का तरीका जितना डिफेक्टिव है उतना और कहीं पर नहीं है। टिकट पर मोहर नहीं होती, टिकटों पर मोहर लगा कर–रेवेन्यू स्टेम्प लगा कर नहीं दिया जाता जिससे वे बता सकें कि कलेक्शन कितना हुआ। पेसेन्जर्स से पैसा लिया जाता है और सीधा मोटर मालिकों की जेबों में चला जाता है। इस तरह यात्री–कर वसूल करने की हमारी पद्धति डिफेक्टिव है। फाइनेन्स मिनिस्टर ने यात्रियों पर कर लगा कर बता दिया कि यात्रियों पर टैक्स लगाना चाहिये; पर इस तरह यात्रियों को जो यात्री-कर देना पड़ता है उसका सदुपयोग नहीं होता, यात्री–कर के रूप में वसूल किये जाने वाले पैसे का दुरुप-योग होता है। सरकार भी बदनाम होती है

Page No 63

(श्री अब्दुलजब्बार)

और साथ ही साथ जनता भी बुरी तरह पिसती है। इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें सुधार होना चाहिये।

इसके अलावा मनोरंजन-कर है। कोई इससे ना नहीं कर सकता कि मनोरंजन-कर कौन देते हैं। मनुष्य को आज के हमारे इस समय में रोने के लिये आंसू मिलते हैं, आंखें डबडबाई हुई नजर आती हैं, हंसी देखने को आज कम मिलती है। राज्य चाहता है कि उम्र भर सब रोते रहें, आंसू बहाते रहें और एक दिन शमशान और कब्रिस्तान में चले जांय। थोड़ी देर हंसने के लिये गरीब आदमी सिनेमा में जाता है तो २५-३० नये पैसे उसे टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। मैं खुले रूप में कहना चाहता हूं, यह कटु सत्य है कि अधिकांश लीडर, अफसर फ्री पासेज़ पर सिनेमा देखते हैं, इसमें दो राय नहीं। यह मैंने खुद ने देखा है लोग विदाउट टिकट, विदाउट टैक्स, पे किये सिनेमा देखने जाते हैं। तो ऐसी हालत में यह टैक्स किस पर लगता है ? मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उनकी मंशा यह है कि २५-३० नये पैसे एक रुपया पर मनोरंजन कर-लगा कर वे जनता को आंसुओं को बहाते हुए देखना चाहते हैं ? क्या वे जनता को हंसते हुए नहीं देखना चाहते ? इस तरह के टैक्सेज़ का असर सीधा गरीबों पर पड़ता है।

अब मैं उन टैक्सेज़ की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने विशेष रूप से बताने की कोशिश में कहा कि सोने-चांदी में पलने वालों पर टैक्स लगाया है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ उन शब्दों को जो गवर्नर महोदय ने कल्याणकारी राज्य के लिये अपने अभिभाषण में जिक्र किये हैं। वास्तव में कल्याणकारी राज्य के एम को सामने रख कर बजट बनाया होता तो हमें खुशी होती। छोटी सी मिसाल चांदी के टैक्स पर आती है जो काबिले गौर आइटम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान देंगे। बगैर घड़ी हुई चांदी पर ८ आना प्रति सैकड़ा टैक्स है और उसके जेवर बन जाने के बाद टैक्स लग जाता है २) रू० सैकड़ा मिसाल के तौर पर १०० तोले चांदी बाजार से खरीद कर लाई जाती है उस पर सवा रुपया टैक्स दिया जाता है। फिर चांदी की कीमत हो जाती है ३१५) रू० २५ नये पैसे जेवर घड़ाया ६ रू० २५ नये पैसे टैक्स, घड़ाई टैक्स ५ रू० १६ नये पैसे। कुल मिला कर १२ रू. ६६ नये पैसे का टैक्स मय घड़ाई के लग जाता हैं। तो इसमें क्या चीज है। चांदी इधर से उधर फैंक दी जाय तो ८ आना सैकड़ा टैक्स है और गरीब दस्तकार जो छैनी-हथोड़े से खेलता है और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिये दिन भर मेहनत करके जेवर घड़ता है उसको मजबूर किया जाता है टैक्स लगा कर कि वह घड़ाई बन्द कर दे; उसको मना किया जाता है जो कमर टेढ़ी करके अपनी उदरपूर्ति के लिये मेहनत करके पैसे कमाता है, वह अपने हाथ रोक दे क्योंकि ५ रु० १६ नये पैसे टैक्स देने के बाद कोई क्या जेवर घड़ायेगा ? इस तरह के टैक्स को कमर-तोड़ टैक्स कहा जाया तो बुरा नहीं होगा। सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान में जितना टैक्स इस पर है वैसा अन्य

(श्री अब्दुलजब्बार)

किसी प्रान्त में नहीं। इस तरह खुले तौर से साबित हो गया कि समाजवादी समाज की रचना करने वाले हमारे इस शासन में मजदूरों की मजदूरी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार इस टैक्स का भार सीधे रूप में मजदूरों पर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब फय्याजदिली का सखावत का सबूत देंगे; क्योंकि जिन अलफाज में उन्होंने बजट रखा वह काबिले गौर और काबिले दाद है! मैं माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सखावत का और फय्याजदिली का सबूत दें कि मजदूरों की मजदूरी पर से टैक्स हटायें।

जो शासन करनेवाली पार्टी इस बात का दावा करे कि हम हमारे राज्य को कल्याणकारी राज्य में परिणत करना चाहते हैं तो जो पैसा वह जनता से लेती है उस पैसे के खर्च के सम्बन्ध में भी साबित करे कि उस पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है। मैं ज्वलंत उदाहरण पेश करता हूं सभापति महोदय, कि हमारा पैसा ऐसे निर्माण कार्यों में खर्च किया जा रहा है कि यदि बीस–पच्चीस साल तक भी उन कार्यों को नहीं कराया जाय तो हमको एक नये पैसे का भी नुकसान नहीं होता है और हमारी जनता दुःख के स्थान पर सुख का अनुभव करेगी। इसकी मिसाल प्रतापगढ़ सेशन्स कोर्ट है। यह काबिले गौर है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब शायद इस ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को यह चीज सुझाई जाय कि प्रतापगढ़ में सेशन्स कोर्ट बिल्डिंग ऐसी है कि ५–२५ आदमी मिल कर उसकी छत पर कूदें तो वह गिर जायगी और सेशन्स कोर्ट को अटेन्ड करने गये हुए वकील, वादी, प्रतिवादी, फरियादी, मुलजिम वगैरह अपनी जिन्दगियों से हाथ धो बैठेंगे। इसके लिए बिल्डिंग में कुछ हजार रुपये एडीशन और ऑल्टरेशन के लिए सेंक्शन हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है, वहां बिल्डिंग ही नई बन रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : इस सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं कि जब चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर बना और जब काफी तादाद में रुपया लगा कर वहां एक लम्बी-चौड़ी क्लेक्टरेट की बिल्डिंग खड़ी कर ली है तो यह कौनसी मजेदारी है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर यह सेशन्स कोर्ट नहीं लाया जा सकता। तो जो पैसा प्रतापगढ़ में खर्च किया जा रहा है वह बचाया जा सकता है और इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक केस में वकील के साथ फरियादी को अपने गवाह लेकर....

(एक माननीय सदस्य के फ्लोर क्रोस करने पर)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे फ्लोर ऑफ दी हाउस को क्रोस करने में ध्यान रखें। इस तरह से क्रोस करना, यह यहां की परिपाटी के प्रतिकूल है।

श्री अब्दुलजब्बार : वहां जाना पड़ता है

(श्री अब्दुलजब्बार)

और अगर एक केस सरकार को चलाना पड़ता है और उसमें सौ-पचास गवाह हो गये तो काफी खर्चा इस पर पड़ेगा और इसका बोझा सरकार के खजाने पर पड़ेगा। भत्ते बनेंगे और सरकार को मजबूर होकर पे करना होगा। यही हालत दूसरे लोगों की है। अगर इसे डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर ही रिमूव कर दिया जावे तो जो हजारों रुपया बजट पर भार रूप में सरकार को डालना पड़ रहा है और जो हर साल पड़ता है वह बचाया जा सकता है और भविष्य में भी जिसे इन दी लोंग रन फायदा पहुँचानेवाली बात कहा जाता है वैसे ही इसमें भी काफी यह आने जाने का भत्ते आदि का पैसा बचाया जा सकता है। जैसे योजना के बारे में भी कहा जाता है कि इन दी लोंग रन यह प्रोफिटेबल होती है तो उसी तरह मैं निवेदन करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर सेशन कोर्ट लाने से यह पैसा बच जावेगा और इन दी लोंग रन भी जो पैसा खर्च किया जावेगा वह भी बचजावेगा और जो आप इस खर्चे के लिए गरीब जनता को टैक्स लगाकर कमर तोड़ रहे हैं वह भी सीधी हो जावेगी और वह गरीब जनता संतोष की सांस लेगी और सीना तान कर यह महसूस करेगी, गर्व का अनुभव भी करेगी कि हमारे नेता लोग वास्तव में बजट हमारी राहत के लिए बनाते हैं।

यही नहीं, निम्बाहेड़ा में भी एक कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है जहां से कि मैं स्वयं चुनाव लड़ कर आया हूँ। एस. डी. एम. कोर्ट की यह बिल्डिंग बन रही है; जो पुरानी बिल्डिंग है वह भी मौजूदा हालत में बहुत अच्छी स्थिति में है। तो मैं निर्माण कार्य में विरोध करता हूँ और इसे चाहता भी हूं। अब किसको चाहता हूँ किसको नहीं, यह निवेदन कर दूं कि जो निर्माण कार्य किसीकी हड्डियों के ढांचे पर खड़ा किया जावे, वह महल जिसको किसी की हड्डियों पर बनाया जावे, किसी के खून से पोता जावे, जिसके प्लास्टर के लिए गरीब के गोश्त की जरूरत हो उस जगह निवेदन करता हूँ कि उस पैसे को बचाया जावे और उसे गरीब जनता की राहत के लिये लगाया जावे और जो कोर्ट को बिल्डिंग दो लाख की लागत की बन रही है उसको रुकवाया जावे। जो पैसा अब तक लग गया है वह लग गया, आगे से उसे बन्द किया जावे और मौजूदा कोर्ट बिल्डिंग है उसमें चलने दिया जावे तो निम्बाहेड़ा की जनता को ऐतराज नहीं हो सकता। इसके नये बनने से किसी किस्म की राहत नहीं पहुंच सकती है; बल्कि तकलीफ ही अधिक होगी क्योंकि आज के कोर्ट से लोगों को ५०० गज और आगे जाना पड़ेगा और इसके लिये सवारी की भी आवश्यकता होगी।

साथ साथ सभापति महोदय, मैं अपने माननीय चीफ-मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने कोर्ट की बिल्डिंग के सम्बन्ध में ऐतराज किया तो उन्हें कुछ एहसास हुआ, पर मैं उनके एहसास की कदर करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अर्ज कर दूं, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। पर मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं कि प्रतापगढ़ में कोर्ट की बिल्डिंग पूरी बन चुकी, अब जिसके लिये आप कह रहे हैं, निम्बाहेड़ा में,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िय)

आप कह रहे हैं, नहीं बननी चाहिये तो यह आपका जो सुझाव है उसके बारे में हम पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर से कहेंगे कि उसे वे फौरन बन्द करवा दें।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं तहेदिल से आपका इसके लिये शुक्रिया अदा करूंगा। साथ साथ मैंने जो अर्ज प्रतापगढ़ सेशन्स कोर्ट के सम्बन्ध में की उसे आप जिला हैडक्वार्टर परले जावे। अब अगर बिल्डिंग वहां बनगई तो उसे कॉलेज के लिये काम में ला सकते हैं पर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में लाने का मेरा सजेशन काबिले गौर है।

तो इस प्रकार मैं अर्ज कर रहा था कि निम्बाहेड़ा में बिल्डिंग बन रही है तो वह अगर रोक दी जावे तो खुशी की बात होगी। इसके बजाय मैं निवेदन करूंगा, सभापति, महोदय, सरकार से कि निम्बाहेड़ा में जनता अपनी सन्तान को पढ़ाने के लिये बड़ी इच्छुक है। वहां की जनता चाहती है कि हमारे पैसे का इस कार्य में सदुपयोग हो जो हमसे टैक्स के रूप में सरकार लेती है उस रकम का ऊंची विद्या उनकी सन्तान को दिलाने में सदुपयोग किया जाय। वहां १९३६ में हाई स्कूल बनी थी। आज अफसोस के साथ यह अर्ज करना पड़ रहा है कि आज तक हाई स्कूल उसी खस्ता हालत में चल रही है। चन्द कमरे बना कर एक्सटेन्शन भी नहीं कराया जाता, तो वहां कॉलेज का निर्माण हो जावे, इसमें हमारे धन का सदुपयोग किया जावे और एक दम कॉलेज नहीं तो कम से कम अगर इन्टर तक ही कॉलेज कर दिया जावे और एक वर्ष या दो वर्ष के बाद डिग्री कॉलेज में उसे परिवर्तित कर दिया जावे तो निम्बाहेड़ा की जनता इसका स्वागत करेगी। यह पैसे का पूरा सदुपयोग होगा क्योंकि इसका उपयोग जनता की होनहार सन्तान के दिमाग को विकसित करने में होगा।

साथ साथ ऐसा आइटम भी देखने को मिला है कि जो व्यय के मद में पैसा लगा रखा है, माननीय सभापति महोदय, इस पहलू पर भी दो शब्द मैं अर्ज करना चाहता हूं। मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा की सड़क की हालत इतनी बुरी है कि जितनी उसकी बुराई की जावे उतना कम है। वहां पर स्वयं हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के निवास स्थान उदयपुर के लोग-बाग अपनी चालीस-पचास हज़ार की लागत की बसें चलाते हैं और उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि एक-दो साल में शायद उनको कबाड़ीखाने में बेचने की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर एक अच्छी सड़क का निर्माण मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा तक बना दिया जावे तो जनता और मोटर मालिकों को ही लाभ नहीं होगा; बल्कि आवड़ी माता के यहां पर जो धर्म प्रेमी लोग जाते हैं वे भी आसानी से आ जा सकेंगे। साथ साथ सभापति महोदय, और भी बहुत सी मदें हैं जिनमें टैक्सेज़ रियालाइज़ होते हैं और एक्सपेन्डीचर किया जाता है उनको खत्म किया जा सकता है। मसलन पुलिस के सफर के ऊपर किया जाने वाला खर्चा। यह क्रिस्टल क्लीयर है कि ९९.९९ पर्सेन्ट पुलिस कर्मचारी मोटरों में फ्री ट्रैवल करते हैं और हमारी राज्य सरकार उनको राज्य के खजाने से भत्ते के रूप में पैसा देती है।

(श्री अब्दुलजब्बार)

यह खुला एलीगेशन है मेरा। अगर वास्तव में यह तथ्यहीन एलीगेशन हो तो इसकी जांच की जा सकती है और मैं प्रूफ दे सकता हूं कि ६६.६६ पर्सेंट पुलिस कर्मचारी वगैर टिकट के मोटरों में सफर करते हैं और उनका भत्ता राज्य सरकार अपने खजाने से देती है और वह जनता को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। अगर कोई थोड़ी बचत होती है तो यह कि मोटरों का चालान नहीं होता है, ओवर क्राउडेड जा सकती हैं; इसके एक्सचेन्ज में यह व्यवस्था करते हैं। मैं इसके एवज में एक सुझाव देना चाहता हूं कि उनको अगर पासेज़ इश्यु कर दिये जावें, रीज़नेबल रेट पर, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर पास इश्यू कर दिये जावें तो यह भत्ता बच सकता है। तो जो सजेशन अपने छोटे दिमाग से मैं रख सका हूं वास्तव में अगर वे ठीक हों तो इसके आधार पर जनता को राहत पहुंचाने के लिये अवश्य कोशिश की जावेगी और साथ साथ जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप कागजों और शब्दों में ही सीमित है, जो शाब्दिक चित्रों में ही देखने सुनने को मिलता है उसको असलियत का जामा पहिनाया जा सकेगा।

श्री मोहनराज (बाली) : सभापति, महोदय यह बजट प्रस्तुत होने के बाद आज जो भाषण हुए और खास तौर पर विरोधी दल के नेता का भाषण सुनने और उनके सुझावों को जानने का यह सदन बहुत इच्छुक था। लेकिन उनका भाषण सुन कर हमें वास्तव में बड़ी निराशा हुई है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही थी तब उसका उत्तर देते हुए हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उन्हें सुझाव दिया था कि आप बजट पर बहसके वक्त अपने कोई ठोस सुझाव सदन के सामने रखें, अपने कोई ऑल्टरनेटिव प्रपोज़ल्स सदन के सामने पेश करें कि जिनके आधार पर बिना टैक्स लगाये, बिना विकास के कार्यों को बन्द किये राज्य का संचालन कैसे कर सकते हैं और बहुत उत्सुक थे कि वह सचमुच में किस तरह की योजना पेश करते हैं और उन्होंने भी अपने भाषण में उस समय कह कहा था कि यदि हमें मौका दिया जाये ६ महीने के लिए राज्य संचालन करने का तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से बिना टैक्स लगाये हम राज्य चला सकते हैं। आज हम यह जानना चाहते थे कि वह ६ महीने तक किस तरीके से राज्य संचालन करते और बिना टैक्स लगाये लोगों को सारी सुख-सुविधायें कैसे देते। जब उन्होंने ६ महीने की अवधि राज्य संचालन के लिए मांगी थी तो सचमुच हमें बड़ा अचम्भा हुआ कि यह अवधि उन्होंने किस प्रकार से रखी थी। खाली किसी ज्योतिषि के कहने से वह अवधि तो उन्होंने नहीं बताई। तब सोच विचार करने से मालुम हुआ कि वास्तव में ६ महिने की जो उनकी घोषणा है उससे अधिक तो वे राज्य चला ही नहीं सकेंगे। उसके आधार पर तो राज्य चलाया ही नहीं जा सकता क्योंकि मान लीजिए किस्मत से ऐसा हो जाये और उनके हाथ में छींका टूट कर राज्य आ जाये-वैसे होता नहीं है ऐसा जनतन्त्र में-तो मेरा ख्याल है कि उनकी घोषणा उनको इस बात के लिए मजबूर करती कि किसानों पर जो पहले से लगान लगता है वह माफ करना पड़ेगा, बिक्री कर

(श्री मोहनराज)

माफ करना पड़ेगा, और भी टैक्स सारे के सारे माफ करने पड़ेंगे और जब उन्होंने ऐसी घोषणा की कि हम विकास कार्य बन्द नहींकरते तोक्या होता ? या तो सरकार के जितने कर्मचारी हैं वे बिना तनख्वाह के रहते या सारी स्कूलें और अस्पतालों में ताला लग जाता, सचिवालय बन्द हो जाता और पता नहीं इस हाउस में बैठने वाले भी मिल पाते या नहीं। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था कभी भी ६ महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। इसलिये मैं मानता हूं कि जब उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके जरिये बता सकें कि हम बिना टैक्स के किस तरीके से राज्य चला सकते हैं; तो उनके दिमाग में सिवाय इसके क्या बात हो सकती थी ?

उन्होंने एक बात और कही कि हमें मौका देकर देखा जाये तो हम हमारे तरीके उस समय बतायेंगे। मैं मानता हूँ कि इस तरह से मौका नहीं मिलता। लेकिन इतिहास में एक उदाहरण जरूर है। मध्य-कालीन युग में दिल्ली के तख्त पर एक बादशाह थे। उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने खुश होकर एक दिन का राज्य दे दिया था। बादशाह ने बहुत ही प्रसन्न होकर एक दिन दिल्ली की गद्दी उसको सौंप दी थी और इतिहास के अन्दर भी इस बात का एक सुबूत मिलता है कि उन्होंने एक दिन के अन्दर हिन्दुस्तान की बादशाहत करके क्या कियाथा।.एक सोलीटरी एग्ज़ाम्पल है उनकेएचीवमेन्ट की और वह यह कि उन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया था। मैं सोचता हूँ कि इस तरक्की से अंग्रेजी में कहावत तो जरूर है 'हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ' लेकिन इस समय जब कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, हम लोग इस तरह से हिस्ट्री का रिपीटीशन होने नहीं देना चाहते और नहोने ही दिया जायेगा; इसलिये जब कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार सारे विकास कार्यों को रखना है तो जरूरी बात है कि जो ग्रेव डेवलपमेन्ट हो रहे हैं उनमें हमको पैसा लगाना पड़ेगा।

अभी एक सम्माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि ये टैक्स से बच जायेंगे और बचना चाहिए और यह हमारी पीठ पर बोझ डाल दिया गया है और एक सुझाव भी उन्होंने रखा कि कोर्ट्स के बड़े २ मकानात बन रहे हैं वे रोक दिये जायें। तो मुझे जरूर भरोसा हुआ और विश्वास हुआ कि इस तरह के कामों को अगर हम रोक दें तो टैक्स वगैर भी राज्य संचालन कर सकते हैं। पर एक ही सांस में उन्होंने दूसरी योजनायें भी रख दीं, स्वयं की योजना रख दी कि ये स्कूल की दूसरी योजनायें उनके यहां होनी चाहिये जिनमें कि लाखों रुपयों का व्यय करना पड़ता है। जब हम सारे के सारे विकास-कार्य चाहते हैं और साथ में यह सोचते हैं कि ये बिना टैक्स से हो जायें तो हम बहुत ही उम्मीद करते हैं इस तरह की योजनायें रखी जायें। हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने अंग्रेजी की बहुत पुरानी कहावत की फिर से याद दिला दी और उसे फिर दोहराया कि 'कट दी कोट अकार्डिंग टू दी क्लॉथ। मैं नहीं सोचता कि वास्तव में इस मुहावरे को सीरीयसली सोचा जाय तो यह कहां तक इसपर लागू किया जा सकता है। अगर अनुभव की दृष्टि से देखे तो कपड़े के आधार से कोट नहीं बनवाते, बल्कि हमारे शरीर के हिसाब से बन-

Page No 69

(श्री मोहनराज)

वाते हैं। कपड़ा ज्यादा हो तो सारा का सारा लम्बा कोट नहीं करवाते और अगर कपड़ा थोड़ा है तो कोट ऐसा नहीं बनवाते कि जो ६ महीने का बच्चा पहिने। अगर वह सही रूप से इसके ऊपर सोचते तो यह ५ सौ वर्ष के पहले का नक्शा है और उसके आधारपर चलना चाहते हैं तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ, आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है कि अब उसका पुराना ढांचा वापिस नहीं लाया जा सकता और उसके अनुसार हमारी योजनाओं को नहीं बनाया जा सकता। हमारी योजनायें उसी आधार पर बनाई जायेंगी जो हमारे समाज की आज की मांगें हैं, हमारे यहां की जनता की जो ख्वाहिश है, जो उम्मीद है उनको पूरा करने के हिसाब से हमें योजनायें बनानी पड़ेंगी। इसलिए कहावत का हवाला देकर जो हमारी योजना की प्राथमिकता को नहीं रखना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि वह गलत बात होगी और यह हमारे समाज को बहुत पीछे धकेलने वाली बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन टैक्स के नये बोझ को मंजूर करें और हम यह दलील देकर नहीं बच सकते कि सरकार ने जो टैक्स लगाया है उससे कमर टूट रही है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि यह नया समाज हम बनाने जा रहे हैं। हां, उसके अन्दर हम अपने सुझाव रख सकते हैं कि फलां चीज को घटा कर फलां चीज लाई जा सकती है। अगर आप सोचते हैं कि बिक्री कर नहीं लगना चाहिये तो या तो यह बताइये कि ये-ये बांध और सड़क बन्द कर दी जाये और ये-ये पॉवर हाउस नहीं बनाये जायें और यदि आप उन्हीं विकास के कार्यों को चाहते हैं तो वह रुपया आखिर कहां से प्राप्त किया जाये; यह भी आपको बताना पड़ेगा। जब हम सुझाव देते हैं कि हर सरकारी नोकर की तनख्वाह १०० रु० से कम नहीं होनी चाहिए पर साथ ही यह भी सोचना पड़ेगा कि इसके लिए कितनी बड़ी धन राशि चाहिए। यह सभी लोगों को पसन्द आता है, दिल से सभी लोग चाहते हैं कि जिनको कम तनख्वाह दी जा रही है उनके भी घरों में उतने ही बच्चे होते हैं जो कि ५ हजार की तनख्वाह पा रहे हैं, उसको भी उतनी ही जरूरतें हैं, उनकी भी उतनी ही ख्वाहिशें हैं, उनको भी सारी बातें चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि क्या ऊपर के लोगों की तनख्वाह कम कर दी जाये तो उसके लिये कहते हैं कि नहीं उससे तो एफीशियेन्सी नहीं रह पायेगी। नीचे की तनख्वाह बढ़ाने के लिए रुपया चाहिए तो वह रुपया कहां से आयेगा? इसलिए इन सारी बातों पर सोचने के लिए हमें कुछ नतीजोंपर पहुंचना होगा और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

अब जो बजट पेश किया गया है उसके विषय में मेरे भी थोड़े से सुझाव हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वित्त मंत्रीजी द्वारा मिट्टी, बजरी और रेत पर से जो रॉयल्टी के रूप में टैक्स लगता था उसके लिए काश्तकारों के लिए जो राहत दी है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि गांव के अन्दर काश्तकारों के लिए जरूरी है उसमें एक बात और है कि जो बेचने के लिए यह चीज करते हैं उसको टैक्स यों का यों ही देना पड़ेगा। गांवों की हालत ऐसी है कि कुछ चीजें काश्तकार खुद लाते हैं और कुछ चीजें जो मिट्टी या रेत की बनती हैं जिनको दूसरे चन्द लोग

(श्री मोहनराज)

बनाते हैं; कुम्हार वगैरह, और काश्तकार उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि बेरां में जो घड़लियां चलती हैं जिनसे पानी निकलता है वह कुम्हार बनाता है, अगर वह बेचता है और किसान खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। यही की यही बात ईंटों पर भी लागू होती है। काश्तकारों के लिए जो माफी दी गई है वह तो रखी जाय, लेकिन उसके साथ में यह इस तरह का जो टैक्स है जिससे गांव के आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जो रॉयल्टी वसूल करने वाला ठेकेदार होता है वह जब गांव में जाता है और एक मकान बनाने वाले से जिसने रिपेयरिंग में ५०० या ७०० रुपये खर्च किये हैं उससे रेती या मिट्टी-के लिए १० या १५ रुपये वसूल करता है; यह मैंने देखा है। इन तकलीफों को मिटाने के लिए मेरा सुझाव है कि इससे आमदनी तो चन्द हजारों की होती है और वसूली कई गुना अधिक होती है और लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है। इसलिए इस टैक्स को बिल्कुल ही हटा दिया जाय। जो गांव के अन्दर रेत, मिट्टी और बजरी वगैरह लाकर अपने घर की लीपन करता है या मामूली सा मकान बनाता है उस पर से यह टैक्स बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। अगर इस बात से ऐसा महसूस होता है कि इनको भी धीरे धीरे जाकर टैक्स देने के लिए तैयार करना है या उसकी जरूरत महसूस करानी है, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि इस टैक्स को काम में लेने का हक, इस टैक्स को वसूल करने का अधिकार पंचायत या पंचायत समितियों को सौंप दिया जाय। इससे उनकी थोड़ी सी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को कहां पर तकलीफ होती है वह पंचायत या पंचायत समिति वाले इस बात को जानते हैं कि किस केटेगरी के लोगों से यह वसूल करना चाहिए और किस प्रोपोर्शन से करना चाहिए। इसलिए यह आमदनी का मामूली सा जरिया है। मेरे ख्याल से अगर फीगर्स इकट्ठे किये जायेंगे तो चन्द हजारों की आमदनी होगी, जो कि सारे राजस्थान के खजाने में आती होगी, लेकिन अगर ये अधिकार पंचायतों को दिये जायेंगे तो पंचायतें की अच्छी हालत बनेगी और बिना तकलीफ दिये लोगों से वसूल करेंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा राहत लोगों को मिलेगी और वह पैसा ठीक से उपयोग में आ जायेगा और यह ठेकेदार की जो प्रथा है वह इस तरह से अनायास रूप में खत्म हो जायगी। इसके विषय में तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा मेरा सुझाव था पशु-धन की बिक्री पर भी टैक्स लगाया गया है उसके बारे में। राजस्थान में पशु एक बहुत बड़ा धन है, हमारी एक सम्पत्ति है और यह मैं मानता हूँ कि जिस तादाद में पशुओं की बिक्री राजस्थान में होती है बड़े बड़े मेलों में उससे आमदनी भी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इस टैक्स को लगाने के लिए या यह वक्त उपयुक्त है या नहीं। राजस्थान का पशु-धन जो सदियोंसे निग्लेक्टेड था जिसकी कोई परवाह या हिफाजत नहीं हो रही थी उसको अभी अभी तरक्की मिली है, नस्ल सुधरने लगी है और हमारे पशु-धन की मांग दूसरे इलाकों में होने लगी है। अगर इस वक्त यह टैक्स लगा देंगे तो मेरा ख्याल है कि पशुपालकों के अन्दर एक निराशा आयेगी और इस धन्धे को बढ़ने में रुकावट आ सकती है। कोई भी टैक्स लगाने से पहले

(श्री मोहनराज)

सिद्धान्ततः यह बात मान लेनी चाहिए कि हम ऐसा टैक्स लगायें और उस पर लगायें, जिससे हमें टैक्स तो हमेशा मिलता ही रहे लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय टैक्स की मिकदार में। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि कुछ समय के लिए इस टैक्स को रोका जायगा तो हमारे यहां पर इस वक्त जो पशुधन का सुधार हो रहा है उसमें तरक्की हो रही है, उसमें वृद्धि होगी और किसानों में निराशा नहीं आयेगी। पशु-पालकों को इस धन को ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और एक समय आयेगा जिस समय टैक्स लगा कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कर सकेंगे। इसलिए इस धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए ही इस टैक्स को फिलहाल रोका जाय तो मैं समझता हूं कि काफी फायदे की बात हो सकती है।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो मेरे दो सुझाव हैं वे मैंने आपके सामने रखे हैं।

श्री सभापति (श्री राव नारायणसिंह) : और कोई माननीय सदस्य बोलेंगे ?

श्री सम्पतलाल (मावली) : सभापति महोदय, मैं पहले थोड़ा सा सुझाव दे रहा था, उसमें यह निवेदन कर रहा था कि बारदाने पर सेल्स टैक्स कपड़े पर माफ किया गया है उसके साथ साथ दूसरी और भी कोमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी बारदाना माफ होना चाहिए था या और कोई तरीका होना चाहिए कि खाली बारदाना पर माफ करने से समस्या हल नहीं होती। वहां पत्ती भी आती है वह भी माफ होनी चाहिए। तभी कपड़े के व्यापारी राहत पा सकते हैं। उसमें यह भी स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वह व्यापारी जो, खाली कपड़ा बेचते हैं उनको आयन्दा सेल्स टैक्स ऑफिस में नहीं जाना पड़े और किसी भी प्रकार की सेल्स टैक्स की फोर्मेलिटीज़ नहीं ऑब्ज़र्व करनी पड़े।

इसी प्रकार से जो इनीशियल एक्ज़ेम्प्शन मिला है, १२,०००)रु.से १५०००)रु. बढ़ाया है उसका मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। आपकी जो बजट स्टेडी की किताब है मैं उसके बेसिस पर निवेदन करता हूँ। वह स्थिति यह है कि सन् १६५५-५६ में जब कि प्राइस इन्डेक्स १०० था और आज वह १२५ हैं, पेज ४१ कहता है "Index Number of wholesale price in Rajasthan. Food articles in 1956-Rs. 100.1 and today in 1961-Rs. 125.5."

जो १२,०००)रु. का माल सन् ५६ में या ५५में था उसकी आज कीमत१००)रु.से बढ़कर १२५) रु० हो गई है और इस तरह से वह १२,०००) और १५,०००) बिल्कुल बराबर है, यानी १२,०००) रु० से एक्ज़ेम्पशन की लिमिट को बढ़ा कर १५,०००) कर दिया, इससे किसी व्यापारी को कोई फायदा हुआ हो, ऐसी बात नजर नहीं आती। जो व्यापारी सन् ५५ में १२,०००) रु० का माल बेचता था उसकी कीमत आज बढ़ कर १५,०००रु. हो गई है। इसलिए व्यापारी के लिए सेल्स टैक्स की लिमिट में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है।

इसी प्रकार से इम्पोर्टर्स के बारे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एक पानवाला एक नये पैसे का बाहर से सामान मंगाता है उसके ऊपर भी वह टैक्स की लायेबिलिटी होती है। आज एक पानवाला किस प्रकार

(श्री सम्पतलाल)

से अपना हिसाब रखेगा ? इसको प्रत्येक सदन का सदस्य जानता है कि जब पान की बिक्री होती है तब वह पान के पैसे लेना तक भूल जाता है। क्या उस आदमी से आशा की जा सकती है कि वह पान की बिक्री का हिसाब रखे ? जब वह हिसाब सामने लेकर आता है तो सेल्स टैक्स ऑफिसर यह समझता है कि पानवाला हिसाब नहीं रख सकता और हिसाब जो रखा हुआ है वह झूठा है। वास्तविक बात यह है कि पानवाला हिसाब नहीं रखसकता और जो रखा जाता है वह झूठा होता है। उसे बातें मजबूर करती है।

व्यापारियों को हिसाब रखने के लिए, और जब हिसाब रखा जाता है तो सही नहीं माना जाता है।

(३.० म० प०)

इस प्रकार की जो स्थिति है वह हमारी टैक्सेशन की नीति के कारण है। हम यह चाहते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं जो माफ़ की जा सकती हैं और जिनको वसूल करने में हमारी नीति के कारण लोगों में ईमानदारी नहीं आती, ऐसी टैक्सेशन की नीति को बदलना चाहिये। इसी बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया था कि आज वेजीटेबल घी जो राजस्थान में आता है उस पर १० पर्सेंट टैक्स लगता है और मध्य प्रदेश में ४पर्सेंट टैक्स है। आज व्यापार का यह नियम है कि जहां माल सस्ता होगा वहां से खरीदा जायगा और जहां माल मेंहगा होगा वहां पर बेचा जायेगा। जो बोर्डर के नजदीक के इलाके हैं वहां पर किसान लोग जाकर गाड़ियों में माल भर कर ले आते हैं और व्यापारी लोग चोरी से लाते हैं और बेचते हैं। उनको इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि वह माल पूरा नहीं पड़ता है। आप चाहें कि व्यापारी ईमानदार बनें तो आपको इस नीति में परिवर्त्तन करना पड़ेगा और टैक्स में भी विशेष अन्तर नहींपड़े। अगर टैक्स में विशेष अन्तर भी पड़ता है तो भी हम मांग करते हैं कि जहां ईमानदारी का सवाल है, व्यापारियों को ईमानदार बनाना है तो ऐसी नोति अपनानीचाहिए जिससे चाहे थोड़ा टैक्स आये लेकिन व्यापारी लोग ईमानदार बनें।

मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सैल्स टैक्स में कितनी दिक्कत छोटे छोटे व्यापारियों को होती है। आपने कानून बना रखा है डिक्लेरेशन फॉर्म का इस डिक्लेरेशन फार्म में क्या होता है कि व्यापारी को घोषणा करनी पड़ती है कि यह माल मैं राजस्थान में बेचूंगा या राजस्थान के बाहर बेचूंगा या हिन्दुस्तान के बाहर बेचूंगा, या दूसरी स्टेट में बेचूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई व्यापारी माल खरीदता है वह पहले कैसे कह सकता है कि वह माल कहां बेचेगा। लेकिन उससे घोषणा करवाई जाती है कि वह राजस्थान में बेचेगा या बाहर बेचेगा। क्या वह स्वप्न में भी आशा कर सकता है यह बताने की कि वह माल कहां बेचेगा ? मैं कह सकता हूँ फि वास्तव में कोई व्यापारी घोषणा करता है तो वह उलझन में पड़ जाता है, उसके सामने समस्या हो जाती है। कभी भाव.राजस्थान में अच्छे होते हैं कभी मध्य प्रदेश में अच्छे होते हैं तो जहां अच्छे भाव होते हैं वहीं व्यापारी अपना माल बेचता है। तो अगर उससे घोषणा करवाई जाती है तो वह गलत हिसाब पेश करता है और उसके लिए हम उसको मजबूर करते हैं।

(श्री सम्पतलाल)

इस डिक्लेरेशन के कारण व्यापारी परेशान हैं। कोई भी व्यापारी कहेगा कि कुछ भी करें लेकिन इस डिक्लेरेशन से माफ करवा दें। यह कहा जाता है कि प्रत्येक आइटम के लिये for every transaction, you have to obtain declaration form. एक एक आइटम के लिए डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा तो वह व्यापारी बार बार डिक्लेरेशन देता रहे या व्यापार करे ? सरकार कहती है कि हमारे यहां हिन्दी भाषा चलती है और इसी राज्य में डिक्लेरेशन फॉर्म अंग्रेजी में चलते हैं। आज तक इसमें सुधार या परिवर्तन करने की बात नहीं की गई। जब हम जानते हैं कि हमारे यहां के व्यापारी अशिक्षित हैं, फिर भी डिक्लेरेशन फॉर्म अंग्रेजी में छपे हुए रहते हैं ! जब व्यापारी फार्म भर कर ले जाते हैं और उनमें कुछ कमी रह जाती है तो वह फार्म रिजेक्ट हो जाता है और उससे टैक्स ले लिया जाता है। होना यह चाहिए कि व्यापारी जो टैक्स देता है उससे उसे परेशानी नहीं उठानी पड़े।

मैं एक उदाहरण आपके सामने दूंगा जो टैक्स लिया जाता है वह इतने भिन्न भिन्न प्रकार का होता है कि छोटे २ व्यापारी जो छोटी २ चीजें बेचते हैं उनका उन्हें हिसाब रखना असंभव है। जैसे कोई किराना मर्चेंट है वह हिसाब किस चीज़ का रखेगा, १% का, २% का, ३% का या ७% का या १०% चीजों का रखेगा, किस किस का रखेगा ? उसके अलावा पोइन्ट्स भी भिन्न भिन्न हैं। कोई टैक्स फर्स्ट पोइन्ट पर लिया जाता है, कोई सेकन्ड पोइन्ट पर लिया जाता है। अलग अलग चीजों का अलग अलग पोईन्ट्स पर किस तरह से हिसाब रखें; यह एक उसके सामने समस्या है। इससे मध्यम वर्ग के व्यापारी बड़े परेशान हैं। इसके लिए कोई सरल तरीका रखा जाय तो व्यापारियों को लाभ होगा। रेट्स भी कम रखी जाएं। रेट से मेरा मतलब व्यापार की श्रेणी है उनको कम किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। ४ पर्सेंट के आइटम तो बहुत थोड़े हैं।

एक महोदय ने कहा कि दूसरा कोई आॅल्टर्नेटिव बताइये। जिस प्रकार आपने कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटाया, शक्कर आदि पर से हटाया और उन पर उत्पादन कर लगाया उसी प्रकार से दूसरी वस्तुओं के बारे में भी किया जाय तो व्यापारी वर्ग झंझट से बच सकता है, आप उनको सहूलियत दे सकते हैं। यह प्रश्न सोचने का है। गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिये।

इसी प्रकार से एक टैक्स और है जो सेल्स टैक्स से सम्बन्धित है, वह है पर्चेज़ टैक्स। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर्चेज़ टैक्स से मुसीबत और बढ़ी है। यह टैक्स है बिदाउट रेवेन्यू का। इससे कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, सिवाय परेशानियों के। पहले ६ लाख का Estiment था और अब ३ लाख का है। लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है, ३ लाख भी प्राप्त होना असंभव है। पर्चेज़ टैक्स ऐसा है कि सीधा किसान से खरीद कर व्यापारी बाहर जाकर आड़ में बेचे तब लगता है। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। ऐसे उदाहरण व्यापार में बहुत कम मिलते हैं। माल गांवों से आता है, फिर मंडी में जाता है, फिर

(श्री सम्पतलाल)

दूसरे व्यापारी के पास जाता है, फिर बाहर जाता है। ऐसी स्थिति में पर्चेज़ टैक्स लगा कर कॉम्पलीकेशन बढ़ाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इससे इतनी थोड़ी इन्कम होती है कि इसको हटाया जाय तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

एक और विशेष बात होती है। एक नया तरीका अपनाया गया है इम्पोज़िंग ऑफ पेनल्टी का। छोटी २ बातों पर पैनल्टी लगाई जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि penalty should not be a source of revenue. विशेष प्रकार से आदेश होने चाहिये कि पेनल्टी को सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाया जाय। पेनल्टी लगाना हो तो इतनी हो कि जनता और व्यापारी एहसास करें कि हमने गलती की है और आयन्दा नहीं करेंगे। जो अधिकारी बिना पेनल्टी लगाये टैक्स वसूल कर सकता है वह अच्छा समझा जाना चाहिए। आज छोटी २ बातों पर पेनल्टी लगाई जाती है। व्यापारी यह समझ कर देता है कि जान छूटे। इस प्रकार की नीति होनी चाहिए कि व्यापारियों को एहसास मिले और पेनल्टी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बने।

सेल्स टैक्स में एक विशेष बात यह है कि कोई इन्डस्ट्री लगाते हैं तो एग्ज़ेम्पशन मिलता है। पहले कहा जाता है कि चालू करिये फिर लाइसेन्स मिलेगा। दूसरी ओर ऐसा कहा जाता है कि इन्डस्ट्री लगायेंगे तो एग्ज़ेम्पशन मिलेगा। लगावें तो कैसे लगावें? सेल करने के लिए इन्डस्ट्री होनी चाहिए। न तो सेल्स टैक्स का लाइसेन्स मिलता है और न इन्डस्ट्री लगा सकते हैं। लाइसेन्स मिलता है, जीनिंग इन्डस्ट्री में प्रेस होने के लिये रॉ मेटीरियल आता है, वह इन्डस्ट्री किसी प्रकार का सेल नहीं करती है। उसमें हमें एग्ज़ेम्पशन दिया जाता है। जब सेल्स टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं when we do not sell anything, जब बिक्री नहीं करते हैं तो किस बात का लाइसेन्स दें। इन बातों पर आप गौर फरमाइये।

एक सजेशन मैं रिफन्ड के बारे में और देना चाहूंगा। आज कल जो गलत तरीके से वसूली होती है समय पर उसको रिफंड नहीं किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति बनाई जाय कि जो रकम रिफंड नहीं की जायगी उस पर व्याज दिया जायगा तो शायद अधिकारी जल्दी ही रिफंड करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता के डर से शायद अनाज पर टैक्स न लगा कर चने और चने की दाल पर लगाया है। यह रोजमर्रा खाने के काम में आने वाली चीज़ है। जहां रोटी और दाल भी टैक्स से परे नहीं हो वहां की सरकार से हम क्या आशा करें? हमारा कन्ज़्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स इतना बढ़ गया है कि उससे पार पाना मुश्किल है। उस पर फिर यह टैक्स बढ़ गया है। दाल पर जो ५ प्रतिशत टैक्स लगाया है वह बहुत भारी है। आगे चल कर शायद सरकार की कहीं यह मन्शा न हो कि अनाज को भी धीरे धीरे टैक्स में शामिल ले लिया जाय। यह जन-साधारण के लिए घातक है। जिस प्रकार से दाल पर टैक्स लगाया है वह अच्छी चीज़ नहीं है।

(श्री सम्पतलाल)

इसके बाद मैं नेशनलाइज़ेशन या बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। आज राष्ट्रीयकरण के नाम पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती है। हम भी यह मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण अच्छी चीज है। लेकिन राष्ट्रीयकरण किस चीज का हो ? राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहां की अधिकांश जनता पढ़ी हुई नहीं है और पिछड़ी हुई है, लोगों के पास पूंजी नहीं है। यदि राष्ट्रीयकरण करें तो ऐसी चीजों का करना चाहिए जिन्हें व्यापारी या जनता नहीं कर सके; ऐसी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ का करना चाहिये जिससे राजस्थान का विकास कर सकें। लेकिन आज बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिन बसों को मध्यम वर्ग चला सकता है। मैं कहता हूं कि बस ऑपरेटर भी कर्जा लेकर चला सकते हैं और राष्ट्रीयकरण उन रूट्स पर किया है जो अच्छे चलते हैं और उन दूसरे आदमियों को परमिट उन रूटों पर दिया जाता है जहां पर कच्चा रास्ता है। जो व्यापारी आज तक कष्ट उठा कर खराब रास्ते पर बस चलाता था या पहले कम मुनाफा कमाता था और आज मुनाफा कमाने की स्थिति में आया है, तो आप उसका राष्ट्रीयकरण करते हैं और उनको उन रूटों पर बस चलाने की इजाज़त दे रहे हैं, जहां पर कच्चा रास्ता है और जो रूट अनइकानोमिक हैं और जहां वे अधिक मुनाफा नहीं कमा सकते। मैं कहता हूँ कि हमारे देश को ऊंचा बढ़ाने का यह अच्छा तरीका नहीं है। जो व्यापार कर सकते हैं उसे करने दीजिये और जो व्यापार नहीं कर सकते, जो व्यापारी और सेठ नहीं कर सकते और जिसके कारण देश का विकास होता है — ऐसे व्यापार को आप अपने हाथ में लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही आज बस के राष्ट्रीयकरण के कारण जो सुविधायें जनता को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं, या वे नहीं मिल सकती। इसलिए बस का राष्ट्रीयकरण यह मान कर नहीं करना चाहिए कि क्योंकि यू. पी. में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है; इसलिए यहां भी किया जाय। हमारे प्रान्त की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। राजस्थान के रास्ते उबड़-खाबड़ हैं। राजस्थान में पहाड़ हैं, नदियां हैं। तो आपको अगर राजस्थान का विकास करना है तो जो इन्डस्ट्री और कल-कारखाने व्यापारी ने मेहनत करके कायम किये हैं उनको आप मुनाफा खाने दीजिये और उनको यह मौका दिया जाय कि वे और अधिक तरक्की करें। उनको व्यापार को बढ़ाने का और तरक्की करने का मौका दिया जाय। उनको मौका दिया जाय कि वे जनता की सेवा कर सकें।

दूसरी बात है कि आप राष्ट्रीयकरण करें; जो बहुत बड़े बड़े कल-कारखाने लगा दें, उनका राष्ट्रीयकरण करें तो बात समझ में आती है कि इससे जनता का भला होगा। तो मेरा निवेदन था कि इस बस का राष्ट्रीयकरण करने से पहले आप दूसरों का राष्ट्रीयकरण करते तो ज्यादा अच्छा होता। बस का राष्ट्रीयकरण मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर एक बहुत बड़ा अन्याय है। बस, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जयकृष्ण (थाना गाजी) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : सभापति महोदय,........

श्री जयकृष्ण : हमारे सामने राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने इस साल का बजट प्रस्तुत किया है और बहुत खुशी की बात है कि उनके बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् आज बहस प्रारम्भ हुई और बहस के प्रारम्भ होने से आप इस बात को देख रहे हैं कि राजस्थान के वित्त मन्त्री ने जो भाषण प्रस्तुत किया है; मैं समझता हूं कि उससे सबको संतोष मिलता है और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आज विरोधी बैंचों पर बैठे हुए सदस्य बजट पर बोलने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि कोई बात उन्हें नहीं सूझ रही है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य तैयार हो रहे हैं :

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : कल बोलेंगे। इस बजट को स्टेडी कर के बोलेंगे।

श्री जयकृष्ण : जो माननीय सदस्य बोलें उनका भाषण स्टेज का सा था। धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर स्वतंत्र पार्टी के नेता ने अपनी पार्टी की नीति को रखा था और आज भी उन्होंने अपनी पार्टी की नीति को रखा। उन्होंने कहा कि नेशनलइज़ेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सहकारिता से मतभेद है। किसी ने कहा कि सीलिंग का विरोध करते हैं। मैं इस बात की ओर माननीय सदस्यों का, माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे सेल्स टैक्स के हक में हैं या सेल्स टैक्स की दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स का डिक्लेरेशन फार्म है वह हिन्दी में नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे माननीय सदस्य हिन्दी को बहुत बड़ा महत्व देना चाहते हैं किन्तु खुद हिन्दी को महत्व शब्दों के द्वारा नहीं देना चाहते। वे कहते हैं कि सेल्स टैक्स लगान है तो उसका घोषणा-पत्र हिन्दी में होना चाहिए और हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले उनको खुद हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन खामियां निकालने की एक आदत हो गई है और खामियां निकाल कर सदन के सामने इस तरह से रखना चाहते हैं कि जिससे मालूम हो कि उनकी पार्टी के लोग कितना अधिक बोल सकते हैं और कितने अधिक भाषण देकर चुनाव में जीत कर आये हैं। यह मैं अब समझ पाया हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ था तब भी और आज बजट पर भाषण हुए तो अब भी कुछ बातें रखीं इस सम्बन्ध में कि जो जो कर लगे हैं, जो बजट के अन्दर नये कर लगे है, उनसे जनता को दिक्कत है। वैसे सुझाव देने का हक हर एक को होता है लेकिन हमारे बीच में तरह तरह की विचार धाराओं के लोग हैं। हम जो इस सदन के सदस्य बैठे हुए हैं उनमें तरह तरह की विचार-धारा के लोग ट्रेज़री बैंच पर भी बैठे हैं और तरह तरह की विचार-धारा के लोग कुछ विरोधी पक्ष में भी बैठे हैं। तो सदन में तरह तरह की विचार-धारा है। बहुत से माननीय सदस्य सहकारिता के हक में हैं।

बहुत से माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण के हक में हैं तो दूसरे लोग राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं। अगर देश की तरक्की करना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं तो जो प्रोग्रेसिव कानून है, जो प्रोग्रेसिव बातें

(श्री जयकृष्ण)

हैं मुल्क के अन्दर उनको अपनाना पड़ेगा। हो सकता है कि राजस्थान के लिए बसेज़ का राष्ट्रीयकरण करना ठीक हो; हो सकता है कि दूसरी चीजों का राष्ट्रीयकरण करना ठीक हो। राष्ट्रीयकरण को नीति के बारे में स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता ने कहा कि उन्हें सहकारिता में विश्वास नहीं है। उनको राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं है। परन्तु दूसरे लोग, जिनको इसमें विश्वास है, जो अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और जिस विश्वास के द्वारा इस देश का विकास होने वाला है उसको रोकने के लिए क्या उनका विचार था ? क्या उनकी इस बात का हम स्वागत करें कि हम इस राजस्थान की तरक्की को, इस मुल्क की तरक्को को रोक दें ? मैं इसलिए सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जो वित्त मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है, जिसके अन्दर कि कम से कम कर लगाने की चेष्टा की गई है; मैं समझता हूं कि आम आदमी पर वे कर न होकर उन लोगों पर लगाने की चेष्टा की गई है जिन लोगों में बुराई है। हम समाज की बुराई को दूर करना चाहते हैं। शराब पर कर लगाया है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होगी। गहनों के ऊपर कर लगाया है; यह कोई बड़ा कर नहीं है।

तीसरा मनोरंजन कर है, वह केवल पांच पर्सेंट लगाया है। यह बहुत छोटी सी चीज है। परन्तु एक सुझाव मैं जरूर रखना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी के सामने कि जो आपने पशु कर लगाया है, यह पशु कर आम किसानों, जो गांव में रहते किसान हैं पर असर डालने-वाला है क्योंकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जब से आपने स्थापना की है, तब से गांव के अन्दर पंचायत समिति और जिला परिषद के सहयोग से मेले होने लग गये हैं और बड़े बड़े मेले भरने लगे हैं। उन मेलों में पंचायत समितियां और पंचायत कर वसूल करती हैं, उन मेलों में पशुओं पर दो रुपया, एक रुपया, तीन रुपया कर वसूल करती हैं। दूसरी तरफ अब सेल्स टैक्स बिक्री कर के रूप में पशुओं कर लगा दिया गया तो दो कर एक साथ रहेंगे और मेले, जिन जगहों पर बड़ी तरक्की कर रहे हैं, परबतसर का मेला, मालाखेड़ा का मेला भैरों का मेला, जिनमें बाहर के प्रान्तों के लोग आते हैं उनमें कमी होगी और पंचायत समितियों की आय में कुछ कमी होगी। इसलिए यह पशु कर तो जरूर इस बजट में से कम करने लायक है और इसको, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी, जरूर ही कम करने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने अभी इस बात को रखा कि वे किस प्रकार के टैक्सेज़ चाहते हैं और किस प्रकार के टैक्सेज़ को दूर करवाना चाहते हैं। एक भाई ने इस बात को रखा कि हमें इस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो दिक्कतों का जहां तक सवाल है, तो उनको दूर करवाने की बात रखें तो उसमें फिर टैक्सेज़ के खिलाफ होने का सवाल नहीं रहता। एक भाई उस रोज इस बात को कह रहे थे कि आप हमसे पूछिये, वे चिल्ला कर और बहुत खुश होकर कह रहे थे कि ट्रेज़री बैंचेज़ पर जो सदस्य बैठे हैं वे हमसे पूछें तो हम बता सकते हैं कि टैक्स किस प्रकार कम

(श्री जयकृष्ण)

से कम लें और हुकूमत अच्छी से अच्छी करें। वे भाई इस समय इस सदन में नहीं हैं, वे कल बतायेंगे। वे सुनने के लिये बैठे हैं और उनके नेता बोल चुके हैं। उन्होंने बताया नहीं तो वह कल बता देंगे कि कैसे कम से कम टैक्स लेंगे और बहुत अच्छी से अच्छी हुकूमत हो सकेगी, अच्छा से अच्छा फायदा हो सकेगा। भरतपुर से आने वाले भाई ने कहा कि हमारे यहां फ्लड आता है; उससे दिक्कत है। और मेरे यहां, जिस जिले से मैं आया हूं, वहां पानी की दिक्कत है। वह पानी उनके यहां जाकर फ्लड करता है। वे कहते हैं कि उनके यहां जाकर बर्बाद करता है और जमीन की उनको हर साल मुजराई देनी पड़ती है। और मेरे जिले के अन्दर, अलवर के अन्दर पानी के लिए लोग तरसते हैं। इसलिए, मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर जो बांध बनाने की बात देखता हूं उसमें बारां बांध बना दिया जायेगा तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि फ्लड आ जाता है क्योंकि वह अलवर में रुक जायगा और अलवर के बहुत बड़े हिस्से को सहराब करेगा। तो ऐसी दिक्कतें हैं, जिनका अगर जिक्र बजट भाषण में या धन्यवाद के भाषण में आता तो हमारी और हमारे माननीय सदस्य की दिक्कत दूर हो जाती। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इर्रिगेशन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी यह दिक्कत है और उनको हमारी इस दिक्कत की तरफ ध्यान देना है। कोई भी दिक्कत चाहे विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से बताई जावे या चाहे इधर बैठने वाले लोगों की तरफ से बताई जावे तो उसकी तरफ हमें देखना चाहिए और भी जो बहुत से सुझाव दिये गये हैं उनको भी देखने की बात है।

एक तरफ मैंने आपके सामने आमदनी कम करने की बात कही और यह कहा कि पशु कर कम कर दिया जावे; दूसरी तरफ मैं आमदनी बढ़ाने के लिए तजवीज़ आपके सामने पेश कर देता हूं। पशु कर से आपको आमदनी कम होगी और जो तरीका मैं बताता हूँ उससे संभवत: आपको आमदनी ज्यादा होगी। इस सम्बन्ध में यातायात मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितने ट्रक और बसेज़ बाहर से आती हैं उन पर हमारी सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है मगर हमारी बसें और ट्रक जब दूसरे प्रान्तों में जाते हैं तो दूसरे प्रान्त के लोग ८०) रु० Countersignature fees के लेते हैं और मैं समझता हूं कि ट्रक के ज्यादा लेते होंगे। लेकिन जब दूसरे प्रान्तों के ट्रक हमारे यहां आते हैं तो एक पैसा भी उनको नहीं देना पड़ता है। हमारे यहां पर जब वे लोग आते हैं तो यह कहते हैं कि आपके यहां पर इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं यातायात मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी जिस प्रकार हमारे प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्तों में बसें व ट्रक ले जाते हैं और देते हैं उसी प्रकार दूसरे प्रान्त के ट्रक और बसेज़ यहां आवें उन पर टैक्स होना चाहिये जिससे जितना टैक्स कम करने की बात कही है उससे ज्यादा टैक्स आपको वसूल हो जायेगा। इसलिए मैंने यह सुझाव टैक्स कम करने और उनकी पूर्ति करने के लिए दूसरे टैक्स लगाने

(श्री जयकृष्ण)

का आपके सामने पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर भी बोलना चाहता था। मुझे सदन में आने का मौका पहली बार मिला है। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था मगर समय नहीं मिला। सब लोग बोलना चाहते थे। किसी को समय मिला और किसी को नहीं मिला।

मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने और बजट में जो बातें आईं, मैं समझता हूँ कि बजट में रखी हुई बातों पर और आंकड़ों पर नजर नहीं दौड़ाई और वे ही बातें, जो धन्यवाद के प्रस्ताव में विरोध के रूप में कहीं, वही फिर से दोहराईं और पेश की गई हैं। बहुत से विरोधी नेताओं ने बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए योजना के सम्बन्ध में कहा कि सरकार की कोई योजनाबद्ध नीति नहीं है; कोई प्लानिंग नहीं है। किसी ने राजस्थान सरकार को दिवालिया बताया। एक ओर तो आपने राजस्थान सरकार को दिवालिया बना दिया और दूसरी ओर राजस्थान सरकार के लिये कहा कि सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है। आप एक बात दो पहलुओं में चलाते हैं। एक तरफ तो आपने सरकार को दिवालिया बना दिया तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई योजना नहीं। ये दोनों बातें एक साथ सुनने को मिलती हैं। इसके लिये मुझे बड़ा दुःख है। आप राजस्थान को दिवालिया बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने अपने दिल पर हाथ रख कर सोचा कि इस राजस्थान को चमन बनाने और तरक्की करने का जिम्मा इसी कांग्रेस सरकार का है। जब से एसेम्बली का निर्माण हुआ है और १५ साल से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। परन्तु उनके लिये आपकी पार्टी की तरफ से, आपके मुंह से कभी एक शब्द भी उनकी तारीफ में नहीं निकलता। आपने कभी भी राजस्थान नहर के बारे में और न कभी दूसरी बातों के लिये कुछ कहा।

दूसरे लोग कहते हैं कि राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। मगर आप यह कहते हैं कि एक पटवारी ने यह नहीं किया, एक बी. डी. ओ. ने क्या किया। मैं यह कहूँगा कि बड़े बड़े लोग गल्ती कर सकते हैं। एक एम. एल.ए. गल्ती कर कर सकता है। अगर किसी ने छोटी गल्ती कर दी तो क्या हो गया? ठीक है, हमारे अन्दर खामियें हैं। हमारे अन्दर ही नहीं, बल्कि हमारे मुल्क में खामियें हैं। अगर खामियें नहीं होतीं तो आज विरोधी बैंचों में उन लोगों को नहीं देखते जिन लोगों के नाम से लोग नाराज थे। जिन लोगों को नफरत की निगाह से देखते थे। इधर और उधर बैठने वाले.......

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : On a point of privilege, Sir, whether the Hon'ble Member means Hon'ble Member of this side or that side. The expression that he is using for the Hon'ble Members- "लोग इधर और उधर" is not desirable, Sir.

श्री सभापति Well, the Hon'ble Member will mind it.

Page No 80

श्री जयकृष्ण : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि जनरली राजस्थान में जो बहुत बड़ी तरक्की हुई है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया और बहुत सी बातें कही गई हैं । मैं यह कहूंगा कि सबसे बड़ा फर्ज हमारा यह है कि हम सुझाव रखें । हम आखिर जनता के प्रतिनिधि के रूप में आये हैं, चाहे हम विरोधी पक्ष के हैं; हमें दूसरों के विकास और निर्माण-कार्य में अपना हाथ बढ़ाना चाहिये । मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की की बात है तो आपको असली रूप से सुझाव देना होगा ।

मैं इन बातों के साथ फाइनेन्स मिनिस्टर और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि मैंने जो आपके सामने पशु कर, जो आपने बजट में रखा है उसका आम जनता पर असर होगा और इससे जो आमदनी कम होगी उसकी पूर्ति के लिये दूसरी बात मैंने साथ में बता दी है । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने समय के अभाव में बजट पेश किया है । ज्यों ही केबिनेट बनी तुरंत ही बजट पेश करने का अवसर मिला । इस कारण हो सकता है कि इस बजट में कितनी खामियें भी रही हों । फिर भी मैं यह मानता हूं कि १२८ लाख का यह घाटे का बजट है । तो मैं समझता हूं कि कई टैक्सेज़ लगाने के बाद ही हमारी योजना पूरी होती है । हमारी योजनाएं सुचारू रूप से तभी चल सकती हैं जब १२७ लाख के टैक्सेज़ लगते हैं । उसमें ५ लाख की बचत है और ५ लाख की बचत रहने के बाद १२२ लाख के टैक्सेज़ लगेंगे । सरकार पशु-कर लगावेगी और यह पशु-कर जनता के साधारण लोगों पर जो खेती करते हैं उनपर लगेगा । मैं यह कहूंगा कि विकास कार्यों के लिये टैक्सेज़ लगाना सरकार के लिये जरूरी हो जाता है मगर सरकार को इसके पहले इतना जरूर सोचना चाहिये था कि बजट पर खर्च होने वाली धन–राशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । तो मैं समझता कि आपको बहुत से टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । मनोरंजन-कर के बारे में मैं कहूंगा कि इसका असर भी सर्व साधारण व्यक्तियों पर पड़ता है और देखा जावेगा तो ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उन पर कर का असर पड़ता है । मनोरंजन–कर सिनेमा की ढाई–ढाई रुपयों की सीटों पर बैठने वालों पर लगा दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि दस आने की सीटों पर बैठने-वाले लोग उससे मुक्त हो जाते और बड़े बड़े लोगों पर ही टैक्स लगता तो कोई अनुचित नहीं होता । आज शासन में बैठे हुए दल के विरुद्ध विरोधी दल के लोगों को मौका मिलता है । आम चुनाव हुए तो विरोधी दल के लोगों ने गांवों के लोगों के, गांवों की जनता के दिमाग खराब किये हैं, झूठी बातों से

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर....

एक माननीय सदस्य : क्योंकि वे जीत कर आये हैं ।

श्री सभापति : What is your point of order ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of privilege, Sir

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस तरह जो चुनकर आये हैं उनके लिए यह कहना कि उन्होंने जनता के दिमाग को खराब किया, यह हाउस के मेम्बर्स की इन्सल्ट है। इस तरह के शब्द सदन में नहीं कहे जाने चाहिए ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैंने तो यह कहा कि विरोधी पार्टियों ने, विरोधी लोगों ने यह कहा....

श्री मानिकचन्द सुराना : जनता ने जिनको चुन कर भेजा है उनकी इज्जत करनी चाहिए; न कि यह कहें कि लोगों के दिमाग को खराब किया ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वे यह कहते रहे हैं, जनता में यह भी प्रचार करते रहे कि गायें कटती हैं, हम जायेंगे तो गायों का काटना बन्द करेंगे। तो इस तरह के प्रचार से गांवों की भोली-भाली जनता के दिमाग में यह बात बैठी कि शासन ठीक तरह से नहीं चल रहा है और उसका नतीजा यह हुआ कि विरोधी दल में कई सदस्य पहले से अधिक चुन कर आये हैं ।

तो आज जो सरकार काम करना चाहती है उसमें एक तरफ तो कह देते हैं कि हमारा सहयोग होगा और दूसरी तरफ हर चीज का विरोध होता है कि टैक्स नहीं लगाना चाहिये । ठीक है, टैक्स के बिना तो हमारी योजनाएं चलेंगी नहीं; नहीं तो विरोधी दल के लोग एक सोने का पेड़ लगा कर हमको दे दें कि जब जरूरत पड़े उससे सोना काट कर अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करें । तो कोशिश यह कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े टैक्स लगावें और ज्यादा लाभ करें । जब हमारा प्रजातन्त्र शासन नहीं हुआ था तो यह जयपुर शहर चारदीवारी के अन्दर ही अन्दर था । आज देखें तो सांगानेर तक जयपुर चमन हो रहा है । इससे प्रत्यक्ष दिखता है कि १०-१२ वर्षों में हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार ने काफी विकास किया है। लोगों की आर्थिक स्थिति दस-बारह साल में सुधरी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। गांवों की हालत भी पहले की बनिस्पत सुधरी है, शिक्षा में विकास हुआ है । पर सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि पैसे का सदुपयोग हो और पैसे के दुरुपयोग को रोका जाय। सरकार यदि पैसे के सदुपयोग की तरफ ध्यान देती तो जितने टैक्स आज लगाने पड़ रहे हैं उतने टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती । मैं मानता हूँ कि सदुपयोग नहीं हुआ पैसे का, अनियमितताएं होती हैं, कई जगह सरकारी मशीनरी में कई लोग अनियमितताएं करते हैं जिनकी सतर्कता से जांच करनी चाहिये सत्ता पर बैठे हुए माननीय सदस्यों को । उनको चाहिये कि जहां भ्रष्टाचार होता है तो वहां फौरन उसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की बातें चाहे विरोधी पक्ष की ओर से रखी जायं या हमारी ओर से रखी जाती हैं तो उनकी जांच करनी चाहिये । इन बातों को दबाने की कोशिश नहीं की गई तो यह शासन सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा ।

वैसे बजट तो पास होगा ही और बजट मंजूर भी किया जायगा, पर हम लोगों को बजट मंजूर होने के बाद बड़ी सावधानी से काम करना चाहिये । कोई गलत बात होती है,

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

धन का दुरुपयोग होता है तो उसकी जांच सही तरीके से करनी चाहिए । इस तरह की नीति से हमने योजनाबद्ध काम किया तो जनता विश्वास करेगी, चाहे कोई विरोध करे । जनता मेंहमारा विश्वास तभी उठता है जब कि जनता परेशान होती है, समय समय पर उसका काम नहीं होता है । शिक्षा विभाग में देखते हैं कि कई जगह साधारण छात्रों पर फीस लगा दी जाती है । चुनावों में फीस नहीं लगी, पर अब आठवीं कक्षा के छात्रों पर नई फीस लगा दी है । इस फीस से विरोधियों को यह कहनेका मौका मिल गया कि चुनाव के समय में फीस नहीं लगाई और चुनाव होते ही फीस लगा दी है। तो सही तरीके से सुझाव देने चाहिए । लोगों को अल्प बचत योजना के अन्दर तीन-तीन, दस-दस रुपयों के सेविंग सर्टिफिकेट दिये जाते हैं । इसके बारे में सरकार की ओर से लोगों को अच्छी तरह नहीं समझाया जाता । विरोधी लोग उनको उल्टे रूप से समझाते हैं कि चम्बल के लिए यह लिया जा रहा है । तो जो सत्ता में बैठे हैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि लोगों को सही तरीके से समझाना चाहिये । जनता को सही तरीके से नहीं समझाने के कारण जनता में अविश्वास पैदा होने जैसी बात पैदा हो जाती है । सरकार की ओर से, मन्त्री महोदय की ओर से इन बातों को रोकना चाहिए ताकि सही तरीके से हमारी योजना चल सके ।

तो माननीय सभापति महोदय, आज मैं इतना ही कहूंगा कि इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमारा एक सिद्धान्त है, पुरानी परम्परा हमारे देश में चली आ रही है । हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषोंने कहा थाकि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों का शासन होगा तो धर्मात्मा अशोक के राज्य के लक्ष्य को ध्यान में रख कर हमारी योजना चलती है । हमको भूलना नहीं चाहिये हमारे महापुरुषों के सिद्धान्तों को जिनके ऊपर हम चलते हैं । उनके सिद्धान्तों पर चलेंगे तो हमारा शासन सही तरीके से चलेगा ।

हम राम-राज्य चलाना चाहते थे । आपको मालूम होना चाहिए सभापति महोदय, राम का राजतिलक होने वाला था, लोग खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे थे । जनता सोचती थी कि राम का राज्य होगा तो हम आराम करेंगे, हमें सुख मिलेगा । पर उस समय मंथरा नामक दासी ने बखेड़ा डाल दिया और राम का राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, उन बेचारों को बनवास हुआ । जनता दुखी हुई, राम भी परेशान हुए, उनके माता-पिता परेशान हुए । तो इस तरह हम चाहते थे कि यहां अशोक के जैसा राज्य हो पर इसमें अड़चनें पैदा की जाती हैं और आगे नहीं बढ़ सकते ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप साम्राज्य लाना चाहते हैं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': हम अशोक के जैसा राज्य लाना चाहते हैं, पर विरोधी दल के लोग इसमें बाधा डालते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप साम्राज्य लायेंगे तो हम उसमें बाधा डालेंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उस समय भी रामराज्य में बहुत रोड़े अटकाये थे आप जैसों ने क्योंकि जब कृष्ण सुन्दर शासन चलाना चाहते थे तो कंस ने बाधा डाल दी, राम-राज्य आने वाला था तो मंथरा ने बाधा डाल दी। तो इस प्रकार हमारे अच्छे शासन में बाधाएं आती हैं। इस पर मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से कहता हूँ कि वह विरोधियों से न घबरावे; क्योंकि इस देश में परिपाटी कुछ लोगों की ऐसी ही है। पर हम तो यह सिद्धान्त मानने वाले हैं कि 'निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय'।

हम तो विरोधियों को आंगन में कुटी बना कर रखना चाहते हैं और उनकी कोटि कोटि आलोचनाओं को सहन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सही तरीके से हम कदम उठायेंगे तो वक्त आवेगा जब विरोधी लोग भी कांग्रेस की सत्ता के साथ मिल कर चलेंगे; ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : आप सही कदम कब उठायेंगे ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब आपका दिमाग सही हो जावेगा, आप जब यह समझने लग जायेंगे कि कांग्रेस जो सोचती है वह सही सोचती है और आप जब ऐसा समझने लगेंगे तो आपका सहयोग पाकर राजस्थान प्रगति के पथ पर होगा। आप जो हर वक्त विरोध ही विरोध करते रहते हैं, अच्छे का भी विरोध और खराब का तो होता ही है। कितने ही अच्छे काम किये कांग्रेसी शासन ने, पर आपने एकके लिये भी यह नहीं कहा कि यह तो अच्छा किया। आप सरकारकी अच्छाई को भी देखें और गलती अगर हो तो उसे ठीक तरह से सुझावें।

राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई तरह की आलोचना कर दी, एस. पी. को यों बना दिया...........

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : सम्भवतः आदरणीय सदस्य पिछले साल की बात कह रहे हैं राजप्रमुख की।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': पिछली बातों का ही तो प्रचार बढ़ा है।

तो मैं कह रहा था कि गांधीजी के रामराज्य के सपने को पूरा करना हमारा लक्ष्य है और इन योजनाओं के लिये हमने यह कभी नहीं कहा कि हम पन्द्रह सालों में इन सपनों को पूरा कर लेंगे। हम लगे हुए हैं, जब तक यह सपना साकार नहीं होगा तब तक हम कोशिश करते रहेंगे और हमारे दम में दम है तब तक उनका सपना पूरा करेंगे। अगर हम भी नहीं कर पाये तो हमारे मर जाने के बाद भी हमारी पीढ़ियां इसे पूरा करेगीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल: आपकी पीढ़ियां तो आपके विरोध में जावेंगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य(राज समन्द): आप तो हमारी ही पीढ़ी में से हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप नई बात पैदा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप के प्रह्लाद पैदा हुआ। प्रह्लाद राम का नाम

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

लेना चाहता था, पर बाप निर्दयी निकला।

श्री हरदत्तसिंह : सभापति महोदय, ये विषय से बाहर की बातें हैं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। मैंने किसी को हिरण्यकश्यप नहीं बनाया और न प्रहलाद बनाया।

एक माननीय सदस्य : आपके लड़के प्रहलाद होंगे; शायद आप ठीक फरमा रहे हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मेरे बच्चे तो सही रास्ते पर चलने वाले हैं। पर कई विरोधी लोग उनमें गलतफहमी पैदा कर देते हैं। गांव को; वहां के लोगों को भड़का देते हैं कि सारे टैक्स गावों पर लग रहे हैं; मुर्दा टैक्स लग रहा है। तो आप इस तरह से गांव के भोले लोगों को गुमराह करते हैं। अरे ! मुर्दा टैक्स भी लगेगा तो वह बड़े आदमियों पर लखपति करोड़पतियों पर लगेगा और अगर ऐसे धनपतियों पर मुर्दा टैक्स भी लगाया जावे तो कोई गुनाह नहीं होगा। पर उन बेचारे, सीधे सादे लोगों को विरोधियों द्वारा भुलावे में डाला जाता है कि तुम पर मुर्दा टैक्स लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : ज्यादा टैक्सों का विरोध हो रहा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सोश्यलिस्ट पार्टी के नेता यह भी सोचें कि वे क्यों गांव के लोगों को भड़काते हैं? गलत बातें फैला कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये। मुर्दा टैक्स के नाम पर सीधे-सादे, भोले-भाले किसान के दिमाग को आप खराब करें और शासन के विरुद्ध उनको उभाड़ें तो यह न्याय संगत नहीं है आप सही बातें कहिये। छोटे गांवों में लोगों के पास आप जायें तो उनको आप अपनी सही बात कहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : हम तो किसान और गरीब के पास आवेंगे और उनको अपनी बातें सुनावेंगे। आप नहीं जावेंगे वहां। आप तो सेठों के पास जावेंगे अब। आपकी बातें अब सेठ सुनेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': गरीब तो मैं हूं, जो सबसे छोटा हूँ, दुबला-पतला हूँ। मोटे जो हो गये हैं वे शोषण करनेवाले व्यक्ति हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ट्रेज़री बेंचों में मोटे मोटे बन कर बैठे हैं, ऐसा मत कहना आप। मुख्य मन्त्रीजी थोड़े नाराज हो गये हैं, मोटे की बात मत कहो आप।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप विरोध करें, विरोध करने में कोई गुनाह नहीं; पर सही बात पर विरोध करें। योजनाएं अगर सही तौर पर चल रही हैं तो आप उनका समर्थन भी करें। पर एक तरफ सरकारी अधिकारियों को आप अन्याय हो रहा है यह कह कह कर भड़काने की चेष्टा करते हैं और शासन में ढिलाई लाने का प्रयास भी करते हैं और दूसरी तरफ गलतियां उनकी निकली तो उनको मरवाने को

Page No 85

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

भी तैयार रहते हैं। हमारे माननीय सदस्य, श्री मानसिंहजी महार ने एक दिन कह दिया था। जिसका मुख्य मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था माननीय कई विरोधी सदस्य जहां कीचड़ नहीं वहां पानी बता देते हैं, जहां पैल नहीं वहां कीचड़ बता देते हैं। तो इस तरह की बातों से हमारा पिछड़ा हुआ राजस्थान जो पहले से ही तिहरी गुलामी में जकड़ा हुआ इलाका था और आजादी के बाद भी हम कमजोर हैं, इस तरह के गलत विरोध से, वह हमारा राजस्थान प्रगति नहीं कर पायेगा। हमारे द्वारा आज जागीरें खत्म हुईं, वे राजा-महाराजा खत्म हुए, वह तिहरी गुलामी का दौर समाप्त हुआ, किसान को राहत मिली राजे-महाराजे हमसे ज्यादा त्यागी बने हैं। हमारे पास कुछ नहीं था। वे आज लखपति बनते जा रहे हैं और जो लखपति थे वे आज समाजवाद की तरफ ले जाये जा रहे हैं। आज राजा-महाराजा महलों से उतर कर घर घर जाने लगे हैं। उनका हृदय परिवर्त्तन आज कांग्रेस ने कर दिया है, उनको आसमान से धरती पर चलाया है; जिनको कांग्रेस ने अपने में मिलाया है।

एक बात कॉम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने कही राजा-महाराओं के लिये और उनकी कटु आलोचना करते हुए कहा कि आज कांग्रेस उनको अपने में मिलाकर क्या करना चाहती है। मैं उनको निवेदन कर दूं कि हमारा लक्ष्य था कि ये राजे-महाराजे जनता के बीच आवें; तो जब वे जनता के बीच नहीं आते थे तब तक हमारा उनसे विरोध था। और जब वे अपने महल छोड़ कर जनता के बीच आ गए तो हमारा विरोध समाप्त हुआ। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं था। तो जब वे जनता के बीच आने लगे, सत्ता छोड़ दी तब भी क्या आप चाहते हैं कि हम अब भी उनका विरोध करें ? नहीं, ऐसी गलती हम अब नहीं करेंगे। आज जो धरती पर चलते हैं, जनता में घुलमिल कर रहना चाहते हैं उनकी हम कद्रा करेंगे और आज भी जो आसमान में उड़ना चाहते हैं वे फिर चाहे राजे हों या महाराजे हों या कोई हो यह सरकार और यह पार्टी उनकी कद्र नहीं करने वाली है। अगर आप भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो यह कांग्रेस आप को भी अपने में मिलाने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री राधाकृष्ण (टोंक) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान के वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत राजस्थान का बजट थोड़ा सा देखा। यह समाजवाद लाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया हो, यह एक समस्या मालूम हुई और साथ ही यह भी ख्याल हुआ कि क्या यह राजस्थान सरकार स्वयं एक समस्या है और हमारा न कहकर मेरा कहूँ कि यहां की सदस्यता भी एक समस्या है। कारण यह है कि यदि हम यह समाजवादी समाज लाने के लिए एक प्रगति करें तो मैं नहीं समझ सकता कि गैर समाजवादी समाज लाने के लिए फिर कौन सा बजट होगा ? जो टैक्सेज़ इसमें बढ़ाये गये हैं उनका भार गरीब जनता के ऊपर ही पड़ता दिखाई दे रहा है।

हमारे सामने समस्या है कि डेवलपमेन्ट के कामों को सुचारु रूप से चलाने के लिए वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाये। वैसे राजस्थान सरकार कई वर्षों से यह व्यवस्था कर रही है।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि राजस्थान सरकार भी और शायद मैं भी एक भंग के तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और उस पानी के नशे के कारण जो वस्तु स्थिति है उसको देख नहीं पाते और उस पानी का ही ऐसा असर होता जा रहा है कि जो राजस्थान की वस्तु स्थिति है उस पर न सोच कर कहीं दूर की बातें सोचते रहते हैं। आज व्यवस्था के सम्बन्ध में जो खर्चा अधिक बढ़ रहा है वह तो अपने स्थान पर है ही पर उससे कहीं अधिक जो दुखदाई स्थिति है वह यह है कि डेवलपमेन्ट के कामों पर हम जो कुछ व्यय कर रहे हैं उस व्यय की वास्तविकता से देखने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।

उदाहरण है कि जिन कामों के एस्टीमेटस् ६३ हजार के बन कर आये वह प्राईवेट संस्थाओं से उससे अधिक अच्छा काम ३१ हजार में करवाया है और इसकी मिसाल टोंक शहर के फुटपाथ की है। ऐसा क्यों हो रहा है ? पहला प्रश्न यह है कि क्या ऐसा होता है कि जितने धन में कोई काम सुचारु रूप से हो सकता है उससे अधिक धन क्या हमारा वास्तव में खर्च होता है ? यह हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे गम्भीर समस्या है और क्या इस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने जितनी अधिक शक्ति और गम्भीरता से देखना चाहिए और कार्य करना चाहिए क्या अपनी जिम्मेदारी को इस ओर निभाया। सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार का ध्यान केवल योजनायें बनाने में या उन योजनाओं को दिल्ली भेजने में और अखबारों में एड्वर्टाइज़ करने में है और उन योजनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन में या क्रियान्वित करने में उनका ध्यान नहीं गया और यह काम उसने अपने एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर ज्यादा छोड़ा है। आप ऊपर से नीचे तक देखिये, लोगों में लखपति और करोड़पति बनने की होड़ बढ़ रही है और वह होड़ क्षमा कीजिए हमारे केवल ऊंचे ऊंचे साथियों में ही नहीं; बल्कि राजस्थान के बहुत से नागरिकों में इस प्रकार की होड़ आरम्भ हो गई है। इसका कारण क्या है ? उसको रोकने के लिए क्या राजस्थान सरकार असमर्थ है और यदि हां, तो क्यों है ? इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी है ? मैं रूरल एरिया से प्राय: आता हूं डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की परिस्थिति को भी जानता हूं और राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में दूर करने का मौका मिला है और वहां की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी भी है। मैं राजस्थान सरकार के कर्णधारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि राजस्थान में जो एक हजार के करीब पुलिस स्टेशन्स है। क्या उनमें एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा मिलेगा जहां एक हजार या दो हजार मासिक की रिश्वत नहीं ली जाती हो। यह कहना कि राजस्थान में सर्वत्र अच्छाई है और भ्रष्टाचार नहीं है वह ठीक है। उस दृष्टि से आप सब कुछ बतला सकते हैं; अपनी नेकनामी के लिए पर मैं व्यवहारिक दृष्टि से यह पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार से कि क्या वह एक हजार पुलिस स्टेशन्स में से एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा बता दें कि जहां कम से कम एक हजार

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

या दो हजार रुपये की रिश्वत नहीं ली जाती हो ? क्या इसको हम कल्याणकारी राज्य कहेंगे कि जहां ऐसी व्यवस्था हो ।

सभापति महोदय, पुनः मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा पी० डब्ल्यू० डी० का दफ्तर होगा जिसमें इन्जीनियर, ओवरसियर या कैशियर बगैर रिश्वत और पर्सेन्टेज के काम करता हो ? सभापति महोदय, मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में ऐसी कौनसी अदालत होगी जिसमें क्लर्क एक फाइल को इधर से उधर भेजने में या अन्य काम में रिश्वत न लेता हो ? पुनः मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार, सरकार का एक भी ऐसा महकमा बता दें जो गर्व के साथ कह सके कि उस महकमे में रिश्वत नहीं है ? तो जब राजस्थान सरकार में ऊपर से नीचे तक रिश्वत ही रिश्वत भरी हुई है उसको भी कल्याणकारी राज्य कहें तो हमारे लिए इससे बड़ी और शर्म की बात नहीं है । आज या तो हम यह मानेकि राजस्थान सरकार इससे गाफिल है और वह अफीम के नशे में पड़ी है या यह कहें कि वह इन बातों से भिज्ञ है और भिज्ञ होते हुए भी इनको मिटाने में अपनी मजबूरी प्रकट करती है । यह जनता के साथ विश्वासघात है । नारा कल्याणकारी राज्य का लगाया जाता है; बल्कि इसको समाजवादी व्यवस्था भी कहा जाता है । लेकिन वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है । जिस राज्य के राज्य कर्मचारी जो रूरल एरिया में हैं मैं यह नहीं कहता कि सभी हो पर अधिकतर पर्सेंटेज़ ऐसी है कि जो अपना फेमिली बजट अपनी तनख्वाह में नहीं चला सकते । उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं । वे प्रजा का शोषण करते हैं, फिर भी हम इसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं ।

सभापति महोदय, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात आई । जहां तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना है हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं । लेकिन लोकतांत्रित विकेन्द्रीकरण की योजना इस प्रकार की होगी कि जैसे कौरव धृतराष्ट्र ने अपने १०० पुत्र पैदा करके छोड़ दिए हों और उनको संभालने वाला कोई न रहा हो । आज मैं आपको निवेदन करूं कि पंचायतों में जहां तक पक्षपात का ताल्लुक है वे सारे के सारे पंचायतों के चुनाव दलबन्दी के आधार पर हुए हैं । मैं व्यवहारिक दृष्टि से कहूं कि किसी भी पार्टी के अपने प्रतिनिधि चुनाव के लिए नहीं गए बल्कि व्यवहार में दलबन्दी के आधारपर चुनाव हुए हैं । सरपंचों और पंचों ने दलबन्दी के आधार पर अपने निर्णय दिए हैं । सभी ने नहीं,पर अधिकतर ने ऐसा किया हैं । तो क्यावे कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं ?

(४.० म० प०)

न्याय पंचायतों में भी यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जारही है । डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईज़ेशन लागू किया था उस समय स्थिति कुछ अच्छी थी । लोगों में भाव था, कुछ हम में था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जनता में हमारी इज्जत होगी । लेकिन जब वे लोग यह देखते हैं कि हम पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है; हम एम्बेज़लमेंट करें तो अच्छा है, हम पक्षपात करें तो अच्छा है, हम किसी को खुश करें, किसीपर अहसान करें तो अच्छा है; तो वे लोग धीरे २ जिस प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए था,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जिस कल्याणकारी मार्ग की ओर प्रशस्त होना चाहिए था, वहां वे उल्टा जा रहे हैं।

सभापति महोदय, पुलिस ऐसी, पंचायत ऐसी, और फिर पटवारी जिनमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन फिर भी पुरानी भावनाएं हैं वे अब भी विद्यमान हैं। जनता के सम्पर्क में आने वाली विशेषकर ये तीन संस्थाएं हैं। इन तीन संस्थाओं से घिरी हुई जनता को रात-दिन यह अनुभव होता है कि शासन का मतलब रिश्वत तो आज जनता का कोई भी वर्ग ऐसा बचा हुआ हो जो इन लोगों से घिरा हुआ नहीं हो? तो इनके कारण जहां की जनता के मानस में, जिसके मोरल में बचपन सेही यह डर घुसा हुआ हो कि राजस्थानमें बिना रिश्वतके काम नहीं हो सकता है तो उस राज्य को कल्याणकारी कहना एक हंसी है, एक विडम्बना है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में साम्यवाद या सामन्त-वाद की समस्याएं भी कोई महत्वपूर्ण समस्याएं नहीं हैं। आज राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ठगवाद की है। ठगवाद किसी भी तरफ से हो; मैं यह नहीं कहता कि वह सत्ताधारी व्यक्तियों में ही हो; बल्कि उनके साथ में मिले हुए अन्य व्यक्तियों में भी हो एक किसी भी प्रकार का विरोधी दल अथवा किसी भी प्रकार की पंचायत प्रणाली में किसी तरह से लगे हुए हैं उनमें भी हो। आज हमें सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक ध्यान उस ओर देना है। अगर उस ओर ध्यान नहीं देंगे और जो व्यवस्था आज चल रही है उसको जारी रहने देते हैं तो राजस्थान नर्क कुण्ड बन जायगा; चाहे अखबारों में, दिल्ली में रिपोर्ट भेजते रहें कि हम कल्याणकारी राज्य की ओर प्रशस्त हो रहे हैं।

तो सभापति महोदय, इसके संबंध में मेरे ठोस सुझाव यह थे : राजस्थान में जो इस प्रकार की चर्चा हो रही थी या लोगों को यह एतराज हो कि प्रशासन में; चाहे ऐसे नीचे के दर्जे में हो, चाहे मध्यम दर्जे में हो उनमें कुछ कमजोरिया हैं, कुछ मानसिक कमजोरियां हैं उन मानसिक कमजोरियों के कारणों को देखा जाय कि यह स्थिति किस कारण हुई है। मैं निवेदन करूं कि इसका कारण हो सकता है लैक ऑफ कन्ट्रोल; उनको छूट दी हुई है कि जो चाहें करें। दूसरा, थोड़ासा कुछ हस्तक्षेप ऊपर से होता रहा है। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसके काम में अगर हस्तक्षेप होता गया स्वयं के स्वार्थ के कारण तो धीरे धीरे वह भी सोचने लगता है कि जब मैं दूसरों के हस्तक्षेप से गलत कार्यवाही कर सकता हूं तो मैं भी अपने स्वार्थ के खातिर गलत कार्यवाही क्यों करने लग जाऊं। उन लोगों को बिगाड़ने-वाले हम लोग ही होते हैं। अगर हम मन में यह ढाढस रखें, कोई भी चाहे ट्रेज़री बेन्चेज़ से हों या अपोज़िशन से हों, हस्तक्षेप को जहां तक हो रोकने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे उनके आचरण, में शुद्धि आयेगी।

एक यह बात है उनके संबंध में जो लोग पैटी ऑफिसर्स हैं, उनके फेमिली बजट पर गोर किया जाय। कई एक पोस्टें ऐसी हैं कि उनकी जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है उनके मुकाबले में उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। या तो अधिक तनख्वाह वाले व्यक्ति लगाने

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

चाहिए या उनके ऊपर जो बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हैं उनको हटा लेना चाहिये या उनके ऊपर ऐसा रिजिड कन्ट्रोल रखना चाहिये कि कोई खुल कर गड़बड़ न कर पाये । मैं मिसाल इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की दे रहा हूँ जिन लोगों के पास में कत्ल के मुकदमे, डकैती के मुकदमे और अपहरण के मुकदमे तफतीश करने की ताकत है और उनको तनख्वाह १००)रु. या ११०)रु. मिलती है। उनको एक प्रकार से एट्रैक्शन होता है, एल्योरमेंट होता है कि उसको १०,०००) रू. की रिश्वत दे तो क्यों नहीं ले ले । और इसी तरह की बातों को लेते हैं तो दूसरी जगह भी होता है और तीसरी जगह भी होता है। मुकाबले में उनका खर्चा इस प्रकार से बढ़ा हुआ है कि ३०) रु. अपनी ड्रेस पर खर्च करने पड़ते हैं। कुछ परम्पराएं ऐसी बन गई हैं कि बड़े अफसर दौरे पर जाते हैं तो सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। जो ईमानदार अफसर हैं उन पर ज्यादा मार पड़ती है और वे भी धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं । तो, सभापति महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्थान सरकार का सबसे प्रमुख कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि यह जो कमजोरी राजस्थान में फैल गई है इसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दें। इसके कारणों की जांच करें और इसका समाधान करने की अधिक से अधिक व्यवस्था करें और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो आपको यह अधिक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जनता में यह धारणा है कि विकास कार्यों में जितना रुपया खर्च हो रहा है वह आधा वेस्ट जाता है और यह धारणा अगर वास्तव में देखी जाय तो कोई गलत भी नहीं है। किसी भी काम को ले लीजिये। एक प्राइवेट एजेन्सी उस काम को यदि करे तो वह आधे से कम पैसे में कर लेती है और सरकारी माध्यम से वह काम दुगुने या ढाई गुने पैसों में होता है। मैं मिसाल के तौर पर कांग्रेस के एक अच्छे नेता को रेफर करके अर्ज करना चाहता हूँ जो मेरे साथी थे। तो चंबल प्रोजेक्ट से सीमेंट के ट्रक आये और भारत सेवक समाज के संयोजक से बेचने के लिए बातचीत की। जब उन्हें मालूम पड़ा कि यह चोरी का माल है तो व झिझके और वे ट्रक जयपुर में भर कर आ गये। इस तरह से एक-दो नहीं, कई ट्रक्स वहां से गायब हुए और किसी के नोटिस में नहीं होगा व्यवस्था वालों के ।

इस प्रकार से सैकड़ों और हजारों बातें हैं जिनको एक साथ गिनाने की जरूरत नहीं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह भांग का तालाब बन गया है और यह परम्परा भी बन गई है कि जो कोई भी सोचे उसको अधिक ही अधिक बातें ज्ञात होती रहेंगी ।

तो, सभापति महोदय, इस बजट पर अलग अलग मदों का विवेचन करते हुए उसके कारण के ऊपर....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूँगा कि यह कौन से समय की बात बताई है कि सीमेन्ट के ट्रक गये थे ? मुझे जवाब देने में सुविधा रहेगी। क्या उन्होंने रिपोर्ट पुलिस में की, इसकी भी जानकारी दे सकें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह बता देना चाहता हूँ कि ३ वर्ष पहले श्री भंवरलाल ताम्बी, जो ज़िला कांग्रेस कमेटी, टौंक के सेक्रेटरी और पंचायत समिति के प्रधान हैं उनके पास वहां से चोरी हुए सीमेंट के ट्रक आये थे। वे भारत सेवक समाज के संयोजक भी थे। उन्होंने ही यह बात बतलाई है कि आज राजस्थान में यह अन्धेर हो रहा है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बजट के विभिन्न मदों के संबंध में अभी मैं अधिक निवेदन नहीं करके केवल जो उसका बेसिस है कि हम कहां खड़े हुए हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या इतना अन्तर हमारी कथनी और करनी में हमको जिन्दा रहने देगा या एक तरह से हम वास्तव में अफीमचियों के जमघट में बैठे हुए बातें करते रहेंगे और काम जिस गलत ढंग से हो रहा है वह होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय एक साथी ने सलाह दी थी कि एक हाई पॉवर्ड कमेटी इस प्रकार की बने जो यह ध्यान रखे कि विशिष्ट व्यक्तियों में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि संविधान के प्रतिकूल हो, ऐसा काम नहीं कर रहा है जो उनके कमिटमेंट के खिलाफ हो, ऐसा काम नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्शन्स आवें। जो एतराज यहां होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके काम पर दृष्टि रखी जाय।

जहां छोटी छोटी बातें हैं कि फलां जगह बांध नहीं बने या कम मिट्टी लगी, मैं उस ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहता, बल्कि एक युग-धर्म बन गया है। राजस्थान में ऐसा करना, यह एक कार्य विधि बन गई है उसके विपरीत रहना एक × × × कहलाता है। यह जो धारणा राजस्थान में बन गई है....

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए कोई अनपार्लियामेन्टरी शब्द सदन में नहीं कहा जाय। I would request the Hon'ble Member to withdraw the word.

श्री राधाकृष्ण गोयल : शायद समझने में भूल रही होगी, मैं रिपीट करूंगा....

श्री सभापति : मैं समझता हूँ, शब्द पूरी तरह से सुना गया है। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हुए इसे विथ्ड्रॉ करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यदि आप इजाजत दें तो मैं उनको दोहरा कर....

एक माननीय सदस्य : एक बार कहना ही काफी हो गया, दोहराने का कष्ट न करें।

श्री सभापति : उस वाक्य से यह शब्द विथ्ड्रॉ कर लें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वे क्या शब्द थे, सुने नहीं ?

श्री सभापति : The words are expunged.

श्री राधाकृष्ण गोयल : आजकल आम

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अफसरों में आम चर्चा यह होती है कि जो युग-धर्म समझा जाता है, जो गलत ढंग से पैसा लेते हैं वे होशियार समझे जाते हैं और जो विपरीत समझते हैं उनको लोग × × × कहते हैं। मैं इसे माइल्ड कर दूं.....

श्री सभापति : आप इस शब्द को विथ्ड्रॉ करते हैं या नहीं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं विथ्ड्रॉ करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : विथ्ड्रॉ करने से हो ये शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज नहीं होंगे; जब तक कि सभापति महोदय द्वारा यह नहीं कहा जायगा कि इनको एक्सपन्ज किया जावे।

श्री सभापति : I have already said that the words are expunged.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि सदन के इतिहास में इस शब्द का पहली बार उपयोग हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के शब्दों का उपयोग न करने का ध्यान रखा जायगा।

श्री सभापति : Please continue.

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं वास्तव में जो वस्तु स्थिति है उसकी ओर से सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था और जो शब्द आपस में कहे-सुने जाते हैं वे ही शब्द कहना आवश्यक समझता था इसलिये कहे। खैर, मैं दुबारा कहना उचित नहीं समझता और अन-पार्लियामेन्टरी भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बार बार कह रहे हैं शायद घोषणा-पत्र है।

श्री सभापति : Please continue.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अब हमें आगे बढ़ना चाहिये। शब्दों की व्याख्या करके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने पहली और गंभीर समस्या है वह यह है, जिस ओर हमें ध्यान देना है। यदि इस ओर ध्यान दिया तो वित्त मंत्रीजी जो अधिक टैक्स बढ़ाने की ओर संकेत कर रहे हैं वे नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और कई टैक्स जिनको कई साथियों ने और माननीय सदस्यों ने अधिक बोझ कहा है उनको कम करने में सहूलियत हो जायेगी।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो सन् ६२-६३ का बजट पेश किया है उस पर सामूहिक वाद-विवाद चल रहा है। वित्त मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश हुआ है वह घाटे का है और करीब १२८ लाख का घाटा है, । मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूं कि ५ साल के अर्से से मैं बराबर यह देखता आ रहा हूं कि कभी एक या दो मर्त्तबा हमारे सामने मुनाफे का बजट आया

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री नाथूलाल करोल)

होगा, बाकी घाटे ही घाटे का बजट पेश किया जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार खर्चे की पूर्ति के लिये हर साल हमारे सामने टैक्सेज़ लाकर ही रखती रहेगी ? हमेशा टैक्स लगते हैं और उनसे यह घाटा कभी पूरा होता ही नहीं है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूं कि आपने इस साल भी १२७ लाख के टैक्सेज नये लगाये हैं उनकी पूर्ति से क्या अगले साल घाटे का बजट नहीं पेश करेंगे और मुनाफे का पेश करेंगे ? मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूं कि गये ५ साल के अर्से से जो हर साल कई टैक्सेज़ नये-नये लाकर लगा दिये हैं; लेकिन फिर भी आज तक भी उनका घाटा पूरा नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त-मंत्रीजी ने एक्साइज़ टैक्स लगाये हैं। लेकिन नाजायज़ शराब पर क्यों नहीं रोकथाम लगाई जा रही है ? क्या उनके दिमाग में यह बार-बार नहीं आता होगा कि नाजायज़ शराब के केसेज़ कितने आते हैं और खुले आम कितनी बिकती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेज़ की पूर्ति व घाटे की पूर्ति अपने आप हो जाती यदि नाजायज़ शराब को रोकने का सख्त कदम उठाया जाता। लेकिन मैं अच्छी तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाजायज़ शराब को बढ़ोतरी काफी होती जा रही है और बाजार में खुले आम बिकती हुई सब की नजर में है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी निगाह में ज्यादा इन दिनों में आई हो तो हमारा ध्यान भी आकर्षित करें।

श्री नाथूलाल करोल : मुझे तो जो दिखाई दे रहा है उसके लिए मैंने निवेदन किया है। १२७ लाख के टैक्सेज़ वित्त मंत्रीजी लगा रहे हैं उसमें मनोरंजन टैक्स बढ़ाया है, तथा बारदाने पर छूट दी है लेकिन वह नहीं के बराबर है। यह छूट शूगर के बारदाने, काकड़ा, बिनोला या चावल की बोरियों पर छूटी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बारदाने की छूट का कल से हल्ला मचा दिया, सब के मुंह पर बात आई कि बारदाने पर टैक्स हट गया लेकिन कुछ भी नहीं हटा। मैं वित मंत्री जी से निवेदन करूं कि यदि इन टैक्सेज़ को हर साल लेते रहेंगे तो राजस्थान की जनता किस तरह से ऊपर उठ सकेगी ?

मैं कहता हूं कि मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है। किसी भी तरह जो ऊंची श्रेणी के व्यापारी हैं, ऊंची श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन पर असर नहीं पड़ता है लेकिन छोटे-छोटे व्यापारी हैं और मध्यम श्रेणी के लोग हैं उन पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। अभी डेढ़-दो साल हो गये हमारे सामने लैंड रेवेन्यू सरचार्ज आया था, उसको हमने पास किया। उसके आने से किसानों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि वे बेचारे बहुत दबे हुए हैं। यह टैक्स का मखोल है कि राजस्व विभाग में आपने जमीन के लगान पर लगान लगाया है, उसको हम देते आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो टैक्स के अन्दर वृद्धि की है उसके अन्दर कमी करें।

दूसरा निवेदन है कि जो यह बजट में सोशियल वेलफेयर के लिए पैसा रखा था।

(श्री नाथूलाल करोल)

उस पैसे को हमने अच्छी तरह से देखा और पता लगाया कि यह पैसा पोपुलेशन बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। हमने पांच साल से अच्छी तरह से अनुभव किया है कि यह पैसा उदयपुर डिविज़न में सबसे ज्यादा जाता है और जयपुर डिविज़न व कोटा डिविज़न बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। सोशल वैलफेयर के पैसे को पोपुलेशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। सागवाड़ा के मंत्री महोदय हैं, वहां एक पैसा कम खर्च हुआ है और उदयपुर में ज्यादा हुआ है ! लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कम पैसा खर्च हुआ है। पोपुलेशन बेसिस के आधार पर देखिये कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी कितने हैं और बांसवाड़ा में कितने हैं ? लेकिन बांसवाड़ा के बजाय उदयपुर में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सोशल वैलफेयर के अन्दर जो पैसा खर्च हुआ है वह इस तरह से खर्च हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं क्या अर्ज करूं, चित्तौड़ में गाड़िया लोहारों का एक सम्मेलन हुआ था, १९५५ में और जो सम्मेलन हुआ था उसका युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट दिसम्बर, ६१ तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। जो गाड़िया लोहारों का सम्मेलन हुआ था वह वर्मा साहब की अध्यक्षता में हुआ था और उसमें जो खर्चा हुआ गाड़िया लोहारों के सम्मेलन में उसकी एजेन्सी थी वह वर्मा साहब की और खर्चा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ लेकिन युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट १९६१ के अन्त तक पेश नहीं हुआ। यह मुझे याद है। उसके बाद हम चुनाव में घुस गये और फिर पता नहीं क्या हुआ। तो इस प्रकार पैसे को बर्बाद करना उचित नहीं है। आप राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को लीजिये। जैसे भरतपुर को ले लीजिये, अलवर को ले लीजिये, सवाई माधोपुर को ले लीजिये, जयपुर टोंक-तो इन ज़िलों में कोटा को ही ले लीजिये। सोशल वैलफेयर का पैसा रुपये में एक आना भी खर्च हुआ हो तो आप आंकड़े निकलवा कर देखें कि कितना पैसा उधर गया और कितना पैसा पोपुलेशन बेसिस पर खर्च हुआ। तो यह सौतेला व्यवहार है जो पूर्वी राजस्थान की शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ किया है। पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों और हरिजनों के ऊपर काफी पैसा खर्च नहीं हुआ है उसको हमारे मुख्य मंत्रीजी जानते हैं और समाज कल्याण मंत्री महोदय भी अच्छी तरह से जानते हैं।

अब मैं आपसे एक निवेदन करूं डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के मुताल्लिक। माननीय सभापति महोदय, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का काम चल रहा है। यह बहुत अच्छा और सुन्दर है लेकिन इसके अन्दर जो पैसा युटीलाइज़ होता है, वह ठीक ढंग से नहीं होता है और इस बजट के अन्दर इसके लिए काफी पैसा रखा है। हम नहीं कहेंगे कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। मैं कहता हूं कि सरकार पैसे को पानी की तरह बहा रही है। सरकार बराबर पैसे को पानी की तरह बहा रही है; इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन पैसे का युटीलाइज़ेशन ठीक नहीं हो रहा है। इसमें क्या काम हो रहा है कि आज जयपुर ज़िले में जो पंचायत समिति है उसको ही ले लें या फिर चाकसू को ले लीजिये या फिर सांगानेर की पंचायत समिति को ले लीजिये; यहां से तीन तीन साल के युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हो सके हैं।

Page No 94

(श्री नाथूलाल करोल)

आपको कितने ही ऐसे सरपंच मिलेंगे जिन्होंने सरकार से पैसा लेकर खड्डे में डाल दिया है, जिसका पता नहीं है । माननीय सभापति महोदय, आपसे क्या कहूं, चाकसू, पंचायत समिति की १९५९-६० को ऑडिट रिपोर्ट है, उसके अन्दर देखिये कि क्या क्या घोटाले हुए हैं लेकिन, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। १९५९-६० की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अन्दर कई घोटाले बताये हैं । उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है और वह वैसी की वैसी पड़ी है । जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सत्ता की वजह से दबाया जा रहा है और वह वैसी की वैसी पड़ी है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जो कुछ भी घोटाले हैं, चाहे वे मेरी तरफ से हुए हों या किसी अन्य की ओर से उनकी जांच करवाई जानी चाहिये ।

अच्छा, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था एलोपेथी सर्टीफिकेट के मुतल्लिक । मैं निवेदन कर दूं कि सरकार को एलोपेथी सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं पड़े, अगर जो पैसा दिया गया है उसको वापिस करे तो। आज दस साल से जो पैसा दिया गया है उसकी वसूली नहीं हो रही है । जो तकावी दी गई है हमारी सरकार की तरफ से और समितियों की तरफ से ! उसको दबाया जा रहा है । इसकी एक मिसाल नहीं, मैं सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ । लोगों ने डेयरी फार्मिंग के लिए पैसा ले लिया लेकिन डेयरी फार्मिंग नहीं दिखाई देती । सांगानेर पंचायत समिति की मिसाल है । वहां डेयरी फार्मिंग के लिए पैसा ले लिया और डेयरी नहीं खोली गई और पैसे को ले जाकर क्या किया, क्या नहीं किया लेकिन उसको वसूल करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है । माननीय सभापति महोदय, इस समय जो भी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के अन्दर पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके लिए मैं कहूंगा-'अन्धेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा'। इसको कोई नहीं समझ रहा है कि पैसा किस वास्ते लेवें, उसको किस तरह वापिस लेने की कोशिश करें, पैसे को किस तरह खर्च करें । अगर तकावी दी जायगी तो उसको कोई नहीं देख रहा है कि वह पैसा किस तरह वसूल किया जायगा । पांच साल से पैसा पड़ा हुआ है लेकिन सोचते हैं पड़ा रहने दीजिये, जिसको अदा करना है वह करता रहेगा । ऐसी मिसालें हैं जिनमें सांठगांठ हो रही है । जो सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा मामला दबा दिया जाता है और उस पैसे के वसूल होने की जरूरत नहीं समझी जाती । किसी के पास वीस हजार पड़े हुए हैं, किसी के पास १५ हजार पड़े हुए हैं, पांच-पांच साल से पड़े हुए हैं । मैं निवेदन करूंगा कि कन्सर्न्ड मंत्री महोदय इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और पैसा वसूल करने की कोशिश करें । इससे जो एलोपेथी सर्टीफिकेट की योजना चलानी पड़ी है उसकी दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी । इसलिए आज जो पैसा दिया हुआ है उसको वसूल करने की कोशिश करें ।

अब मैं निवेदन करूं रोड्स और बिल्डिंग्स के मुतल्लिक'। मैं जरूर कहूंगा कि सरकार करोड़ों रुपये बहा रही है, रोड्स और बिल्डिंग्स के लिए मैं कहता हूं कि रोड्स और बिल्डिंग्स बनाई जायं, चाहे एक के बजाय कई बनाई जायं लेकिन ऐसी बनाई जायें कि वे

(श्री नाथूलाल करोल)

जल्दी ही खराब नहीं हों। मौजूदा टाइम में क्या हो रहा है कि रोड्स तो बनाई जा रही हैं लेकिन एक-दो साल में उन रोड्स का काम पूरा हो जाता है। मैं उदाहरण दूं कि एरोड्रोम से सांगानेर तक जो रोड का टुकड़ा बनाया जा रहा है उसके बारे में मैं एक रोज गया और मैंने ठेकेदार साहब से पूछा कि कितना मेटीरियल लगा रहे हो। मुझे बताया गया कि जो मेटीरियल का मामला तय हुआ है उससे कम लगाया जा रहा है। इस प्रकार मेटीरियल कम लगने से सड़क की बर्बादी होती है। इसलिए वह पूरा काम ठेकेदारी में दिया जाता है तो पूरा मेटीरियल काम में नहीं लाया जाता और सड़कों की हालत ठीक नहीं रहती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रोड्स बनाये लेकिन उन रोड्स को ठीक ढंग से बनाया जाय जिससे पूरा मेटीरियल लगाया जाय जिसमें रोड ठीक तरस से चल सके। यह नहीं होना चाहिए कि आज सड़क बनाई जाये और दो साल बाद खत्म हो जाय। तो माननीय सभापतिजी, मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि रोड्स को ठीक तरह से बनाया जाय और इसमें जो पैसा खर्च किया जाय वह बिल्कुल उपयोगिता के लिहाज से अच्छी तरह से खर्च किया जाय; बेकार तरह से नहीं बहाया जाय।

अब मैं आपसे निवेदन करूं शिक्षा के मुत्तल्लिक कि इस मौजूदा समय में अपन ने काफी प्राइमरी स्कूल्स खोले और मौजूदा सरकार हायर सैकन्डरी स्कूल्स भी खोल रही है....

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): सभापति महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, 'अपन' से आपकी मुराद विरोधी पक्ष से है या सरकारी पक्ष से है ? माननीय सदस्य ने फर्माया कि अपन ने बहुत से स्कूल खोले।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): आपसे था।

श्री हरदत्तसिंह : मेरे और आपसे-दोनों से-मुराद है।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि किनसे मेरा मतलब है। तो जितने भी विरोधी पक्ष में हैं इनसे और जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य बैठे हैं वे भी अपने साथी हैं, अपन में और उनमें फर्क नहीं है। अपन जो बैठे हैं, हम में फर्क नहीं है। मान लीजिये कि सत्तारूढ़ दल कोई कार्य करता है तो अपनी राय से करता है। मान लीजिये कि बजट पास हो तो वह भी अपनी राय से होगा और हर कार्य अपनी राय से करेंगे। इसलिये 'अपन' शब्द यूज़ किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एज्युकेशन पर चल रहा था। तो मिडल स्कूल, हायर सैकेन्ड्री और प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं लेकिन प्राइमरी स्कूल जो पंचायत समितियों में चल रहे हैं वहां पर टीचर्स की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती और जब लड़के प्राइमरी स्कूल में ज्यादा होते हैं तो टीचर उनको ठीक तरह से पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं कर सकता। मैं सभापति महोदय, आपकी मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि स्कूल खोले जावें और गांव गांव में स्कूल खोले

(श्री नाथूलाल करोल)

जावें लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक तरह से बिठाई जावे और इसके लिए सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि वहां पर टीचर्स के अलावा एक चपरासी की भी व्यवस्था जरूरी होनी चाहिये, अन्यथा ऐसा होता है कि लड़के दो घण्टों के बाद ही चले जाते हैं।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के मुताबिक जो पैसा दिया जावे या सोशियल वैलफेयर के लिये रुपया दिया जावे उसको ठीक तरह से उपयोग में लिया जावे और वह पोपुलेशन को ध्यान में रखते हुए दिया जावे। बस, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं होने पर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : क्या जवाब दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज बजट के सम्बन्ध में बोलने का विचार मैं करके नहीं आया था और इसका कारण यह था कि बजट कल चार बजे पेश किया गया और जिस प्रकार के सुझाव और आलोचना की, माननीय वित्त मन्त्री ने विरोधी दल से अपेक्षा की थी लेकिन वह इतने कम समय में बजट देख कर आसानी से प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यदि माननीय मुख्य मन्त्री इस बात को मंजूर कर लें कि इस समय केवल २५ मिनट रहे हैं और सारे ही माननीय सदस्य बजट पर बोलना अवश्य चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाये; इस कारण से मजबूरी भी जाहिर कर सकते हैं। इस समय यदि कोई माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहे तो यदि सदन की ऐसी इच्छा हो तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी जावे। यदि नहीं होता तो सदन का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : We are prepared to oblige the Opposition.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : क्या आप प्रस्ताव रखते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा बशर्ते कि निर्धारित समय से आगे समय नहीं बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि आज एडजोर्न होकर कल मिलें; आज २५ मिनट पहले एडजोर्न हो जावें ?

(स्वीकृत)

सदन की मंशा है।

सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५ बजे दिनांक २८ मार्च १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २७ मार्च, १९६२)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १०२८

बीकानेर शहर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था।

तालाब निर्माण, तहसील देवगढ़।

डूब में आई जमीन का मुआवजा।

बाढ़ नियंत्रण।

तालाब से सिंचाई की व्यवस्था।

नगरपालिका, जयपुर की सीटों का निर्धारण।

माध्यमिक शाला, देवगढ़ में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

जयपुर की गंदी बस्तियोंका उद्धार।
डिस्पेन्सरी, देवगढ़।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति १०५८

श्री प्रतापसिंह (१३६), सदस्य, विधान सभा को दिनांक २६ मार्च, १९६२ से २५ अप्रेल, १९६२ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन-प्रस्ताव १०५८

ग्राम बोराबड, जिला नागोर में पुलिस की ज्यादतियों एवं वहां पर उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की जो सूचनाएं सर्वश्री मुरलीधर व्यास, मोतीलाल चौधरी फतेहसिंह तथा भैरोंसिंह ने दी थीं उन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। इस विषय पर गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

स्तम्भ

सदन की मेज पर रखा गया पत्र १०७०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १४ (८) नियुक्ति (ए) । ५६, दिनांक २७ सितम्बर, १९६१ को, जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फन्क्शन्स) रेग्युलेशन, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य – पुरःस्थापित किया गया विधेयक १०७०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा

स्कम्भ

मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित किया। उन्होंने अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा।

लेखानुदान (Vote on Account) पर मतदान १०७३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Schedule of Demands for Grants and Appropriations be granted to the Governor, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of march, 1963, in respect of the Heads of Demands entered in the Second Column thereof against Demands Nos. I to XLVIII".

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ १०७३

स्कम्भ

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक को पुरः स्थापित किया।

विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया।

आय-व्ययक (बजट), १९६२-६३ १०८२

प्रथम अवस्था—सामान्य वाद-विवाद १०८३

आय-व्ययक, १९६२-६३ पर आज सामान्य वाद-विवाद आरम्भ हुआ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
(२) श्री कृष्णकुमार गोयल
(३) श्री रामकिशन
(४) श्री अब्दुलजब्बार
(५) श्री मोहनराज
(६) श्री सम्पतलाल बोहरा
(७) श्री जयकिशन
(८) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
(९) श्री राधाकृष्ण गोयल
(१०) श्री नाथूलाल करोल

सदन की बैठक ४ बज कर ३५ मिनट पर बुधवार, दिनांक २८ मार्च, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनांक २८ मार्च १९६२ की, कार्य-सूची

विधेयकों का पुरः स्थापन

आय-व्ययक, १९६२-६३ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

---

o

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक २७ मार्च, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१०३४	शीर्षक	ताराकिक प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२३	अगर कोई	क्या कोई
१०३८	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री भीखाभाई)
१०४१	२०-२१	इक्विपमेन्ट	इक्विपमेन्टस
,,	२२	श्रीमती लक्ष्मीकमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
१०४५	२०	वित्तीव	वित्तीय
१०४८	२५	इन्पोर्न्टेंड	इम्पोर्टेन्ट
१०५०	२३	२७.०००	२७,०००
१०५४	२०	अनुसांर	अनुसार
१०५५	१८	फण्डस	फण्ड्स
१०६१	२	पिश्तोल	पिस्तोल
१०६२	शीर्ष	(श्री मुरलीघर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
१०६५	२६	कॉस्पीरेंसी	कांस्पीरेंसी
१०६८	३	मार्ड्स	मर्डर्स
१०७०	२१	श्री हहिभाऊ	श्री हरिभाऊ
१०७४	शीर्ष	(बालकृष्ण कौल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
१०७५	१	टैक्सबल	टैक्सेबल
१०७६	१	सेल टैक्स	सेल्स टैक्स
१०७८	७	पार्टिक्युलर	पर्टिक्युलर
१०८६	२४	beimg	being
१०९४	२१	अन्दर	अन्दर
११००	शीर्ष	(महारावल लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

१	२	३	४
११०१	२१	partys	party's
,,	अंतिम से ६	runs amuc	runs amuck
,,	अंतिम से ५	Governmena	Government
११०६	१६	रिटर्नस	रिटर्न्स
११०६	२३	यादा	ज्यादा
११११	१४	हें	हैं
,,	अंतिम पंक्ति	बेसेज़	ब्रसेज़
१११२	१७	में मैं नहीं हूं।	मैं नहीं हूं।
,,	२४	बासोदा	बांसोदा
,,	२५-२६	चार ४ पर्सेंट	चार पर्सेन्ट
१११३	२२-२३	फायदे के के लिये	फायदे के लिये
१११४	६-१०	उनका क्या अनुपात होना चाहिये	विलोपित कीजिये
,,	२१	सम्बन्ध	सम्बन्ध।
१११५	शीर्षक	वाद-विषाद	वाद-विवाद
१११६	१६	से ढंग इस से	ढंग से इस
११२२	अंतिम से २	का हैं	का ही
११२३	२५	प्रत्रीक	प्रतीक
११२५	७	दोनों चीज़ों	दोनों चीज़ें
११३१	८	ब रहाढ़ है	बढ़ रहा है
११३४	७	तर्रीके	तरीके
११३५	६	माहावार पेन्शन	माहवार पेन्शन
,,	१२	तरइ	तरह
११३७	७	खर्चे	खर्चा
११३८	१६	(ब्याावर)	(ब्यावर)
११४३ व ११६३	शीर्षक	सामन्य	सामान्य
,,	१६ व २२	इकट्टा	इकट्ठा

१	२	३	४
११४५	शीर्षक	सासान्य	सामान्य
११४८	२२	श्री राव नारायणसिंह	राव श्री नारायणसिंह
११४६	शीर्षक	साभान्य	सामान्य
११५४	१०	मैं	मैं
११५६	१६	लौंग	लोग
११५८	शीर्षक	(श्री मोहनलाल सुखाड़िय)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
११५६	२६	रियालाइज़	रियलाइज़
११६१	४	आल्र्टनेटिव	ऑलटर्नेटिव
,,	१६	थो तो	थी तो
,,	२६	छौंका	छोंका
११६३	१४	कोर्टस	कोर्ट्स
११७३	२५	Estiment	Estimate
११७७	४-५	रास्ट्रीयकरण	राष्ट्रीयकरण
११७६	अंतिम पंक्ति	प्रोग्रेंसिव	प्रोग्रेसिव
१२००	अंतिम से ३	अधितकर	अधिकतर
१२०१	अंतिम पंक्ति	धोरे २	धीरे २
१२०२	अन्तिम से ४	यधन	ध्यान
१२०५	११	तो व	तो वे
१२१२	२०	नहों है।	नहीं है।
१२२१	२	सन्बन्धित	सम्बन्धित
१२२२	६	Accunt	Account
१२२३	१	श्री बालकृप्ण	श्री बालकृष्ण